Tuesday, 5 December, 1961

द्वितीय माला, खण्ड ६०—अंक ११

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. 74
17.1.62

लोक-सभा वाद-विवाद

(पन्द्रहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

(खण्ड ६० में अंक ११ से अंक १६ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

Preservation Unit
Fumigated
Ou 3.12.83
Parliament Library

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड ६०—अंक ११ से १६—२ से ८ दिसम्बर, १९६१/११ से १७ अग्रहायण, १८८३ (शक)] पृष्ठ

अंक ११—शनिवार, २ दिसम्बर, १९६१/११ अग्रहायण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९१, ४९२, ४९४ से ४९६, ४९८, ४९९, ५०१ से ५०५, ५०९, ५१०, ५१३, ५१६, ५१९, ५२१ से ५२४ और ५२६ १२५९—८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९३, ४९७, ५००, ५०६ से ५०८, ५११, ५१२, ५१४, ५१५, ५१८, ५२० और ५२५ . १२८५—९०

अतारांकित प्रश्न संख्या १००१ से १०८१ . १२९०—१३२३

स्थगन प्रस्ताव—

निर्वाचनों में पुलिस द्वारा की गई कथित ज्यादतियां . . १३२३—२४

अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव की ओर ध्यान दिलाना

हिन्दुस्तान मोटर्स को विशेष रेलगाड़ी का दिया जाना . १३२४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . १३२५—२६

राज्य सभा से सन्देश . . . १३२६

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक पटल पर रखे गये १३२६

सदस्य की गिरफ्तारी १३२७

भारत के राज्य व्यापार निगम लिमिटेड के कृत्यों और गतिविधियों के बारे में एक वक्तव्य . . १३२७

सभा का कार्य . . १३२७—२८

विधेयक पुरस्थापित

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक . . . १३२८

गोदी कर्मचारी (रोजगार का विनियमन) संशोधन विधेयक १९६१ . १३२८

दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक १९६१ . ., १३२९

वर्ष १९६१—६२ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) . १३२९—३४

बड़ी रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव . . . १३३४—४१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरस्थापित—

(१) हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन विधेयक, १९६१ (नई धारा २३क का रखा जाना) [श्री अजित सिंह सरहदी का] , १३४१

विषय	पृष्ठ
(२) चलचित्र उद्योग कर्मचारी (कार्य की दशा में सुधार) विधेयक १६६१ [श्री गोरे का] . .	१३४१
(३) नारियल जटा उद्योग (संशोधन) विधेयक, १६६१ (धारा १०, २०, २१ और २६ का संशोधन) [श्री सं० चं० सामन्त का]	१३४२
(४) अखिल भारतीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, १६६१, [श्री अ० त्रि० शर्मा का] . . .	१३४२
(५) असैनिक उड्डयन (लाइसेंस देना) विधेयक, १६६१ [श्री अमजद अली का]	१३४२
धार्मिक पूजा स्थानों का प्रत्यावर्तन विधेयक, १६६१ [श्री प्रकाशवीर शास्त्री का] अस्वीकृत	१३४३–४७
विचार करने का प्रस्ताव . .	१३४३—४७
दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १६६० (धारा १४ का संशोधन) [श्री तंगामणि का] वापस ले लिया गया	१३४७–५०
विचार करने का प्रस्ताव	१३४७—५०
दंड प्रक्रिया संशोधन विधेयक, १६५६ (धारा ४८८ का संशोधन) [श्री अजित सिंह सरहदी का] .	१३५०–५३
विचार करने का प्रस्ताव	१३५०—५३
पटसन का मूल्य विधेयक, १६५६ [श्री झूलन सिंह का] .	१३५३–५४
कार्य मंत्रणा समिति—	
सड़सठवां प्रतिवेदन . .	१३५४
दैनिक संक्षेपिका . .	१३५५—६३
अंक १२—सोमवार, ४ दिसम्बर, १६६१/१३ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५२७, ५२६ से ५३१, ५३३ से ५३६ और ५३८ से ५४७	१३६५—८६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५२८, ५३२, ५३७ और ५४८ से ५६७ . .	१३६०—१४००
अतारांकित प्रश्न संख्या १०८२ से ११६२ . .	१४००—५०
स्थगन प्रस्ताव—	
१. जामा मस्जिद क्षेत्र में बम विस्फोट .	१४५०–५२
२. लन्दन हवाई अड्डे पर भारतीयों को उतरने की अनुमति देने से तथाकथित इन्कार	१४५२

विषय	पृष्ठ
३. चौद्वार में उड़ीसा टेक्सटाइल मिल्स का बन्द होना .	१४५२–५३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––	
ब्रिटेन का राष्ट्रमंडल आप्रवास विधेयक . .	१४५३––५५
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१४५५
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . .	१४५५
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति––	
छब्बीसवां प्रतिवेदन . .	१४५५
विधेयक पुरस्थापित––	
(१) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६१ .	१४५६
(२) विश्व भारती (संशोधन) विधेयक, १९६१ .	१४५६
कार्य मंत्रणा समिति––	
सड़सठवां प्रतिवेदन . . .	१४५६
चीनियों द्वारा अतिक्रमण के बारे में चर्चा .	१४५७––८२
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१–६२ .	१४८३––८६
कोयला खान भविष्य निधि योजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा	१४८६––८८
दैनिक संक्षेपिका	१४८९––९६
अंक १३––मंगलवार, ५ दिसम्बर, १९६१/१४ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ५७०, ५७२, ५८८, ५७४ से ५७८, ५९४, ५७९ और ५८० . . .	१४९७––१५२२
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ५७१, ५७३, ५८१ से ५८७, ५८९ से ५९३ और ५९५ से ६१६	१५२३––३८
अतारांकित प्रश्न संख्या ११९३ से १३१७, १३१९ और १३२१ से १३२९	१५३९––९७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––	
राजहरा और नन्दिनी खानों के दस हजार मजदूरों की कथित छंटनी .	१५९७
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	१५९८––१६००
तारांकित प्रश्न संख्या १४७ के उत्तर में शुद्धि . . .	१६००–०१
सरकारी उपक्रमों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव के संबंध में .	१६०१
विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६१––पारित . .	१६०१–०२
चीनियों द्वारा अतिक्रमण के बारे में चर्चा . . .	१६०२––०९

विषय	पृष्ठ
संविधान (ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, १९६१	१६०९—२३
खंड २, ३ और १	१६२२–२३
पारित करने का प्रस्ताव	१६२३
सभा का कार्य	१६२४
कलिंग एयरलान्इस के बारे में चर्चा	१६२४—२९
दनिक संक्षेपिका	१६३०—३९

अंक १४—बुधवार, ६ दिसम्बर, १९६१/१५ अग्रहायण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६१७, ६१९ से ६२३, ६२३–ख, ६२४, ६२५, ६२५–क, ६२६, ६३० से ६३३ और ६३३–क	१६४१—६५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६१८, ६२३–क, ६२७ से ६२९, ६३४, ६३५, ६३५–क, ६३५–ख, ६३६ से ६३८, ६३८–क, ६३९ से ६४१, ६४१–क, ६४१–ख, ६४२, ६४२–क, ६४३ से ६४५, ६४५–क और ६४५–ख	१६६५—७६
अतारांकित प्रश्न संख्या १३३० से १४१७, १४१९ से १४२५, १४२५–क से १४२५–य और १४२५–कक से १४२५–णण	१६७६—१७३७
निधन सम्बन्धी उल्लेख	१७३७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
केरल कृषक संबंध अधिनियम की क्रियान्विति	१७३७–३८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१७३८–३९
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
इक्यानवैवां प्रतिवेदन	१७३९
प्राक्कलन समिति—	
एकसौ अड़तालीसवां प्रतिवेदन	१७४०
लोक लेखा समिति—	
उन्तालीसवां प्रस्ताव	१७४०
अनुपस्थिति की अनुमति	१७४०
सभा का कार्य	१७४०–४१
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१–६२	१७४१—४५
नयोग (संख्या ५) विधेयक, १९६१—पुरस्थापित और पारित	१७४५–४६

विषय	पृष्ठ
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९६१--	
विचार करने का प्रस्ताव	१७४६—५०
खंड २ और १ . . .	१७५०
पारित करने का प्रस्ताव	१७५०
विश्वभारती (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	१७५१--६०
खंड २ से १६ और १	१७५९-६०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	१७६०
दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक--	
पारित करने का प्रस्ताव	१७६०--६४
खंड २ से ४ और १	६७६३-६४
पारित करने का प्रस्ताव	१७६४
लाख पर निर्यात शुल्क के बारे में	१७५४—६७
दैनिक संक्षेपिका .	१७६८--७७
अंक १५--गुरुवार, ७ दिसम्बर, १९६१/१६ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ६४६, ६४८, ६५१ से ६५८, ६५८-क, ६५९ से ६६२ और ६६५ .	१७७९--१८०२
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ६४७, ६४९, ६५०, ६६२-क, ६६३, ६६४, ६६६, ६६६-क, ६६७ से ६७२, ६७२-क, ६७२-ख और ६७३	१८०२--०९
अतारांकित प्रश्न संख्या १४२६ से १५६५ और १५६५-क	१८१०—७०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों को काम में न लाना	१८७०-७१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१८७२-७३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
कार्यवाही सारांश .	१८७३
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति --	
कार्यवाही सारांश .	१८७३
याचिका समिति--	
कार्यवाही सारांश	१८७३
राज्य सभा से सन्देश	१८७३

विषय	पृष्ठ
याचिका समिति—	
चौदहवां प्रतिवेदन	१८७४
प्राक्कलन समिति—	
एक-सौ चवालीसवां और एक-सौ छियालीसवां प्रतिवेदन	१८७४
याचिका का उपस्थापन . .	१८७४
तारांकित प्रश्न संख्या २४६ के उत्तर में शृद्धि	१८७४
संघ राज्य क्षेत्रों की प्रशासन-व्यवस्था के बारे में वक्तव्य	१८७५–७६
धार्मिक न्यास विधेयक	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित करने का समय बढ़ाना	१८७६
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव	१८७६—१६०२
सभा का कार्य	१६०२
दनिक संक्षेपिका	१६०३—११
अंक १६—शुक्रवार, ८ दिसम्बर, १६६१/१७ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६७४, ६७५, ६८१, ७१६, ६७६, ६८०, ६८२, ७८३, ६८५ से ६८६, ६६१ और ६६७	१६१३—३७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६७७, ६७८, ६७६, ६८४, ६६२ से ६६६, ६६८ से ७००, ७००–क, ७०१ से ७१८ और ७२० से ७२२ .	१६३८—५२
अतारांकित प्रश्न संख्या १५६६ से १७०३ और १७०५ से १७१५ .	१६५२—२०१४
स्थगन प्रस्ताव—	
(१) पूर्व जर्मनी में भारत के कुछ राज्य क्षेत्रों को चीन का भाग दिखाने वाले नकशों का प्रकाशन . . .	२०१४–१५
(२) दिल्ली पुलिस द्वारा ६५ प्रतिशत अपराध के मामलों के दर्ज न किये जाने की सूचना .	२०१५
(३) दामोदर घाटी निगम द्वारा कलकत्ता और उसके उपनगरों को बिजली का न दिया जाना	२०१५–१६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
(१) अगरतला में अग्निकांड से कथित मृत्यु तथा सम्पत्ति की हानि	२०१६
(२) लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की हड़ताल	२०१६–१७

पृष्ठ

(३) कोयम्बटूर में इंजीनियरिंग के कारखानों को कोयला संभरण में कमी . . . . २०१७—१८

सूचना का विषय—

सामान्य चुनाव . . . २०१८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . २०१८—२१

राजखरसवां बड़ाजामदह लाइन को दोहरा करने के बारे में वक्तव्य २०२१

आश्वासनों सम्बन्धी समिति—

कार्यवाही सारांश २०२२

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—

(१) कार्यवाही सारांश . २०२२

(२) तेरहवां प्रतिवेदन . २०२२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . २०२२

प्राक्कलन समिति—

एक-सौ तैंतालीसवां, एक सौ पैंतालीसवां और एक सौ सैंतालीसवां प्रतिवेदन . . २०२२—२३

तारांकित प्रश्न संख्या ४८१ के उत्तर में शुद्धि . . २०२३

व्यापार मंत्रियों की बैठक में सम्मिलित होने के लिये जैनेवा यात्रा के बारे में वक्तव्य २०२३

कैनेडा की एक फर्म के द्वारा मोटर के पुर्जों के संभरण सम्बन्धी सचिवों की एक विशेष समिति के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य . . २०२३

बड़ी-बड़ी रेल दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव २०२३—३२

सभा का कार्य . . २०३२

लौह अयस्क की खानें श्रमिक कल्याण उप-कर विधेयक २०३३—३५

खंड २ से ८ और १ . २०३५

पारित करने का प्रस्ताव

श्री ल० ना० मिश्र २०३५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति इक्यानब्बेवां प्रतिवेदन . . . २०३५—३६

गोआ, दमन और दीव से पुर्तगालियों को हटाने के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . . . . . २०३६—३८

लोक सभा के सदस्यों की वेश भूषा के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . २०३८—४२

विषय	पृष्ठ
अनिवार्य सैनिक शिक्षा के बारे में संकल्प .	२०४२—५४
ईसाई धर्म प्रचारकों के बारे में आधे घंटे की चर्चा	२०५५—६०
दैनिक संक्षेपिका . .	२०६१—७३
पन्द्रहवें सत्र की कार्यवाही संक्षेप	२०७३—७५

नोट: मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GMGIPND—LS III—1651(AI)LS—11-1-62—125.

लोक-सभा

मंगलवार, ५ दिसम्बर, १९६१
१४ अग्रहायण, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नागाओं की हिरासत में विमान-चालक

+

†*५६८. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री आसर :
श्री हेम बरुआ :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागाओं की हिरासत में ४ विमान-चालक इस बीच छोड़ दिये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उनको छुड़ाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) उत्तर देना जनहित में नहीं है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : एक पूर्व अवसर हमें बताया गया था कि नागाओं की हिरासत में इन चार विमान-चालकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है; मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह पता है कि उनको इस समय कहां रखा गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

1639 (Ai) LSD—1.

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैं उत्तर दे चुका हूं। कोई जानकारी देना इन व्यक्तियों के हित में नहीं है और लोक-हित में नहीं है।

†**श्री नाथ पाई** : १५ महीनों से अधिक समय से ये विमान चालक नागा बिद्रोहियों की हिरासत में हैं। हर बार प्रश्न पूछा जाता है और मंत्री महोदय का यह उत्तर होता है कि कोई जानकारी देना जन-हित में नहीं है। कम से कम हमें 'जन हित' की परिभाषा का पता चलना चाहिये। आप हमारी सहायता करें। इस मामले में 'जन हित' में सरकार की अकर्मण्यता नहीं छिपानी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य मंत्री महोदय से क्या कहलवाना चाहते हैं? मंत्री महोदय कह सकते हैं "हमें वे वापस मिल गये अथवा हमें वे वापस नहीं मिले हैं।" वह यह कह सकते हैं "मैं सभी सम्भव उपाय कर रहा हूं" आदि। क्या वह हमें बारी बारी से बतायें कि वह समय समय पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं। क्या यह कहने से 'जन हित' का मतलब पूरा हो जायगा "फलां ने मुझे यह बताया है कि वे उस स्थान पर हैं; हम कुछ और व्यक्ति भेजने का प्रयत्न कर रहे हैं; हम किसी की सहायता प्राप्त कर रहे हैं आदि"? क्या ऐसी जानकारी से वहां पर उन व्यक्तियों को कष्ट नहीं दिया जायेगा ? (**अन्तर्बाधा**) शान्ति, शांति। मैं नहीं समझता कि मंत्री महोदय कोई जानकारी रोकना चाहते हैं और जो कुछ उचित जानकारी वह सदन को दे सकते हैं, उन्होंने दे दी है। प्रत्येक माननीय सदस्य अपने आपको प्रतिरक्षा मंत्री की हैसियत में रख कर उस पर विचार करें। मझे उनसे पूछने पर कोई आपत्ति नहीं है परन्तु प्रश्न यह है कि क्या ऐसा करना उचित है।

†**श्री नाथ पाई** : राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में हम उत्तर चाहेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं है। यह उन चार व्यक्तियों के हित में है। हम उन्हें वापस लेना चाहते हैं या नहीं ? कोई अधिकारियों पर अभियोग नहीं लगा सकता। माननीय सदस्यों का उद्देश्य यह है कि उनको छड़ाने के लिये सारे कदम उठाये जायें।

†**श्री जगदीश अवस्थी** : प्रश्न यह है कि वे जिन्दा हैं या मर गये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या प्रतिरक्षा मंत्री को पता है कि वे जीवित हैं या मर गये हैं।

†**श्री कृष्ण मेनन** : ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है। कि वे मर गये हैं अथवा उनके साथ बुरा बर्ताव हुआ है। परन्तु यदि इस मामले पर कोई बात कहने का उनके हितों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है तो सरकार का ख्याल है कि उसे खामोश रहना चाहिये। मुझे यकीन है कि आप स्थिति को समझते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे यकीन है कि सरकार उनको छड़ाने के लिये सब कदम उठा रही है।

†**श्री कृष्ण मेनन** : जी, हां।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य और क्या चाहते हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : इस मामले पर काफी गलतफहमी हुई है । प्रतिरक्षा मंत्रालय ने कैप्टन मिश्रा के पिता को सूचित कर दिया है कि इन चार भारतीय वायु सेना के व्यक्तियों को छुड़ाने का कार्य, जो नागा बिद्रोहियों की हिरासत में हैं, असैनिक अधिकारियों को सौंप दिया गया है । मैं समझता हूं कि असैनिक अधिकारी, जो सामान्यतः उनको छुड़ोन अथवा उनकी मुक्ति का आदेश देन के लिये कलम का सहारा लेते हैं और अतः .....

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार की सामान्य बात कहने का क्या लाभ है ?

†**श्री हेम बरुआ** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन व्यक्तियों को जो नागा विद्रोहियों की हिरासत में हैं, छुड़ाने का कार्य इस समय असैनिक अधिकारियों को सौंपा गया है अथवा सौंपा गया था । और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रतिरक्षा मंत्री अपने अधिकारियों के जरिये इन लोगों को मुक्त कराने का प्रयत्न क्यों नहीं करते हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैं इस मामले में आपकी सहायता चाहता हूं । यह कार्य हमारे अधिकारियों का है या अन्य अधिकारियों का ? यदि यह असैनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य उसके लिये प्रयत्न नहीं कर रहे हैं । अन्ततः ये व्यक्ति विरोधी नागाओं के हाथ में बन्दी हैं । यदि कार्यवाही की जाती है और उससे उनकी मुक्ति नहीं हो पाती है तो समस्त वर्तमान तथा भावी प्रयत्न ब्यर्थ जायेंगे । सरकार ऐसे प्रयोजनों के लिये सेना के लोगों से भी काम ले सकती है । अन्ततः ये वैमानिक सेना के व्यक्ति हैं इसलिये सरकार उनको मुक्त कराने के लिये समस्त संभावित कदम उठा रही है । मेरे पास जो सूचना है वह मैं देने के लिये सर्वथा तैयार हूं परन्तु अभी मैं और कुछ नहीं बता सकता क्योंकि वह लोक हित अथवा बन्दियों के हित में नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं । प्रतिरक्षा उपमंत्री श्री रघुरामैया ने कैप्टेन मिश्र के पिता को यह सूचना दी थी कि इन चार वैमानिकों की मुक्ति का कार्य असैनिक प्राधिकारियों को सौंपा गया था । अब प्रतिरक्षा मंत्री कहते हैं कि वह इसके सम्बन्ध में सूचना प्रकट नहीं कर सकते । अतः मेरा औचित्य प्रश्न यह है कि जब इस प्रकार का पत्र लिखा गया था तो प्रतिरक्षा मंत्री सभा से यह सूचना क्यों छिपाना चाहते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वह व्यक्ति इनमें से एक बन्दी का पिता है ?

†**श्री हेम बरुआ** : जी, हां ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसमें कोई औचित्य प्रश्न नहीं है । यदि एक कैप्टेन का पिता अपने पुत्र के सम्बन्ध में बहुत आतुर था तो उसे कुछ निजी सूचना देना एक चीज़ है और संसद् सदस्यों को प्रसारित करना सर्वथा भिन्न चीज़ है । यदि असैनिक अधिकारी अधिक समर्थ होंगे तो उन्हें ही वह कार्य सौंपा जायेगा । परन्तु सरकार स्थिति पर निरन्तर दृष्टि रखे हुए है । मैं समझता हूं कि इस प्रकार के प्रश्न करने अथवा औचित्य प्रश्न उठाने से कोई लाभ नहीं होगा । हमें इस बात का निर्णय सरकार पर छोड़ देना चाहिये कि क्या कदम उठाए जाने चाहिये । माननीय प्रतिरक्षा मंत्री माननीय सदस्यों की प्रश्न करने की आतुरता से यह भली प्रकार समझ गए हैं

---

†मूल अंग्रेजी में

कि यह मामला बहुत गंभीर समझा जाता है। मुझे विश्वास है कि वह समस्त संभव कदम उठायेंगे । अब मैं इस विषय पर और प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा ।

कुछ माननीय सदस्य उठे —

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं स्थिति समझता हूं। उसमें कोई गड़बड़ नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ :** मैं प्रचार नहीं करना चाहता वरन् ईमानदारी से ऐसा कह रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्हें स्पष्टीकरण करने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि मैं उन्हें गलत नहीं समझ रहा हूं ।

श्रीमती मफीदा अहमद उठीं—

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस पर और प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा । अगला प्रश्न ।

पाकिस्तानी राष्ट्रजनों द्वारा पश्चिम बंगाल में अवैध प्रवेश

†*५६९. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, १९६१ से पाकिस्तानी राष्ट्रजनों ने बड़ी संख्या में पश्चिम मंगाल में अवैध रूप से प्रवेश किया है ;

(ख) यदि हां, तो अक्तूबर, १९६१ के अन्त तक उनकी महीने-वार संख्या क्या है ;

(ग) पश्चिम बंगाल में अवैध प्रवेश करने वालों के विरुद्ध क्या कदम उठाये गये ; और

(घ) भविष्य में उनके अवैध प्रवेश को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

(गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). ऐसे पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

जुलाई, १९६१ . . .	४११
अगस्त, १९६१ . . .	३७९
सितम्बर, १९६१ . . .	४०६
अक्तूबर, १९६१ . . .	३६६

(ग) उन सबको प्राभियोजित किया गया है और उनमें से ६३१ को दोष सिद्धि के पश्चात् पाकिस्तान वापस भेज दिया गया है। शेष व्यक्ति या तो जेल काट रहे हैं या उनके मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं ।

(घ) सीमान्त पर पहरा बढ़ा दिया गया है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि आगामी निर्वाचन के कारण पाकिस्तानयों द्वारा भारतीय नागरिकता की अधिकाधिक मांग की जा रही है और कृष्णनगर जैसे छोटे से स्थान से हाल के महीनों में ऐसे ५०० मामले आए हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : जब भारतीय नागरिकता के लिये प्रार्थनायें प्राप्त होती हैं तो उन पर विचार किया जाता है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : सीमान्त को दो क्षेत्रों में विभाजित करने की एक योजना थी जिसमें पश्चिम बंगाल सीमान्त पर बहुत अधिक पुलिस रखी जानी थी। जो निर्णय किये गये थे उनके क्रियान्वयन के लिये क्या क़दम उठाये गये हैं ?

†**श्री दातार** : सरकार ने सीमान्त की देखभाल के लिये समस्त कदम उठाये हैं ।

श्री विभूति मिश्र : हमारी सरकार की सतर्कता के बावजूद पाकिस्तानी वैस्ट बंगाल और आसाम में घुस आते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस दिशा में कोई कड़ी कार्रवाई करने की सोच रही है ?

†**श्री दातार** : जैसा कि मैं बता चुका हूं, सरकार काफी सतर्क है। जब कोई व्यक्ति बिना उचित यात्रा-पत्रों के पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जाती है ।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार इस अनधिकृत प्रवेश को पाकिस्तान सरकार द्वारा संगठित समझती है, अथवा लोग व्यक्तिगत आधार पर आ रहे हैं ?

†**श्री दातार** : यह बहुत बड़ा सवाल पूछा गया है। मैं यह कहूंगा कि जब कभी ऐसा अनधिकृत प्रवेश होता है तो सरकार कड़ी कार्यवाही करती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या लोगों के सामूहिक रूप से आने के पीछे कोई रहस्य है ?

†**श्री दातार** : यह ठीक है कि वे बहुत बड़ी संख्या में आते हैं परन्तु उनके विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जाती है ।

†**श्री त्यागी** : उनका उद्देश्य क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वे रोजगार आदि की तलाश में आ रहे हैं अथवा उनका इरादा यह है कि इतने लोग यहां आ कर एक स्थान में बस जायें और उनका बहुमत हो जाये और सरकार उनके हाथ में आ जाये ? क्या वे इस देश में एक और पाकिस्तान बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

†**श्री दातार** : यह ठीक है कि कभी कभी वे आते हैं परन्तु उनके विरुद्ध तुरन्त ही कार्यवाही की जाती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सरकार का इतने लोगों के बिना पारपत्र के आने के सम्बन्ध में क्या विचार है ? क्या वह इसके पीछे कोई चाल समझती है ?

†**श्री दातार** : मैं आपका प्रश्न समझता हूं परन्तु मेरा निवेदन है कि कोई सामान्य अर्थ लगाना कठिन होगा। परन्तु इतना सच है कि भारत की परिस्थितियां अन्यत्र से कहीं अधिक अच्छी हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : पिछले चार या पांच महीनों में जो १५०० व्यक्ति आए हैं क्या वे पारपत्र ले कर आए थे और ठहर गये अथवा वे बिना पारपत्र के आए थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार :** इन मामलों में विदेशी कानून के अन्तर्गत विभिन्न अपराध हैं। वे बिना पार पत्र के आते हैं अथवा बिना वीसा के। कुछ मामलों में वे विदेशों से सम्बन्धित नियमों और कानूनों का अतिक्रमण करके आते हैं।

†**श्री फ गो० सेन :** इन सीमान्तों की देखभाल पहले होमगार्डों द्वारा की जाती थी। क्या वही अब भी यह कार्य कर रहे हैं अथवा उनके स्थान परनियमित सैनिक रख दिए गए हैं ?

†**श्री दातार :** वहां हमारी चौकियां हैं और जब कोई व्यक्ति बिना उचित कागजात के प्रवेश कर का प्रयत्न करता है तो उसे तुरन्त गिरफ्तार कर लिया जाता है।

†**श्री हेम बरुआ :** माननीय मंत्री ने कहा कि जब कोई व्यक्ति हमारे प्रदेश में घुस आता है तो उसे पकड़ लिया जाता है और उसके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही की जाती है। सरकार ने सीमान्त की रक्षा के लिये क्या कदम उठाए हैं ताकि अनधिकार प्रवेश न किया जा सके ?

†**श्री दातार :** सरकार ने समस्त सीमान्त की चौकसी के लिये विभिन्न कदम उठाए हैं।

†**श्री बसुमतारी :** क्या किन्हीं मामलों में बंगाल और आसाम के नागरिकों ने पाकिस्तान के लोगों को बंगाल अथवा आसाम में प्रवेश करने के लिये प्रोत्साहित किया है ?

†**श्री दातार :** : यह एक बड़ा प्रश्न है।

†**श्री त्यागी :** क्या जांच के दौरान सरकर को ऐसे मामले मिले हैं जिनमें भारतीय नागरिकों ने इन लोगों को शरण दी है ?

†**श्री दातार :** कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि प्रायः वे सम्बन्धी होते हैं।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या सरकार को यह ज्ञात है कि सैनिक मुख्यालय तक में अनधिकार प्रवेश हुआ है ? क्या सरकार को इसके सम्बन्ध में कोई सूचना है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** मैं ऐसा नहीं समझता हूं। माननीय सदस्य की सूचना गलत मालूम होती है। यह कदापि संभव नहीं है क्योंकि हमेशा कड़ी छानबीन की जाती है। जहां तक सामान्य प्रश्न का सम्बन्ध है, पश्चिम बंगाल में, जैसा कि सभा ने संभवतः देख लिया होगा, उनकी संख्या अधिक नहीं है। आसाम में उनकी संख्या अवश्य अधिक है। पश्चिम बंगाल सरकार इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करती रही है। मैं समझता हूं कि सभा को इस मामले में भयभीत नहीं होना चाहिये।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन):** इस सिलसिले में माननीया सदस्या ने सैनिक मुख्यालय की ओर निर्देश किया। यदि माननीया सदस्या के पास कोई सूचना हो तो हम उसे प्राप्त करना चाहेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि माननीया सदस्या के पास कोई सूचना हो तो वह उसे प्रतिरक्षा मंत्री को भेज दें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** मेरे पास थोड़ी सी सूचना है जो मैं सभा में नहीं देना चाहती हूं। परन्तु उसे उनके पास भेज अवश्य दूंगी।

†**अध्यक्ष महोदय :** उसे प्राइवेट तौर से भेजने में कोई हानि नहीं है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की काम की दशा

+

*५७०. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री वी० चं० शर्मा : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ७ सितम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के कार्य की दशा के सम्बन्ध में नियुक्त अन्त: विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट इस बीच मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस रिपोर्ट की एक प्रति तथा उसकी सिफारिशों पर किये गये निश्चयों को बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो उस समिति का कार्य कब तक समाप्त हो जाने की आशा है; और

(घ) उसके कार्य में इतनी देरी होने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) से (ग) तक. समिति की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और आशा की जाती है कि शीघ्र ही रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(घ) इस समिति के सदस्य जो विभिन्न मंत्रालयों से लिये गये हैं अपने सामान्य कर्त्तव्यों के अतिरिक्त इस समिति का कार्य कर रहे हैं। इस समिति की जांच का क्षेत्र विस्तृत है जिसके लिये बहुत सामग्री एकत्रित करनी है और देश के विभिन्न भागों में स्थित कार्यालयों को जा कर देखना है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की अवस्था अधिकांश संख्या खास कर चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की अवस्था बहुत असन्तोषजनक है जिसके कि कारण उनके बीच में बहुत असन्तोष फैल रहा है और इसलिये क्या गवर्नमेंट यह उचित नहीं समझती है कि जल्दी से जल्दी इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त की जाय और उस पर अमल किया जाये ?

श्रीमती आल्वा : माननीय सदस्य जितना असन्तोष उनमें बतलाते हैं उतना असन्तोष तो नहीं है लेकिन तो भी इस समिति की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी अर्थात् दिसम्बर के अन्त तक प्राप्त हो जायेगी।

श्री बलराज मधोक : क्या यह सत्य है कि चतुर्थ श्रेणी के बहुत से कर्मचारी जो मैट्रिक तथ हायर शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं उनके लिये प्रमोशन का कोई रास्ता नहीं खुला है और इस कारण

---

†मूल अंग्रेजी में

उनके अन्दर बड़ा असन्तोष फैला हुआ है और क्या उसको दूर करने के लिये उनको प्रमोशन देने की कोई योजना गवर्नमेंट के सामने है ?

†**श्रीमती आल्वा** : यह एक सर्वथा भिन्न प्रश्न है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इस समिति के मुख्य निर्देशपद क्या हैं और क्या वे केवल कार्य की दशाओं—कार्य के घंटों, कार्य के स्थान आदि—तक सीमित हैं अथवा सेवाशर्तों के कुछ पहलू भी सम्मिलित होंगे ?

†**श्रीमती आल्वा** : वह सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिये एक व्यापक प्रयत्न होगा ।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : समिति का प्रतिवेदन किस स्तर पर तैयार होगा, विभागीय स्तर पर अथवा अन्तर्मंत्रालय स्तर पर ?

†**श्रीमती आल्वा** : वह अन्तर्मंत्रालय स्तर पर ही है । परन्तु समस्त भारत में अनेक स्थानों का दौरा किया जाता है और जैसा कि मैं अपने उत्तर में बता चुकी हूं इसमें कुछ समय लगेगा । फिर भी प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार हो गया है । संभवत: दिसम्बर के अन्त तक वह प्रतिवेदन हमारे हाथों में आ जायेगा ।

श्री विभूति मिश्र: क्या मैं जान सकता हूं कि यह सरकार अपने सब कर्मचारियों की तनख्वाहें आदि बढ़ाने के ही सवाल पर गौर कर रही है अथवा इस पर भी ध्यान दे रही है कि यह लोग आज कितना काम करते हैं और यह कि उनसे किस तरह से ठीक से काम लिया जाय ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के पास इसके बारे में कोई जवाब है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): जी हां । माननीय सदस्य ने बहुत मुनासिब बात की तरफ ध्यान दिलाया है और मैं चाहता हूं कि हमारे दोस्त जो उधर बैठे हैं वे भी आप के प्रश्न की तरफ अधिक ध्यान दें ।

श्री भक्त दर्शन : मंत्राणी महोदया ने अभी बतलाया कि दिसम्बर के अन्त तक इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी तो क्या यह आशा की जा सकती है कि देर से देर मार्च तक इस पर गवर्नमेंट का निर्णय हो जायेगा ताकि अगले आर्थिक वर्ष में इसको लागू किया जा सके ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी हां, हम जरूर कोशिश करेंगे कि इस रिपोर्ट के आने के बाद उस पर जल्दी कार्यवाही की जाय क्योंकि वेलफेयर ऐक्टिविटीज ऐसी हैं कि उनमें हम जितनी जल्दी उनकी मदद कर सकें करनी चाहिये ।

†**श्री नाथ पाई** : उपमंत्री ने कहा कि यह जांच बहुत व्यापक है । यह सुनकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई । क्या उसका तात्पर्य इन कर्मचारियों के ट्रेड यूनियन अधिकारों से है ? क्या वह व्हिटले काउन्सिलों जैसे अन्य मामलों पर भी विचार करेगी और यदि हां, तो इस जांच का प्रस्तावित विधान से क्या संबंध है जो गृहमंत्री ने सभा में पेश करने का वचन दिया था ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री**: इसका उससे कोई संबंध नहीं है । मुख्यत: समिति का कार्य कल्याण कार्यों पर सामान्य नजर रखना, विभिन्न विभागों का अनुभव एक दूसरे को उपबन्ध कराना, सहकारी समितियों और अन्य कल्याण संगठनों को दी गई सहायता के स्वरूप में कुछ एकरूपता रखना और सरकार को सामान्यत: कल्याण नीतियों और कार्यक्रमों पर सलाह देना होगा ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या विभिन्न सेवा संघों और यूनियनों को भी इस समिति के समक्ष विभिन्न मामलों पर साक्ष्य पेश करने की अनुमति दी गई थी ?

†**श्रीमती आल्वा** : यह इस प्रश्न के संबंध में उत्पन्न नहीं होता है। यह वास्तव में कर्मचारियों के कल्याण के लिये है । उसमें कार्य की शर्तें, कर्मचारियों का पुनर्स्थापन, बकाया राशियां, छुट्टी, उपदान, आवास स्थान, बच्चों की शिक्षा की सुविधायें, चिकित्सा सुविधायें, परिवहन, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्य, सहकारी ऋण, सहकारी उपभोक्ता स्टोर, उपकार निधि आदि सभी सम्मिलित हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य केवल प्रक्रिया के संबंध में जानना चाहते हैं। वह यह जानना चाहते हैं कि क्या इससे प्रभावित लोगों को अभ्यावेदन करने की, यदि वे वैसा करना चाहते हों, व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्यथा अनुमति दी जाती है ?

†**श्रीमती आल्वा** : वे ऐसा संघों के माध्यम से कर सकते हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं यही पूछ रहा था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न---श्री राम कृष्ण गुप्त---अनुपस्थित । अगला प्रश्न ---श्री दी चं० शर्मा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : प्रश्न संख्या ५७२ ।

†**श्री तंगामणि** : प्रश्न संख्या ५८८ भी इसके साथ ले लिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह भी लिग्नाइट के संबंध में है। उसका भी उत्तर दे दिया जाये ।

लिग्नाइट

†***५७२. श्री दी०चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, १९६१ में निवेली में खुली खान के दक्षिण छोर की ओर १८० फुट की गहराई में एक लिग्नाइट की तह का पता चला है ; और

(ख) वहां पर उपलब्ध लिग्नाइट का गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) और (ख). आवश्यक सूचना प्रदाने करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

निवेली में लिग्नाइट की तह का खुदाई के लिये पता सर्वप्रथम अगस्त, १९६१ में १८० फीट की गहराई पर लगा था । इस तह से निकाले गये लिग्नाइट पर किये गये परीक्षणों से मालूम होता

---

†मूल अंग्रेजी में

है कि लिग्नाइट की किस्म अच्छी है। इससे देश में और विदेशों में बड़े नमूनों पर किये गये पहले परीक्षणों के परिणामों की पुष्टि होती है। वर्तमान विश्लेषण के परिणाम नीचे दिये गये हैं :—

	प्रतिशत
नमी	५१.५५
उड़ने वाला पदार्थ	२४.११
भस्म	२.७९
फिक्स्ड कार्बन	२१.५५

कैलोरिफिक मूल्य :

(क) के० कैल० /किलोग्राम	३,०९०
(ख) बी० टी० यू० /पौंड	५,५६१

निवेली और उसके आसपास के १०० वर्गमील क्षेत्र में लिग्नाइट की मात्रा का अनुमान लगभग २०,००० लाख टन लगाया जाता है।

लिग्नाइट

†*५८८. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निवेली के लिग्नाइट का उपयोग करके सैलम के लौह अयस्क से लोहा तैयार किये जाने की संभवना के बारे में नार्वे में तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा किये गये परीक्षणों का क्या नतीजा निकला है ; और

(ख) वह पूर्व जर्मनी के परीक्षणों के मुकाबले में कैसा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

नार्वे में इलेक्ट्रिक लो शैफ्ट फर्नेस में सलेम के लौह अयस्क और निवेली के लिग्नाइट से किये गये प्रारम्भिक प्रयोगशाला के पैमाने के परीक्षणों से यह आशा उत्पन्न हुई थी कि सलेम का लौह अयस्क लोहा बनाने के उपयुक्त है।

नार्वे में पायलट प्लांट परीक्षण की व्यवस्था की जा रही है। मद्रास सरकार ने भी २००० टन निवेली का लिग्नाइट और २५० टन सलेम का लौह अयस्क पूर्व जर्मनी को भेजने की व्यवस्था की है जहां लो शैफ्ट फर्नेस में बड़े पैमाने के वाणिज्यिक परीक्षण किये जायेंगे। जब तक इन परीक्षणों के परिणाम न ज्ञात हों तब तक नार्वे और पूर्व जर्मनी में किये गये परीक्षणों की तुलना नहीं की जा सकती है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इन खानों का खोज कार्य कब तक समाप्त होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : लिग्नाइट तो मिल चुका है और उनके निक्षेप प्रमाणित हो चुके हैं। अब हम खनन की अवस्था में हैं और यह खोज कर रहे हैं कि खान कहां बनाई जाये ; अन्यथा उसमें कोई खोज कार्य नहीं है।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या नार्वे में संचालित परीक्षण के परिणाम पूर्व जर्मनी में संचालित परीक्षण के परिणामों से अधिक अच्छे रहे हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : परीक्षण तो परीक्षण हैं और हमें दो देशों की ऐसी तुलना नहीं करनी चाहिये कि कौन बढ़िया है और कौन घटिया। इन परीक्षणों से कुछ नये पहलू सामने आये हैं।

†**श्री तंगामणि** : क्या मद्रास सरकार ने २००० टन निवेली का लिग्नाइट और २५० टन सलेम का लौह अयस्क पूर्व जर्मनी भेजा है और यदि हां, तो परीक्षण का परिणाम क्या है और क्या वह नार्वे में किये गये परीक्षण के परिणामों की पुष्टि करता है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मुझे यह नहीं मलूम है कि क्या परिणामों की सूचना मिल गई है। वे लिग्नाइट भेजने का प्रबन्ध कर रहे थे। कुछ भेज भी दिया गया था। जब मैं दो महीने पहले वहां था तो उसे बोरों में भरा जा रहा था।

†**श्री तंगामणि** : विवरण से ज्ञात होता है कि १०० वर्ग मील के क्षेत्र में लिग्नाइट उपलब्ध है और उसकी मात्रा का अनुमान २०,००० लाख टन लगाया जाता है। अब कितने क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, प्रतिवर्ष कितनी मात्रा के निकाले जाने की संभावना है और क्या समस्त क्षेत्र में खनन करने का विचार है और यदि हां, तो उसका माप कितना है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : माननीय सदस्य को यह सारी सूचना तीसरी योजना में मिल जायेगी। हमने इस खान के विकास के विभिन्न प्रक्रमों के सम्बन्ध में समय समय पर विस्तृत सूचना दी है और हमने विस्तार कार्यक्रम भी बताया है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : नार्वे और पूर्व जर्मनी में जो परीक्षण हो रहे हैं क्या उनके अतिरिक्त जमशेदपुर की लो शैफ्ट फर्नेस में भी कोई परीक्षण किए जा रहे हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : कुछ परीक्षण किए गए थे। अब हम अग्रिम अवस्था में हैं इसलिए इन परीक्षणों को अग्रिम पैमाने पर संचालित करना आवश्यक था, प्रयोगशाला के पैमाने पर नहीं।

†**श्री दामानी** : क्या वर्तमान उत्पादन देश की आवश्यकता पूरी कर के निर्यात की मांग की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : किस वस्तु का उत्पादन ?

†**श्री दामानी** : लिग्नाइट का।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : हम अधिक लिग्नाइट का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। माननीय सदस्य को यह जानना चाहिए कि अभी केवल राजस्थान में थोड़ा सा लिग्नाइट निकाला जा रहा है क्योंकि निवेली की लिग्नाइट खान में अभी उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ है। जहां तक आवश्यकता का सम्बन्ध है, हमारे देश की ईंधन सम्बन्धी आवश्यकतायें इतनी

---

†मूल अंग्रेजी में

अधिक हैं कि हम अपने ईंधन संसाधनों का आवश्यकता से अधिक विकास कभी नहीं कर सकते हैं। लिग्नाइट ऐसी वस्तु है जिसे निकाले जाने पर काम में लाना होगा । वह कोयले की तरह नहीं है कि आप बड़ी मात्रा में खनन कर के दूर के स्थानों को भेज सकें । लिग्नाइट के सम्बन्ध में ऐसा संभव नहीं है ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या लिग्नाइट के खनन की प्रगति इस वर्ष के अन्त में तापीय संयंत्र चालू करने के कार्यक्रम के अनुकूल है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह**: मैं समझता हूं कि खनन भाग विद्युत् संयंत्र के आगे है। तापीय विद्युत् संयंत्र के लिए कुछ आवश्यक पुर्जे मिलने में कुछ कठिनाइयां हैं । यदि तापीय विद्युत् केन्द्र तैयार हो जाता तो खान प्रायः तैयार है । अभी तो तापीय केन्द्र के निर्माण कार्य की पूर्ति में विलम्ब ही मार्ग में बाधक हो रहा है ।

धार्मिक स्थान

†*५७४. +
- **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
- **श्री बी० चं० शर्मा :**
- **श्री हेम राज :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने धार्मिक स्थानों में राजनीतिक तथा विद्रोहात्मक कार्यवाहियां करने और उनका अपराधियों और अवैध अस्त्रों को रखने के लिये इस्तेमाल करने के बारे में की जाने वाली कार्यवाही के बारे में विचार कर लिया है और कोई निष्कर्ष निकाल लिया है ; और

(ख) इस दिशा में यदि कोई आदेश जारी किये गये हैं, तो वे क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) किसी मामले में क्या कार्यवाही की जानी चाहिए इसका विचार करना वास्तव में सम्बन्धित राज्य सरकार का कार्य है। परन्तु भारत सरकार धार्मिक स्थानों का ऐसे प्रयोजनों के लिए काम में लाया जाना वांछनीय नहीं समझती है ।

(ख) इस विषय पर भारत सरकार द्वारा कोई अनुदेश जारी किया जाना आवश्यक नहीं है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या भारत सरकार को यह ज्ञात है कि अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर में अभी भी अपराधियों को शरण दी जाती है और यदि हां, तो इस मामले में भारत सरकार का दृष्टिकोण क्या है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिये कि पंजाब सरकार ने अनेक गुरुद्वारों के सम्बन्ध में जिनमें उन्होंने उचित समझा, कार्यवाही की है और ऐसी स्थिति में, जसा कि मैं अपने उत्तर में बता चुका हूं, इस मामले को राज्य सरकार पर छोड़ देना ही वांछनीय होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम राज** : यदि घोर अपराध करने वाले व्यक्तियों को वहां शरण दी जाती है तो क्या सरकार इन मन्दिरों में प्रवेश पाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कोई अधिक अच्छा कानून बनाने का विचार करेगी ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं समझता हूं कि किसी नए कानून की आवश्यकता नहीं है। सरकार के पास ऐसे मामलों का सामना करने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं और जैसा कि मैं बता चुका हूं, पंजाब सरकार ने कुछ गुरुद्वारों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की भी है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : चूंकि यह अखिल भारतीय प्रश्न है इसलिए क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को इस समस्या के सम्बन्ध में अधिक प्रभावपूर्ण कार्यवाही करने के लिये कोई अनुदेश जारी करेगी ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के दृष्टिकोण से भली प्रकार परिचित हैं। इसलिए किसी विशेष निदेश की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : जब सभा के पिछले सत्र में यह प्रश्न उठाया गया था तो गृह-मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि वह इस मामले में कुछ आवश्यक कदम उठायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : वास्तव में किन्हीं कदमों के उठाए जाने की आवश्यकता नहीं थी। जैसा मैंने बताया, पंजाब सरकार ने स्वयं कुछ कार्यवाही की थी । ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा किसी अग्रेतर कार्यवाही की जरुरत नहीं पड़ी।

†**श्री हेम राज** : जब यहां राष्ट्रीय एकता सम्मेलन हुआ था तो क्या समस्त राजनैतिक दलों द्वारा इस मामले पर विचार किया गया था और यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया था ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : इस मामले की चर्चा हुई थी परन्तु कोई खास निर्णय नहीं किया गया था। परन्तु सामान्य मत यह मालूम होता था कि धार्मिक स्थानों को राजनैतिक प्रयोजनों के लिए काम में नहीं लाया जाना चाहिए।

†**श्री त्यागी** : क्या हम यह समझें कि इस सम्बन्ध में अन्य धार्मिक स्थानों जैसे मन्दिर, मस्जिद और गिरजाघरों के साथ भी गुरुद्वारों जैसा ही व्यवहार किया जाता है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं त्यागी जी से पूर्णतः सहमत हूं।

†**श्री हेडा** : क्या यह सच है कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने अपने अन्तर्गत मस्जिदों को यह हिदायत जारी की है कि मस्जिदों को राजनैतिक प्रयोजनों के लिए काम में नहीं लाया जाना चाहिये ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : क्या माननीय सदस्य का तात्पर्य यह है कि वक्फ बोर्ड ने वैसा निर्णय किया है ?

†**श्री हेडा** : इस आशय की एक खबर छपी थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मुझे कोई सरकारी सूचना नहीं मिली है । परन्तु मैं इसके सम्बन्ध में जांच करूंगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या भारत सरकार को उन धार्मिक स्थानों की जानकारी है जिन्हें यह विशेषाधिकार प्राप्त है, अर्थात् वे स्थान जिनमें सरकार का रिट लागू नहीं होता है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता । सरकार किसी भी धार्मिक स्थान के सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकती है जहां वह उचित समझे ।

तेल की खोज

+

†*५७५. **श्री इन्द्रजीत सिंह गुप्त** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अगाड़ी :
श्री सुगन्धि :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २२ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७८६ और ७९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में तेल की खोज और उसको निकालने के लिये शेष विदेशी पक्षों के साथ बातचीत में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : २९ अगस्त, १९६१ को इटली के ई० एन० आई० के साथ एक करार हुआ था । उसके अनुसार ई० एन० आई० ने सरकारी क्षेत्र में पेट्रोलियम परियोजनाओं की स्थापना के लिए ६० बिलियन इतालवी लायर (४६.१५ करोड़ रु०) देने का वचन दिया था । एक करार फ्रांसीसी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के साथ भी किया गया था जिसके अनुसार संस्था राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में पेट्रोल की खोज करने में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के साथ मिल कर काम करेगी । अन्य संबन्धित व्यक्तियों से बातचीत हो रही है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इन दो परियोजनाओं के अतिरिक्त जिनका उल्लेख अभी किया है, अर्थात्, जैसलमेर क्षेत्र में तेल की खोज करने में सहयोग देने वाली फ्रांसीसी पेट्रोलियम संस्था और ई० एन० आई० सरकारी क्षेत्र में पेट्रोलियम परियोजना में स्थापित करने में सहायता करने वाली के अतिरिक्त और कोई परियोजनाएं हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : जैसलमेर परियोजना में फ्रांसीसी पेट्रोलियम संस्था सहायता दे रही है । ई० एन० आई० बरौनी से कलकत्ता और बरौनी से दिल्ली के उत्पाद पाइप लाइन, गैस निकालने का संयंत्र, तरल पेट्रोलियम **गैस** और डिस्ट्रीब्यूशन प्लान्ट, चिकनाई वाला तेल का संयंत्र, और सामान के उत्पाद तथा विभाजन में सहयोग दे रही है । इसके अतिरिक्त, यदि भविष्य में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करना संभव समझा जाये, तो उसकी संभावना पर भी विचार किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या सरकार का विचार तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक और तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का है ? यदि हां, तो इसे योजना में क्यों सम्मिलित नहीं किया गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जहां तक मेरा विचार है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में और कोई तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का नहीं है । परन्तु शायद तीसरी योजना के अन्त में, जबकि स्थिति कुछ अधिक स्पष्ट हो जायेगी, हम गुजरात तेल शोधक कारखाने के अतिरिक्त एक और कारखाना स्थापित करने की योजना बनायें ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या ये सहयोगी विचाराधीन चिकना तेल संयंत्र बनाने में, अर्थात बरौनी संयंत्र के अतिरिक्त दूसरा संयंत्र स्थापित करने में सहयोग देंगे ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : हां, यही विचार है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : यदि हां, तो यह कहां स्थापित होगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : हमारे विचारार्थ परियोजना की रिपोर्ट तैयार करनी है और विभिन्न अन्य प्रस्तावों पर भी विचार करना होगा । परन्तु साधारणतया हमारी इच्छा यह है कि चिकना तेल संयंत्र तेल शोधक कारखाने या तेल-क्षेत्र के यथा समीप बनाया जाये ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि ई० एन० आई० ने हमें १० करोड़ डालर की वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव दिया है और, यदि हां, तो क्या साझेदारी के आधार पर कोई प्रस्ताव किया गया है और यदि नहीं, तो क्या किसी अन्य पार्टी ने ऐसा कोई प्रस्ताव किया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : ई० एन० आई० से सहायता पाने की इस योजना में साझेदारी की कोई व्यवस्था नहीं है । यह ऋण और टेक्निकल सहायता के बारे में हमारे साथ सीधा करार है । साझेदारी का कोई प्रश्न नहीं है ।

†**श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या यह सच है कि बड़ौदा में लगभग ५०० मीटर की गहराई पर तेल मिला है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : हमारे भूतत्वीय सर्वेक्षण और जांच पड़ताल के बीच बड़ौदा से एक थोड़े गहरे कुएं में तेल के कुछ चिह्न मिलने की सूचना मिली है । मेरा अपना यह विचार है कि इसका कोई महत्व नहीं है ।

†**श्री मो० ब० ठाकुर** : यह कितनी गहराई पर मिला था ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : गहराई बहुत कम थी । ६०० फीट या १६०० से १७०० फीट । कुछ महत्वपूर्ण प्रविधिक जानकारी हमें दी गई है परन्तु जहां तक तेल का वस्तुतः मिलने का संबंध है, इसका कोई महत्व नहीं है ।

†**श्री फ० गो० सेन** : क्या यह सच है कि तेल-भण्डार का निर्माण समय से पीछे रह गया है और तेल का प्रयोग करने में एक रुकावट है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : सब प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं ; हालांकि इस प्रश्न का संबंध ई० एन० आई० के ऋण से है। मैं नहीं जानता कि यह प्रश्न इससे कैसे उत्पन्न होता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न

पश्चिम बंगाल में नये कोयला निक्षेप

+

†*५७६. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० चं० माझी :
श्री नेकराम नेगी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मिदनापुर और बंकुरा जिलों में पाये गये कोयले और लोहे के नये निक्षेपों का कोई वाणिज्यिक महत्व है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उसे निकालने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) बंकुरा जिले में कुछ समय पूर्व कोयले के निक्षेप पाये गये थे परन्तु वे वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं हैं। फिर पास के रानीगंज क्षेत्र में उत्तम किस्म का कोयला उपलब्ध है ।

मिदनापुर जिले में कटा हुआ, सीमर विन्दा और चूरीमरी में लोह अयस्क होने का पता लगा है, परन्तु इसकी मात्रा और जांच पड़ताल के बाद मालूम होगी जो चालू वर्ष में की जायेगी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या लोह-तत्व के प्रति शत का रसायनिक विश्लेषण किया गया है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : मैं ने बताया है कि और जांच पड़ताल का होना अनिवार्य है। उस से पहले, मैं लोह-अयस्क के रसायनिक विश्लेषण के बारे में नहीं बता सकता।

†**श्री स० चं० सामन्त** : भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने इन दोनों जिलों का कितनी बार सर्वेक्षण किया है और क्या गहराई से पदार्थ निकाल कर उसकी परीक्षा की गई है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : यह एक निरन्तर कार्य है। भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने १९६०-६१ में जांच पड़ताल की थी और मैं ने जो जानकारी दी है उसका आधार वही जांच पड़ताल है। आगे जांच की जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

नये खनिजों की खोज

+

†*५७७. { श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ में अभी तक ऐसे कितने व्यक्तियों को पुरस्कार दिए गए हैं, जिनके द्वारा दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप नये खनिज निक्षेपों की खोज हुई है ;

(ख) इस प्रकार पाए गए निक्षेप किस प्रकार के हैं ; और

(ग) क्या इस प्रकार का प्रोत्साहन प्रभावपूर्ण सिद्ध हुआ है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) : (क) अभी तक कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है। प्रार्थियों द्वारा अभी तक दी गई जानकारी ी इस दृष्टि से जांच हो रही है कि क्या पदार्थों के नये निक्षेपों की कथित खोजें वास्तव में नई हैं। पुरस्कार के प्रश्न पर केवल इस परीक्षा के समाप्त होने पर विचार किया जाये।

(ख) प्राप्त हुए प्रार्थनापत्रों में क्या नाइट, लोह पाईराइट, कोरन्डम, वेरिल, ग्रेफाइट और माइका आदि जैसे विभिन्न पदार्थों का उलेख है ।

(ग) हां। प्रतिक्रिया प्रोत्साहजनक रही है और २३२ दावे अब तक प्राप्त हो गये हैं।

†श्री श्रीनारायण दास : अब तक कितने व्यवितयों ने पुरस्कार मांगा है ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : मैं पहिले ही बता चुका हूं लगभग २३२ दावे मंत्रालय में प्रस्तुत किये गये हैं।

†श्री श्रीनारायण दास : योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : उत्तर सर्वथा उत्साहवर्द्धक है और लोग पाये गये पदार्थों या नये निक्षेपों के बारे में जानकारी भेज रहे हैं। यदि उचित जांच के बाद भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण ये रिपोर्ट भेजता है कि ये नई खोजें हैं, तो उन्हें पुरस्कार दिये जायेंगे ।

†श्री राधा रमण : क्या वे क्षेत्र जहां ये पदार्थ उपलब्ध हैं ; सरकार के अधिकार में हैं और क्या सरकार ने इन उपलब्धियों का वाणिज्यिक प्रयोग की संभावना पर विचार कर लिया है ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : जो लोग जानकारी देते हैं वह यह भी बताते हैं कि उन के विचार में वे पदार्थ कहां कहां उपलब्ध हो सकते हैं।

†श्री राधा रमण : क्या सरकार इस मामले में सलाह पाने के लिये कोई विदेशी विशेषज्ञ प्राप्त कर रही है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय ;) : इस मामले में कोई विदेशी सहायता की प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है । यह एक सीधी साधी योजना है। इस में जनता को आमंत्रित किया जाता है कि वह ऐसे पाये गये पदार्थों की कोई जानकारी दे जिसे उसने अपनी जांच पड़ताल के बीच पाया हो। हमें यह जानकारी मिलने के बाद हम जांच करते हैं। कि क्या

---

†मूल अंग्रेजी में

वह जानकारी पहिले से उपलब्ध है या नहीं । इस में कुछ समय लगता है । यदि जांच के बाद हमें पता लगता है कि यह नई जानकारी है तो हम कुछ पुरस्कार देंगे ।

†**श्री दामानी** : क्या राजस्थान से कोई जानकारी प्राप्त हुई है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : जानकारी देश के विभिन्न भागों से मिली है । किसी विशेष के बारे में मुझे सूचना नहीं मिली है । यदि माननीय सदस्य जानने के इच्छुक हों और प्रश्न की पूर्व सूचना दें, तो हम उन्हें जानकारी दे देंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री बलराज मधोक** : ५७८ । प्रश्न संख्या ५९४ भी इसी के साथ लिया जा सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छा ।

दिल्ली में भूमि का मुक्त किया जाना

+

†*५७८. **श्री बलराज मधोक :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री कुन्हन :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गृह-निर्माण समितियों को अर्जित भूमि के आवण्टन में क्या प्रगति हुई है;

(ख) अभी तक कितना क्षेत्र मुक्त (रिलीज़) किया गया है ;

(ग) वे कौन सी समितियां हैं जिन के लिए यह मुक्त किया गया है ; और

(घ) यह कार्य कब पूर्ण होगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग). ७१ गृह निर्माण सहकारी समितियों की मांग पर दिल्ली प्रशासन ने विचार किया है और निश्चय किया है । तदनुसार, ९९२ एकड़ अविकसित भूमि १२

†मूल अंग्रेजी में

गृह-निर्माण सहकारी समितियों को दी गई है । समितियों के नाम और दी गई भूमि का क्षेत्रफल निम्न हैं :—

		एकड़
१.	सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह-निर्माण समिति	३५४
२.	आनन्द निकेतन सहकारी गृह-निर्माण समिति . . .	४८
३.	पंचशील सहकारी गृह-निर्माण समिति . .	९२
४.	चाणक्यपुरी विस्तार सहकारी गृह-निर्माण समिति	३०
५.	सरकारी कर्मचारी सर्वोदय सहकारी गृह-निर्माण समिति	३९
६.	ई० पी० आर० शरणार्थी पुनर्वास तथा सहकारी गृह-निर्माण समिति	३६
७.	महारानी बाग सहकारी गृह-निर्माण समिति	६१
८.	न्यू फ्रेंड्स सहकारी गृह-निर्माण समिति	१४०
९.	लोक सेवक सहकारी गृह-निर्माण समिति . .	२७
१०.	दिल्ली बंगाली हिन्दू सहकारी गृह-निर्माण समिति	४८
११.	आदर्श भवन सहकारी गृह-निर्माण समिति	५२
१२.	गुजरानवाला सहकारी गृह-निर्माण समिति . .	६७
	योग	९९२

अन्य २६ गृह-निर्माण समितियों को भी १८५ एकड़ भूमि देने का निश्चय किया गया है परन्तु वास्तविक आवंटन सरकार के विकास करने पर आरम्भ होगा ।

(घ) पूर्वानुमान कि भूमि दी जा रही है सच नहीं है। भूमि का आवंटन योजनानुसार किया जाता है जिसका ब्योरा २३ मार्च, १९६१ को सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया है । फिर भी, कार्य पूर्ति की कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है ।

दिल्ली में भूमि का अर्जन

+

५९४. **श्री बलराज मधोक :**
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली प्रशासन पहले से ली गई ३४ हजार एकड़ भूमि के अतिरिक्त १६ हजार एकड़ और भूमि को अपने हाथ में ले रहा है ;

(ख) क्या पहले ली गई ३४ हजार एकड़ भूमि मकानों के बनाने के लिये तैयार करके जनता को अलाट की जा चुकी है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह और भूमि क्यों हस्तगत की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) १६,००० एकड़ और भूमि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, १८९४ की धारा ४ के अन्तर्गत २४ अक्तूबर, १९६१ को ले लिया गया है।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने पहिले ३४,००० एकड़ भूमि प्राप्त नहीं की थी अपितु भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा ४ के अन्तर्गत १३ नवम्बर, १९५९ को केवल एक अधिसूचना निकाली थी। फिर भी, योजनानुसार भूमि प्राप्त और विकसित की जा रही है। इस योजना का ब्योरा २३ मार्च, १९६१ को सभा पटल पर रखा गया था।

(ग) भूमि की आवश्यकता पूर्ति के लिये निम्न बातों के बाद अतिरिक्त भूमि ली गई है :

(१) प्रारूप मास्टर प्लान में रूप भेद ;

(२) झुग्गियों/ झोपड़ियों, गन्दी बस्तियों को हटाने और औद्योगिक विकास योजनाओं के लिये अतिरिक्त आवंटन; और

(३) नये विश्वविद्यालय और निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय की आवास योजनाओं के लिये भूमि निर्धारण।

†**श्री बलराज मधोक** : सहकारी समितियों को भमि किन शर्तों पर दी जा रही है? क्या यह सच है कि इन समितियों की अधिकतर भूमि पट्टेदार बनाई जा रही है?

†**श्री दातार** : यदि माननीय सदस्य विस्तृत विवरण देखें तो उन्हें स्पष्ट हो जायेगा। सरकार ने अब एक अधिसूचना जारी कर दी है और अब प्रथम स्थिति है जिसके अन्तर्गत लगभग ८००० एकड़ भूमि प्राप्त की जायेगी। भूमि का समुचित विकास होगा और सड़कों, आदि के लिये अलग भूमि छोड़ दी जायेगी। जमीनों का विकास होने के बाद वे कुछ किस्म की समितियों को दे दी जायेगी।

†**श्री त्यागी** : इसे प्राप्त करते समय भूमि के मालिकों को किस दर से प्रतिकर दिया गया था? क्या यह भी सच है कि एक समिति से ली गई भूमि पुनः समिति को ६,००० रु० या ७,००० रु० प्रति बीघा के प्रीमियम पर दे दी गई है?

†**श्री दातार** : जहां तक पहिले प्रश्न का सम्बन्ध है, प्रतिकर भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत दिया जाता है। उसका सामान्य सिद्धान्त यह है कि मूल्य और १५ प्रति शत और प्रतिकर के रूप में दिया जाता है। सरकार ने सहकारी समितियों के अधिकार में पड़ी भूमि को भी अधिसूचित किया और इसका कारण यह था कि उन्होंने उसका विकास नहीं किया था और उस पर निर्माण करने का तो प्रश्न ही क्या है। भूमि के प्राप्त और विकसित होते ही वह क्रमानुसार समितियों को दे दी जायेगी।

†**श्री त्यागी** : यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। मैं कहता हूं कि भूमि स्वयं सहकारी समितियों से ली गई है और उनको कुछ प्रतिकर दे दिया गया है। अब यही भूमि उन्ही समितियों को बहुत बढ़ी हुई कीमत पर दिया जा रहा है। कुछ मामलों में तो इसका मूल्य उनको दिये गये मूल्य से दस गुना है। यह सब विकास व्यय के अतिरिक्त है। मुझे बताया गया है कि एक मामले में ६,४०० रु० प्रति बीघा प्रीमियम लिया जा रहा है और उसके अतिरिक्त १०,००० रु० लिये जा रहे हैं और कुछ विकास-व्यय के रूप में लिया जा रहा है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : क्या मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि उनके विचारों में कुछ भ्रम है । प्रस्तावित अधिग्रहण के बारे में केवल अधिसूचनाएं ही जारी की गई हैं। एक अधिसूचना १९५९ में जारी की गई थी और दूसरी हाल में ही जारी की गई है । जहां तक अधिसूचनाओं के आधार पर आगे कार्यवाही करने का प्रश्न है, वह पहिले ८,००० एकड़ के बारे में की जा रही है। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, अब तक कोई भूमि प्राप्त नहीं की गई है।

†**श्री त्यागी** : मेरा प्रश्न यह है । यदि भूमि उन्हीं समितियों को दी जा रही है, तो क्या वह उन्हें उसी मूल्य पर दी जायेगी जिस पर वह ली गई थी ? संविधान की दृष्टि से समिति को पर्याप्त प्रति कर मिलना चाहिये । यदि वह प्रतिकर उचित था, तो सरकार को बिचौलिये के रूप में लाभ लेने का कोई अधिकार नहीं है ।

†**श्री दातार** : मैं पुनः सारी स्थिति स्पष्ट करूंगा ।

†**श्री बलराज मधोक** : वह प्रश्न को टाल रहे हैं ।

†**श्री दातार** : जहां तक वर्तमान भूमि का संबन्ध है, सरकार ने पहिले ३४,००० एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिये अधिसूचना जारी की थी । फिर १६,००० एकड़ के बारे में दूसरी अधिसूचना जारी की गई । वास्तव में अभी अधिग्रहण नहीं किया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या ये दोनों अधिसूचनायें अधिग्रहण के लिये हैं ?

†**श्री दातार** : दोनों अधिग्रहण के लिये हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ३४,००० एकड़ और १६,००० एकड़ भूमि के अधिग्रहण के बारे में ?

†**श्री दातार** : हां, श्रीमान । १६,००० एकड़ भूमि के बारे में अभी अधिसूचना जारी की गई है । पहिले ३४,००० एकड़ भूमि के बारे में सरकार पहिले ८,००० एकड़ भूमि का अर्जन कर रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या अधिसूचना में अधिग्रहण मूल्य भी दिया है ?

†**श्री दातार** : नहीं, श्रीमान । ये भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत निश्चित किया जायेगा । हम भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत उचित समय पर प्रतिकर देंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अतः सहकारी समितियों को पुनः बेचने का प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ है ।

†**श्री दातार** : अभी उत्पन्न नहीं हुआ है ।

†**श्री रंगा** : सरकार ने एक सहकारी समिति की भूमि क्यों ली है और फिर उसे पुनः उसी को क्यों बेचा है ?

†**श्री दातार** : इन अधिसूचनाओं के दो तीन उद्देश्य थे । पहिला उद्देश्य मूल्यों में सट्टा रोकना था । दूसरा, सरकार को अपने लिये भूमि की आवश्यकता थी । सरकार यह भी चाहती थी कि निश्चित जमीनें बनने के बाद गैर-सरकारी समितियां भवन निर्माण करें । अतः घनी आबादी को रोकने की दृष्टि से भी ऐसा किया गया था । .... (**अन्तर्बाधा**)

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रंगा** : यह सहकारी समिति से ली गई है और फिर वह अधिक मूल्य पर उसे दी जा रही है ..... **(अन्तर्बाधा)**

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों का विचार है कि सहकारी समितियों से विशेष मूल्य पर ली गई कुछ भूमि उन्हीं सम्मितियों को अधिक मूल्य पर बेची गई है ।

†**श्री दातार** : जिस समय ३४,००० एकड़ भूमि के बारे में अधिसूचना जारी की गई थी, उस समय कुछ भूमि सहकारी समितियों के पास थी । सहकारी समितियों ने उन पर भवन निर्माण करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की थी । अतः सरकार जो करना चाहती थी—और नहीं किया है — यह था कि उस भूमि को अपने अधिकार में ले लिया जाये, उसका उचित विकास किया जाये और विभिन्न समितियों को दे दी जाये, अर्थात् कुछ श्रेणीवार समितियों को ।

†**श्री रंगा** : क्या यह सच नहीं है कि वे विक्रय-मूल्य अतिरिक्त विकास व्यय और लेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्यों नहीं लें ?

†**श्री रंगा** : इन परिस्थितियों में, सरकार को लाभ उठाने के लिये यह अनावश्यक प्रक्रिया पालन करने के बजाये सहकारी समितियों की भूमि कम करने और शेष प्राप्त करने से किसने रोका था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसे दोहराने से क्या लाभ ? माननीय मंत्री उत्तर न दें। मैंने माननीय मंत्री का भी उत्तर सुना है । उन्होंने निश्चय ही यह कहा था कि 'हमने इन सहकारी समितियों की भूमि प्राप्त करने और उसका विकास करने की अनुमति दी थी। हमने पर्याप्त समय तक देखा परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया । अतः हमने इसे इसका विकास करने और विकास व्यय लेकर वापस देने के लिये ले लिया है ।' माननीय मंत्री न यही कहा है ।

†**श्री रंगा** : विकास व्यय के अतिरिक्त ....

†**अध्यक्ष महोदय** : वह अलग बात है .... **(अन्तर्बाधा)** :

†**श्री बलराज मधोक** : कितनी भूमि का विकास किया गया है ?

†**श्री त्यागी** : सरकार ने एक सरकारी समिति को यह पत्र लिखा था और कहा था :—

> "उपरोक्त लाइसेंस देने के निश्चय की सूचना देने से एक महीने के भीतर, समिति को लगभग ४२ लाख रु० जमा करने होंगे जो कि पट्टे के प्रीमियम के रूप में होंगे । समिति विकास व्यय १० प्रतिशत अर्थात् २८,००० रु० भी जमा करेगी ।"

अतः जिस समिति से काफी कम मूल्य पर ली गई थी उससे प्रीमियम और विकास व्यय दोनों ही लिये जा रहे हैं ।

†**श्री दातार** : मेरे माननीय मित्र बार बार इसे गलत समझ रहे हैं । सरकार ने सहकारी समितियों को कुछ श्रेणियों में विभक्त कर दिया है । इसके अतिरिक्त कुछ सहकारी समितियों को इसी परिणाम स्वरूप यह आश्वासन दे सकी है कि भूमि के प्राप्त होते ही उसका उचित विकास करके वह उन्हें दे दी जायेगी । विकास व्यय इतना नहीं है कि जितना माननीय सदस्य समझते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने कुछ प्रश्नों की अनुमति उस समय दी थी जब कि कहा गया था कि वह भमि भी, जो सहकारी समितियों की थी और जहां सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान बनने थे, ले ली गई है। वे यहां वहां अपनी विभिन्न सहकारी समितियां बनाते हैं। जब सरकार कुछ भूमि लेना चाहती थी, तो सभा में बहुत आपत्ति की गई इस पर कि सरकार वह भमि भी ले रही है जहां स्वयं सरकारी कर्मचारी मकान बनाना चाहते थे। अतः सरकार ने तो स्वयं मकान बनायेगी और न ही सहकारी समितियों को बनाने देगी। इसके बाद, माननीय सदस्य यह जानने के इच्छुक थे कि क्या सरकार इस में सट्टा कर रही है या जमीनों पर वह मूल्य लेगी जिस पर उसने सहकारी समितियों से ली है। इसके अतिरिक्त केवल विकास व्यय और लेगी और उन्हें भूमि दे देगी। यदि वे कहते हैं कि विकास व्यय दिया जायेगा तो यह पत्र क्यों आया जिस में वे विकास से पहले २ लाख से अधिक रुपये चाहती हैं ? यह इस कारण नहीं है कि विकास हो गया है।

†**श्री दातार** : सरकार ने पहिले एक अधिसूचना जारी की। अधिग्रहण की आगे कार्य-वाही करनी शेष है। सरकार ने श्रेणी के अनुसार कुछ समितियों को चुन लिया है और उन्हें सूचना दे दी गई है कि विकास के बाद उन्हें जमीनें दे दी जायेंगी परन्तु मूल्य अमुक होगा। कुछ समितियां ऐसी भी हैं जिन्हें हो सकता है कि १०० एकड़ से भी अधिक भमि मिलें। इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिये।

†**श्री त्यागी** : क्या मैं यह समझूं कि भूमि की मालिक समितियों से लिया जाने वाला मूल्य विकास व्यय से अधिक नहीं होगा ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : माननीय सदस्य इस मामले में अत्याधिक रुचि रखते प्रतीत होते हैं ; इस कारण यदि आपकी अनुमति हो तो हम योजना के बारे में एक पूरा विवरण सभा पटल पर रख देंगे जिस में इनमें से कुछ मामलों की व्याख्या होगी।

†**श्री त्यागी** : हम जानना चाहते हैं कि क्या नीति की दृष्टि से सरकार विचोलिये का लाभ प्राप्त करेगी या नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसी बीच, जैसा कि रेलवे, कोयला और अन्य बातों के बारे में हुआ है, वे सेन्ट्रल हाल में मिलकर बात चीत कर सकते हैं। माननीय मंत्री रुचि रखने वाले सब माननीय सदस्यों को बुला लें और साथ बैठकर बातचीत कर के बातें मालूम करने का प्रयास करें। फिर सभा पटल पर विवरण रख दें।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं निश्चय ही ऐसा करूंगा। फिर, संभव है कि विवरण की आवश्यकता न रहे।

†**अध्यक्ष महोदय** : यही तो मैं कहता हूं। वह होने के बाद जो भी विवरण आवश्यक हो सभा पटल पर रख दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक वित्त निगम के लिये विकास ऋण निधि से ऋण

+

†*५७९. { **श्री मुरारका :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री ७ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६२१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक वित्त निगम के लिये विकास ऋण निधि से बातचीत पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; **और**

(ग) उस राशि का आवण्टन किस प्रकार किया जाएगा ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) नहीं, श्रीमान् । अभी बात चीत चल रही है ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री मुरारका** : गत कई महीनों से बातचीत हो रही है । मैं जानना चाहता हूं कि इस समय बातचीत कितनी हो चुकी है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : औद्योगिक वित्त निगम ने २०० लाख डालरों की रक़म मांगी है । बातचीत हो रही हैं तथा काफी आगे बढ़ चुकी है । क्योंकि यह काफी बड़ी रकम का मामला है इसलिये इस में कुछ समय तो लगेगा ही ।

†**श्री मुरारका** : क्या विकास ऋण निधि ने यह ऋण औद्योगिक वित्त निगम को देना सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है तथा यदि हां, तो क्या वह चाहता है कि सरकार कोई आश्वासन दे ? इसमें इतना विलम्ब किस कारण से हुआ है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : पिछले वर्ष एक ऋण स्वीकार किया गया था तथा आशा है कि दूसरा ऋण स्वीकार किया जाये परन्तु यह बताना कठिन है कि यह ऋण स्वीकार किया जायेगा अथवा नहीं । परन्तु विकास ऋण निधि ने अपने कर्मचारियों में परिवर्तन कर दिया है और मैं समझता हूं कि पिछले ही महीने अथवा अक्तूबर के अन्त तक इस पर अन्तिम निर्णय लिया गया था । इसलिए इस में समय लगा है । और कोई कारण नहीं है ।

†**श्री मुरारका** : विकास ऋण निधि ने यह ऋण कब स्वीकृत किए हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या औद्योगिक वित्त निगम द्वारा विदेशी मुद्रा में ऋण देना संभव होगा अथवा केवल भारतीय मुद्रा में ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : विदेशी मुद्रा में देने के लिये ही विदेशी ऋण लिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राम नाथन चेट्टियार** : मैं जानना चाहता हूं कि औद्योगिक वित्त निगम के विकास ऋण विधि से ऋण बाध्य होकर लेना ही पड़ेगा और क्या अमरीका में मशीनों के भाव अधिक होने पर भी हमको उन मशीनों को खरीदना पड़ेगा ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : जबरदस्ती खरीदने का प्रश्न नहीं है । जिन शर्तों पर वह ऋण देना चाहेंगे यदि वह हमारे अनुकूल होंगी तो ही हम लेंगे अन्यथा हम इन्कार कर सकते हैं ।

†**श्री दामानी** : इस ऋण में से धन किस उद्योग की मशीनों के आयात पर व्यय होगा ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह औद्योगिक वित्त निगम से संबद्ध है।

स्कूल तथा कालिज की किताबों का हिन्दी अनुवाद

***५८०. श्री विभूति मिश्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अंग्रेजी में प्रकाशित स्कूल तथा कालिज किताबों के हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). शिक्षा मंत्रालय ने अनुवाद की निम्नलिखित दो योजनाएं प्रारंभ की हैं :—

(१) विश्वविद्यालय स्तर की उत्कृष्ट रचनाओं और पाठ्य-पुस्तकों का हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशन ।

(२) सामान्य पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद और प्रकाशन । योजनाओं के ब्यौरे संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

इस संबंध में १४ अगस्त १९६१ को श्री के० बी० मालवीय द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९५१ के उत्तर में सभा पटल पर जो विवरण रखा गया था उसे भी देखने की कृपा की जाए ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि अब तक कालिजों के कौन-कौन से विषयों और स्कूल के कौन-कौन से विषयों के ऊपर कौन-कौन सी किताबों का और कितनी किताबों का अनुवाद हिन्दी में हो चुका है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : काम अभी शुरू हुआ है। उन पुस्तकों की सूची तो मेरे पास नहीं है लेकिन मैं उनको इतना बता सकता हूं कि जो कोआरडिनेशन कमेटीज बनी हैं इस काम को करने के लिये वह बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में बनी हैं। इन राज्यों में काम शुरू हो गया है और इन कोआरडिनेशन कमेटीज ने जो अनुवाद का काम सौंपा है वह हो रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी अनुवाद का काम शुरू हो गया है । इसके अलावा दिल्ली और कलकत्ता विश्वविद्यालयों ने भी कहा है कि वह भी हाल में इस काम को शुरू करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक प्रादेशिक भाषाओं का सम्बन्ध है गुजरात विश्वविद्यालय, विश्वभारती और मद्रास गवर्नमेंट से यह मालूम हुआ है कि वह भी इस योजना में भाग लेंगे । गुजरात में कोआरडिनेशन कमेटी बनाने की योजना पर विचार किया जा रहा है ।

जहां तक पापुलर बुक्स के हिन्दी में प्रकाशित करने का सवाल है, यह काम तीन चार पबलिशर्स को सौंप दिया गया है और वह इस काम को कर रहे हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विश्वविद्यालय के स्तर पर और माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर प्रादेशिक भाषाएं परीक्षाओं का माध्यम बन गयी हैं, मैं जानना चाहता हूं कि जो पुस्तकें अनुदित हो रही हैं वह विद्यार्थियों के लाभ के लिए कब तक तैयार हो जाएंगी ताकि उनका काम चल सके ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जहां तक मंत्रालय का ताल्लुक है उसने विश्वविद्यालयों को धन राशि उपलब्ध कर दी है और उन से निवेदन कर दिया है कि जितनी जल्दी हो सके वे इस काम को शुरू करें, लेकिन माननीय सदस्य यह स्वीकार करेंगे कि यह काम विश्वविद्यालयों के करने का है गवर्नमेंट के करने का नहीं है । जहां तक धन का संबंध है वह गवर्नमेंट उपलब्ध कर सकती है ।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** : क्या सरकार का विचार विश्व मुख्य साहित्य के अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालय के आधार पर विश्व साहित्य को भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए विभाग स्थापित करने का है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह सुझाव है, हम कार्यवाही करेंगे ।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** : परन्तु उनका विचार तो है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है ।

श्री जगदीश अवस्थी : क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो ये पुस्तकें प्रकाशित की जा रही हैं इनको सरकार स्वयं प्रकाशित करेगी या इनको निजी प्रकाशकों को प्रकाशन के लिये दिया जा रहा है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इनको सरकार स्वयं तो प्रकाशित नहीं करेगी । इनके प्रकाशन के लिये दो योजनायें हैं । एक में तो पबलिशर्स को काम सौंपा गया है और दूसरी योजना में विश्व-विद्यालषों के मारफत यह काम हो रहा है ।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : प्रत्येक क्षेत्र में अपनी-अपनी क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या और भाषाओं के लिये भी ऐसी योजना हैं कि उन भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित की जाएं ? और यह काम केन्द्रीय सरकार करेगी या विभिन्न प्रान्तीय सरकारें करेंगी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इसका उत्तर मैं दे चुका हूं । मने निवेदन किया है कि जो अनुवाद का काम है वह विश्वविद्यालयों का है और राज्य सरकारों को सौंपा गया है । इस काम को शुरू करने के लिये, यह उनका काम है कि किस एजेंसी के द्वारा वे यह काम करवाना पसन्द करती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नई दिल्ली में पृथक विश्वविद्यालय

†*५७१. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री १४ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में एक पृथक् विश्वविद्यालय स्थापित करने के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गुरुकुलों को सहायता

*५७३. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में गुरुकुलों को आर्थिक सहायता देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या चालू वर्ष में भी उन्हें कुछ सहायता दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक गुरुकुल को कितनी रकम दी गई है ; और

(घ) गुरुकुल प्रणाली को विकसित करने की दृष्टि से क्या आर्थिक सहायता के अतिरिक्त अन्य भी कुछ उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

गुरुकुलों को वित्तीय सहायता देने की एक योजना तृतीय पंचवर्षीय आयोजना में सम्मिलित कर ली गई है। इस योजना के अन्तर्गत सहायता देने के लिये चुने गए गुरुकुलों से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर, केन्द्रीय संस्कृत मण्डल अपनी ७ दिसम्बर, १९६१ को होने वाली बैठक में विचार करेगा । उसके पश्चात् भारत सरकार मण्डल द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करेगी और उचित कार्रवाई करेगी ।

अन्य योजनाओं के अधीन, विशेष प्रयोजनों के लिये, गुरुकुलों को सहायता देने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सचिवालय सेवा

*५८१. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि सेक्शन आफिसर की श्रेणी तक की नियुक्ति आदि के अधिकार जो कि अब तक गृह मंत्रालय को थे अब विभिन्न मन्त्रालयों को दे दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को अमल में लाने की कौन सी तारीख निश्चित की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी नहीं ।

(ख) कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है ।

बिहार में धातुकार्मिक कोयला निक्षेप

†*५८२. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो और रानीगंज में नये धातुकार्मिक कोयला निक्षेपों के सिद्ध होने के साथ एक घोषणा की गई थी कि इस से भारत इस किस्म के कोयले के सम्बन्ध में स्वावलंबी हो जाएगा तथा उसकी भावी मांगें पूरी हो जायेंगी ; और

(ख) यदि हां, तो भावी उत्पादन और उपयोग सम्बन्धी बाद की जांच से इस बात की निश्चित पुष्टि हो गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** (क) सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है परन्तु रानीगंज क्षेत्र में हीराखूम पट्टी, रानीगंज कोयला खान के दक्षिण पश्चिम में डीसेरगढ़ पट्टी तथा रामगढ़ कोयलाखान में ७४ फुट मोटी पट्टी की खोज निःसंदेह रूप से हमारे इस्पात कारखानों के लिये महत्वपूर्ण हैं । आत्मनिर्भरता के बारे में पूरा उत्तर देने के लिये पूरी जांच करने की आवश्यकता है ।

(ख) इस समय केवल इतना बताया जा सकता है कि की गई जांच से उत्साह बढ़ा है।

तेल उद्योग के लिये इटली का सहयोग

†*५८३. **श्री खीमजी :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री पैट्रोलियम परियोजनाओं के बारे में ई० एन० आई० के साथ बातचीत के सम्बन्ध में २९ अगस्त, १९६१ को लोक-सभा में उन के द्वारा दिये गये वक्तव्य के पैरा ४ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) क्या कच्छ में तेल की खोज के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के साथ सहयोग के लिये २०० लाख डालर के ऋण की स्थानापन्न अतिरिक्त पेशकश का परीक्षण सरकार द्वारा किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उस परीक्षण का क्या निष्कर्ष निकला है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). ई० एन० आई० द्वारा २०० लाख डालरों के ऋण के प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा है।

राज्यों का औद्योगिकरण

†*५८४. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक वित्त निगम ने अभी हाल में कम विकसित राज्यों से उन के औद्योगिक विकास की आवश्यकताएं पूछी थीं और यह पूछा था कि उन राज्यों के उद्योगीकरण के लिये निगम उनको क्या सहायता प्रदान कर सकता है ;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों से पूछा गया था ; और

(ग) क्या उन राज्यों से उत्तर प्राप्त हो चुके हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख). भारत के औद्योगिक वित्त निगम ने आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, जम्मू तथा काश्मीर, केरल, उड़ीसा, मैसूर, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश सरकारों से बातचीत की है कि निगम तीसरी पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं के लिये औद्योगिक विकास में किस प्रकार सहायता दे सकता था।

(ग) जी हां। राज्य सरकारों ने सामान्यतः बताया है कि वह निगम को ठोस प्रस्ताव भेजेंगे ।

चिकनाई वाले तेल

†*५८५. **श्री क्रोडियान :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चिकनाई वाले तेलों (लुब्रिकेटिंग आयल) के निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य रूप-रेखा क्या है ; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में सरकार ने कितना व्यय किया है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). सरकार द्वारा नियुक्त सलाहकारों द्वारा ब्यौरेवार परियोजना अध्ययन का प्रतिवेदन मिल जाने पर तथा उसकी जांच होने पर यह मालूम होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत के रक्षित बैंक की शाखायें

†*५८६. **श्री वामानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के रक्षित बैंक की विदेशों में शाखायें हैं; और

(ख) उन शाखाओं के क्या कार्य हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) रिजर्व बैंक की शाखा केवल लन्दन में है ।

(ख) बैंक की लन्दन की शाखा के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं : सरकारी विभागों की ओर से गारंटी देना; भारत सरकार की ओर से धन का विप्रेषण, बैंक के भारतीय कार्यालयों के ड्राफ्टों का लन्दन में भुगतान; भारत सरकार के रुपये के बक़ाया ऋण पर ब्रिटेन में इसका भुगतान भारत के अनुसूचित बैंकों तथा बीमा समवायों की प्रतिभूतियों की सुरक्षा तथा उन पर सूद का विप्रेषण। लन्दन के वित्तीय केन्द्र के महत्व के कारण, वहां पर स्थित भारत में रिजर्व बैंक की शाखा भारत की दिलचस्पी के महत्वपूर्ण विकास को रिजर्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय को बताना ।

पाकिस्तान में विस्थापित भारतीय बैंकों की परिसम्पत्' का प्रत्यावर्तन

†*५८७. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान में जिन विस्थापित भारतीय बैंकों को पाकिस्तानी-निष्क्रान्त कानून से छूट दी गई थी, उन की परिसम्पत् लौटाने के लिये क्या कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या इन में से किसी विस्थापित बैंक ने पाकिस्तान में कारोबार करने की इच्छा जाहिर की है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) पाकिस्तान में जिन विस्थापित भारतीय बैंकों को पाकिस्तान निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, १९५७ से छूट दी गई थी उन की परिसम्पत् लौटाने के लिये कार्यवाही करने के सम्बन्ध में भारत तथा पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिलने पर निर्णय करेंगे ।

(ख) चार भारतीय बैंक इस समय भी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तथा मालूम हुआ है कि दो अन्य बैंकों ने भी उस देश में काम आरम्भ करने की अनुमति के लिये अभ्यावेदन दिया है ।

अध्यापकों के कल्याण अनुदानों के लिये राष्ट्रीय प्रतिष्ठान

†*५८९. **श्री नागी रेड्डी :**
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री न० म० देव :
श्री वारियर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अध्यापकों के कल्याण अनुदानों के लिये एक राष्ट्रीय प्रतिष्ठान बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) अध्यापकों के कल्याण अनुदानों के लिये राष्ट्रीय प्रतिष्ठान बनाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। इस का न्यास के रूप में रजिस्ट्रेशन होना बाकी है।

(ख) सभा पटल पर रखे गये विवरण में योजना का विस्तार बताया गया है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४०]**

उत्तर सिक्किम में तीस्ता नदी के पुल पर दुर्घटना

†***५९०. श्री तंगामणि** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ८ सितम्बर, १९६१ को दिये गये विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर सिक्किम में तीस्ता नदी के पुल पर दुर्घटना के ब्यौरे इस बीच मालूम कर लिये गये हैं ;

(ख) **यदि हाँ, तो जो लोग मर गये उन के नाम क्या हैं;**

(ग) मृत व्यक्तियों के परिवारों को क्या क्षतिपूर्ति दी गई है ; और

(घ) क्या दुर्घटना के कारणों की कोई जांच की गयी है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां।

(ख) प्राप्य ब्यौरों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४१]**

(ग) मृत सेना कर्मचारियों के परिवारों को निवृत्ति वेतन सेना नियमानुसार दी जा रही है। असैनिक मजदूरों के परिवारों को कामगार प्रतिकर अधिनियम के अनुसार प्रतिकर दिया जा रहा है। दुर्घटना के तुरन्त बाद ५० प्रतिशत रकम दे दी गई थी।

(घ) जी हां।

अध्यापकों को वित्तीय सहायता

†***५९१. श्री प्र० गं० देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्त न्यास निधि से कितने अध्यापकों को वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी सहायता मंजूर करने की क्या शर्तें हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) अभी कोई नहीं।

(ख) प्रस्तावित धन में नियम तथा विननियमन अभी नहीं बनाये गये हैं।

राष्ट्रीय महत्व की संस्थायें

†***५९२. श्री कालिका सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने भारत के कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों को भारत के संविधान की प्रविष्टि ६३ के अनुसार राष्ट्रीय महत्व की संस्थायें घोषित करने के प्रश्न पर कभी विचार किया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अखिल भारतीय सेवाओं की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणामों की दृष्टि से किन विश्वविद्यालयों ने राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों का स्थान प्राप्त कर लिया है ; और

(ग) यह मालूम करने के लिये कि क्या कोई संस्था राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गई है, किन बातों का ध्यान रखा जाता है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) मंत्रालय ने अभी तक केवल विश्वभारती को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया है ।

(ख) कोई नहीं ; विश्वविद्यालयों का राष्ट्रीय महत्व प्रतिद्वन्दी परीक्षाओं के परिणामों से ज्ञात नहीं होता है ।

(ग) कोई निश्चित बातें नहीं हैं । परन्तु यह आवश्यक ह कि संस्था उच्च तथा प्रतिष्ठित हो तथा अध्ययन अथवा अनुसंधान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उच्च स्तरोय काम कर रही हो ; अथवा अन्य कोई विश्वविद्यालय उस काम को नहीं कर रहा हो ।

पश्चिमी बंगाल में तेल के पाइप लाइन

†*५९३. **श्री बर्मन** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाइप लाइन डालने के लिये पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुरी जिले के राजगंग थाने में १ नवम्बर, १९६१ को धान के विस्तृत खेतों को बुलडोजरों से नष्ट किया गया ;

(ख) पकी फसल को नष्ट करने की क्या आवश्यकता थी क्योंकि वह अगले एक पखवाड़े में कट जाती ; और

(ग) छोटे उत्पादकों को फसल के मूल्य के बराबर मात्रा में कब तक धान मिलने की आशा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जलपाईगुड़ी के राजगंग थाने में पाइपलाइन के लिये ६० फुट चौड़ा रास्ता बनाने के लिये धान के खेतों की सफाई १ नवम्बर, १९६१ को की गई थी । सफाई के लिये बुलडोजरों का इस्तेमाल आवश्यक था ।

(ख) पाइपलाइन बिछाने का काम आरम्भ हो जाने पर यह आवश्यक है कि भूमि की लगातार सफाई की जाती रहे जिस से काम बीच में न रुक जाये । इसलिये धान की वर्तमान खेती के कट जाने तक इन कार्यों को रोक दिया गया है ।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में नक़द मुआवज़ा देने का प्रस्ताव है ।

दिल्ली में भूमि का अर्जन

*५९४. **श्री बलराज मधोक :**
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली प्रशासन पहले से ली गई ३४ हजार एकड़ भूमि के अतिरिक्त १६ हजार एकड़ और भूमि को अपने हाथ में ले रहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या पहले ली गई ३४ हजार एकड़ भूमि मकानों के बनाने के लिये तैयार कर के जनता को अलाट की जा चुकी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह और भूमि क्यों हस्तगत की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ के अनुच्छेद ४ के अधीन २४ अक्तूबर, १९६१ को १६,००० एकड़ भूमि और अधिसूचित की गई।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने पहले से ३४,००० एकड़ भूमि अर्जित नहीं की हुई है, परन्तु १३ नवम्बर, १९५९ को भूमि अर्जन अधिनियम के अनुच्छेद ४ के अधीन कवल एक अधिसूचना जारी की गई थी। परन्तु योजना के अनुसार भूमि अर्जित और विकसित की जा रही है, जिसका विवरण २३ मार्च, १९६१ को सभा पटल पर रख दिया गया था ।

(ग) निम्नलिखित कारणों से भूमि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अधिक भूमि अधिसूचित की गई है :—

(१) मास्टर प्लान के प्रारूप में संशोधन ;

(२) झुग्गी/झोंपड़ी, गन्दी बस्तियों की सफाई तथा औद्योगिक विकास योजनाओं के के लिये अधिक व्यवस्था ; तथा

(३) निर्माण, आवास व सम्भरण मंत्रालय की आवास योजनाओं और नई यूनीवर्सिटी के लिये क्षेत्रों का सुरक्षित रखना ।

कच्चा माल समिति

†*५९५. **श्री नौशीर भरुचा :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात उद्योग की कच्चा माल समिति ने कोयला, लौह अयस्क, चूने का पत्थर और ऊष्मसह ईंटों के इस्पात संयंत्रों के संभरण तथा परिवहन में सुधार करने के उपायों संबंधी अपनी जांच पड़ताल समाप्त कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). समिति एक स्थायी समिति है जो कोयले, लौह अयस्क तथा इस्पात उद्योग के लिये आवश्यक अन्य कच्ची सामग्री के उत्पादन, सम्भरण तथा लदान के सम्बन्ध में अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समस्याओं पर लगातार अध्ययन कर के सरकार को सलाह देती रहती है। इसलिये जांच समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता है। समिति द्वारा समय-समय पर की गई सिफारिशों की जांच की जाती है तथा लागू किया जाता है।

†मूल अंग्रेजी में

गणतन्त्र दिवस समारोह

†*५९६. श्री राधा रमण :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री इन्द्रजीत लाल मलहोत्रा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली में गणतंत्र दवस की परेड के लिये विभिन्न मूल्यों के टिकट जारी करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के पीछे क्या उद्देश्य है और ये टिकट कितने मूल्य के होंगे ; और

(ग) इन टिकटों की बिक्री के लिये क्या व्यवस्था करने का विचार है और क्या १२ वर्ष से कम आयु के बच्चों पर भी टिकट लगेंगे ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४२] ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

*५९७. श्री भक्त दर्शन :
श्री हेम राज :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री कालिका सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री ७ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६६२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के नामों से साम्प्रदायिकता के चिह्न अलग करने के बारे में क्या निर्णय किया गया है ;

(ख) वह निर्णय कब से व किस प्रकार लागू किया जायेगा ;

(ग) यदि अभी निर्णय नहीं किया गया है, तो इस बारे में देरी होने का क्या कारण है ; और

(घ) इस बारे में कब तक निश्चय हो जाने की आशा है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (घ). बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के नाम से 'हिन्दू' और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से 'मुस्लिम' शब्दों को हटाने के प्रस्ताव के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है । मामले पर अभी विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात के प्रतिधारण मूल्य

†*५९८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस्पात के नये प्रतिधारण मूल्यों के बारे में प्रशुल्क आयोग की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा मद्यपान

†*५९९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों में मद्यपान रोकने की कोई योजना विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इसके कब तक लागू हो जाने की आशा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). ४ तथा ५ सितम्बर १९६१ को इस प्रश्न पर विचार करने के लिए केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति ने सिफारिश की थी कि भारत सरकार को तथा राज्य सरकारों को, कर्मचारियों द्वारा मद्यपान करने को दुराचार घोषित कर देना चाहिए । अन्य सिफारिशों के साथ साथ इस सिफारिश को भी राज्य सरकारों को भेज दिया गया है । उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है । अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं के संबंध में मामला विचाराधीन है ।

अफ्रीकी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

†*६००. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री २२ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७९५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य छात्रवृत्ति योजना तथा राष्ट्रमंडल योजना के अधीन अफ्रीकी विद्यार्थियों को कितनी रकम वृत्तिका के रूप में दी गई है ;

(ख) छात्रवृत्ति की अवधि में प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी रकम वृत्तिका के रूप में दी जानी होती है ;

(ग) क्या छात्रवृत्तियों की संख्या में प्रस्तावित वृद्धि से सहायता पाने वाले वर्तमान देशों से ही लाभ होगा अथवा अन्य अफ्रीकी देशों को भी लाभ होगा ;

(घ) योजना में राष्ट्रमंडल से बाहर के अन्य कौन से अफ्रीकी देशों के शामिल किये जाने की आशा है ; और

(ङ) क्या अफ्रीकी विद्यार्थियों को इस देश में छात्रवृत्ति की अवधि के दौरान भारतीय परिवारों के साथ रहने की सुविधा देने की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) १ अप्रैल, १९६१ से नवम्बर, १९६१ तक अफ्रीकी विद्यार्थियों को सामान्य छात्रवृत्ति योजना (१९६१-६२) के अधीन १,०९,४६२ रुपये ५३ नये पैसे---९९,३६५ रुपये ९५ नये पैसे तथा राष्ट्रमंडलीय छात्रवृत्ति/फैलोशिप योजना (१९६१-६२) के अधीन १०,०९६ रुपये ५८ नये पैसे वृत्तिका के रूप में दिए गए हैं।

(ख) छात्रवृत्ति की अवधि में सामान्य छात्रवृत्ति योजना के अधीन २०० रुपये मासिक तथा राष्ट्रमंडलीय छात्रवृत्ति/फैलोशिप योजना के अधीन २५० रुपये मासिक प्रत्येक विद्यार्थियों को वृत्तिका दी जा सकती है। पिछली योजना के विद्यार्थियों को ४५० रुपये मासिक तक मिलते हैं।

(ग) और (घ). प्रस्तावित योजना के अधीन छात्रवृत्ति के वितरण पर सरकार विचार कर रही है।

(ङ) जी, नहीं। अफ्रीकी विद्यार्थियों समेत सभी विदेशी विद्यार्थी संस्थाओं से संबद्ध छात्रावासों में रहना पसंद करते हैं। उनको कालिज के छात्रवासों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी गृहों में निश्चित रूप से निवास स्थान दिया जाता है।

असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

†*६०१. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २५ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली छावनी में रहने वाले और काम करने वाले सभी प्रतिरक्षा असैनिक कर्मचारियों पर अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना लागू करने के सम्बन्ध में इस बीच कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (घ) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली छावनी में रहने वाले और काम करने वाले सभी प्रतिरक्षा असैनिक कर्मचारियों पर अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना लागू करने के लिए अस्पताल और डिस्पैन्सरी सुविधाओं के विस्तार के लिए उपयुक्त भूमि के व्यवस्था करने के प्रश्न पर स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

इंग्लैंड में भारत संबंधी पुस्तकों की नीलामी

†६०२. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** ७ सितम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंगलैण्ड में भारत सम्बन्धी पुस्तकों की नीलामी के बारे में जांच पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सम्पूर्णानन्द समिति

†*६०३. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जीवन में भावनात्मक एकीकरण में प्रगति के सम्बन्ध में अध्ययन करने और रिपोर्ट देने सम्बन्धी संपूर्णानन्द समिति के कार्यवहन के बारे में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या इस समिति को किसी विशिष्ट तिथि तक रिपोर्ट देने का निदेश दिया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख) सरकार के अनुरोध पर समिति ने २४ नवम्बर, १९६१ को प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया और पूरा प्रतिवेदन कुछ महीनों में प्रस्तुत कर देने का वचन दिया है ।

"डौक्यूमेंटस् आन दि साइनो-इंडिया बाउंड्री क्वश्चन" नामक पुस्तिका

†*६०४. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फौरन लैंग्वेज प्रैस, पेकिंग द्वारा प्रकाशित "डौक्यूमेंट्स आन दी साइनो-इंडिया बाउन्ड्री क्वश्चन" नामक पुस्तिका भारत में लाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि पुस्तिका में कुछ आपत्तिजनक और झूठी बातें हैं ; और

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा १९ के अधीन जारी की गई अधिसूचना जिसमें भारत की प्रादेशिक एकता अथवा सीमाओं के संबंध में प्रकाशनों के भारत आने पर प्रतिबन्ध की व्यवस्था है, के अनुसार सीमाशुल्क अधिकारियों को इस पुस्तक को रोकने के आदेश दिए गए हैं । दण्ड विधि-संशोधन अधिनियम १९६१ की धारा ४ के अधीन भी पुस्तक पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ।

इंजीनियरिंग और टेक्नोलाजी कालिज

*६०५. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली (हौस खास) में इंजीनियरिंग और टेक्नोलाजी कालेज की इमारत के निर्माण के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या ब्रिटेन से इस कालेज के लिये कुछ खास सामान प्राप्त हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** (क) वर्कशाप, टैक्स्टाइल टेक्नोलाजी ब्लाक और २५० विद्यार्थियों के लिये होस्टल बन चुका है। २५० विद्यार्थियों का एक दूसरा होस्टल पूरा होने वाला है।

(ख) यूनाइटेड किंगडम से प्रयोगशाला और वर्कशाप के औजार जिनकी कीमत करीब २५,२०० पाउण्ड है मिल चुके हैं।

करगली का कोयला धोने का कारखाना

†*६०६. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करगली के कोयला धोने के कारखाने में किन कारणों से कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित क्षमता से काम शुरू नहीं हो पाया;

(ख) गत दो वर्षों में कोयला धोन के कारखान में कितना नुकसान हुआ है;

(ग) क्या कोई ठेके का उल्लंघन हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो ठेके के उल्लंघन के लिये क्या कोई जुर्माना मांगा गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) कोयला धोने के कारखाने में प्रति मास १,३५,००० टन की क्षमता इन कारणों से पूरी नहीं हो पाई क्योंकि इस में कुछ खराबी आ गई थी और बोकारो से कोयला लाने वाला दो केबल वाला रज्जु पथ टूट गया था। इस बीच जापानी ठेकेदारों ने मुक्त, रज्जु लगा दी है तथा खराबी दूर कर दी है। अगस्त तथा सितम्बर में किये गये परीक्षणों से मालूम हुआ कि यदि १६ घंटे तक बिना रुके काम किया जाये तो कोयला धोने की घण्टेवार क्षमता इतनी है जिससे लक्ष्य पूरे हो सकें। इसी समय उत्पादन लगभग १,०२,५०० टन मासिक हो गया है। उत्पादन को तथ्यों की क्षमता तक बनाने के लिए प्रबन्ध किया जा रहा है।

(ख) नुकसान का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि इस्पात कारखानों से समझौता है कि धुले हुए कोयले को वह निगम की वास्तविक लागत पर खरीद लेंगे। कारखाने को लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है। इसलिए उत्पादन में कमी का आय पर कोई असर नहीं पड़ता है।

(ग) और (घ). कारखाने के उत्पादन का निर्धारण होने पर ही अन्तिम स्थिति का निर्धारण हो सकेगा।

अरब तेल कांग्रेस के लिये भारतीय प्रेक्षक

† ६०७. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० गं० देव :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, १९६१ में हुई अरब तेल कांग्रेस में उपस्थित होने के लिये भारतीय प्रेक्षकों का एक दल भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां से लौटने पर दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ग) प्रेक्षकों की मुख्य सिफारिशें क्या थीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) काहिरा में भारतीय दूतावास के एक कर्मचारी ने प्रेक्षक के रूप में कांग्रेस में भाग लिया था ।

(ख) हमारे प्रेक्षक ने प्रतिवेदन दे दिया है ।

(ग) प्रेक्षक ने कोई सिफारिश नहीं की है । उसने कार्यवाही का सारांश बताया और महत्वपूर्ण कागजात भेजे तथा निम्नलिखित विचार प्रकट किये :—

(१) पैट्रोलियम के मूल्यों में कमी पर कांग्रेस में चर्चा के समय भारतीय तेल समवाय तथा रूसी सरकार के बीच समझौते अथवा भारत का कोई उल्लेख नहीं किया गया ।

(२) पैट्रोल का निर्यात करने वाले देशों के संगठन के मूल्यों पर चर्चा करने की उन देशों न आलोचना की जो इस संगठन के सदस्य नहीं थे ।

(३) वैज्ञानिक विषयों पर पढ़े गये लेखों को बहुत कम लोगों ने सुना ।

(४) ईराक तथा ट्यूनीशिया की अनुपस्थिति तथा पहली बार लिबिया की उपस्थिति पर ध्यान दिया गया ।

वायु सेना प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर

†***६०८. श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु सेना प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर को वहां से हटाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यह केन्द्र जोधपुर में कब से है और पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष निश्चित परिसम्पत् पर कितनी रक़म व्यय की गई ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) मामला विचाराधीन है ।

(ख) १९४१ से गत पांच वर्षों में निश्चित परिसम्पतों पर व्यय की गई रकम का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

वर्ष	व्यय
१९५६–५७	१८,०५,९११ रुपये
१९५७–५८	५,१५,२१६ रुपये
१९५८–५९	१७,२९,१७३ रुपये
१९५९–६०	३,१३,५६६ रुपये
१९६०–६१	२,५३,७९७ रुपये
१९६१–६२ का पूर्व-कल्पित	४,३८,८३५ रुपये

†मूल अंग्रेजी में

नाविक, सैनिक और वैमानिक बोर्ड

*६०९. श्री भक्त दर्शन :
श्री महन्ती :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री २२ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ज़िला नाविक, सैनिक व वैमानिक बोर्डों व उनके कर्मचारियों को स्थायी बनाने का जो प्रश्न विचाराधीन था, उस के बारे में क्या निश्चय किया गया है;

(ख) वह निश्चय किस तारीख से व किस प्रकार से लागू किया जायेगा;

(ग) यदि अभी निश्चय नहीं किया गया है, तो इतनी देरी होने का क्या कारण है; और

(घ) इस पर कब तक निश्चय हो जाने की आशा है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) तथा (ख). अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया; मामला राज्य सरकारों के परामर्श के साथ , जांच अधीन है ।

(ग) विलम्ब इस कारण हो रहा है, कि कुछ राज्य सरकारों ने अभी अपने उत्तर नहीं भेजे ।

(घ) सभी राज्य सरकारों ने बोर्डों को स्थायी करने का सुझाव स्वीकार कर लिया ।

विश्वविद्यालयों के लिये आदर्श विधान

†*६१०. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री १४ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वायत्तता की गूढ़ता के सम्बन्ध में भारत के विश्वविद्यालयों का मार्गदर्शन करने के लिये एक आदर्श विधान बनाने के बारे में विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन, शिक्षा मंत्रालय के सचिव, दिल्ली विश्वविद्यालय के उप-कुलपति के दल ने प्रस्तावों की जांच की है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन, डा० डी० एस० कोठारी, के सभापतित्व में प्रस्तावित समिति मामले पर और आगे विचार करेगी ।

रूरकेला इस्पात कारखाने में आत्महत्या

†*६११. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २५ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात कारख़ाने के श्री एस० एन० मिश्र द्वारा घमन भट्टी में कूद कर कथित आत्महत्या की जांच पूरी हो चुकी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो जांच की उपपत्तियां क्या हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्णसिंह)** : (क) जी नहीं। पुलिस जांच अभी पूरी नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इस्पतात कारखाने

†*६१२. { **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री तंगामणि :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई, रूरकेला और दुर्गापुर इस्पात कारखानों में सभी श्रम विधान लाग कर दिये गये हैं;

(ख) क्या वर्तमान स्थायी आदेशों को प्रमाणिप कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या संघों का परामर्श लिया गया है ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) रूरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखानों द्वारा श्रम विधानों के उपबन्ध लाग किये जा रहे हैं ।

(ख) और (ग). अभी नहीं । स्थाई आदेशों का मसौदे के प्रमाणीकरण की प्रतीक्षा की जा रही है । आशा है कि प्रमाणन अधिकारी स्थायी आदेशों के प्रमाणीकरण के पहले संघों से परामर्श कर लेंगे ।

कालिजों का विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध किया जाना

†*६१३. { **श्री अजित सिंह सरहदी** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालिजों के विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध किये जाने के लिए सभी विश्वविद्यालयों में समान पद्धति लागू करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या विश्वविद्यालयों ने योजना को स्वीकार अथवा लागू कर दिया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). 'विश्वविद्यालय 'अनुदान आयोग ने मामला सभी विश्वविद्यालयों को भेज दिया है । आयोग को सत्ताईस विश्वविद्यालयों ने उत्तर भेज दिये हैं । विश्वविद्यालयों के विचार मिलने पर आयोग अग्रेतर कार्यवाही करेगा ।

---

†मूल अग्रेजी में

देहाती क्षेत्रों में चिकित्सा स्नातकों के लिए सेवा

†*६१४. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये चिकित्सा स्नातकों के लिए निश्चित अवधि में देहाती क्षेत्रों में अनिवार्य सेवा की व्यवस्था लागू करने के लिए विधान पुरस्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यदि प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा चुका है तो उस का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा): (क) और (ख). प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

पाकिस्तान को कोयले का संभरण

†*६१५. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० गं ० देव :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाक रेलवे को १९६२ में कोयले का संभरण करने के लिए पाकिस्तान रेलवे बोर्ड तथा भारतीय सार्थों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने कोयले का संभरण होगा ; और

(ग) किन शर्तों पर ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** :(क) से (ग). पाकिस्तान रेलवे बोर्ड और भारतीय सार्थों के समझौते की सरकार को जानकारी नहीं है। परन्तु भारत-पाकिस्तान व्यापार समझौते के अधीन भारत सरकार ने प्रति मास १३०,००० टन 'नान कोकिंग कोयला' भेजना स्वीकार कर लिया है और यह मालूम हुआ है कि इस कोयले का इस्तेमाल केवल रेलवे करेगी। इस व्यापार समझौते के अधीन पाकिस्तान सरकार ने कोयले के व्यक्तिगत संभरणकर्ताओं से बात-चीत की है। जिन्होंने भारत-पाकिस्तानी समझौते के अधीन स्वीकृत अधिकतम मात्रा के कोयले का निर्यात करने के लिये कोयला नियंत्रक की अनुमति मांगी है।

भारत में किराया-खरीद

†६१६. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **विधि** मंत्री ३० अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्यम वर्ग के लोगों में किराया खरीद प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस विषय के सम्बन्ध में विशेष विधान बनाने के लिए विधि आयोग के सुझाव पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरतवीस)** : किराया-खरीद कानून के सम्बन्ध में विधि आयोग का बीसवां प्रतिवेदन २० नवम्बर, १९६१ को सभा पटल पर रख दिया गया था। उस पर सरकार अभी भी विचार कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में नगरीय बुनियादी स्कूल

†११९३. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रयोगात्मक आधार पर एक नगरीय बुनियादी स्कूल स्थापित करने के बारे में दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय का प्रस्ताव कार्यान्वित किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) अभी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

गुलबर्ग में गवर्नमेंट हिन्दी शिक्षा ट्रेनिंग कालेज

†११९४. श्री दी० चं० शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुलबर्ग में एक गवर्नमेंट हिन्दी शिक्षा ट्रेनिंग कालेज खोलने के बारे में ब्यौरे को अन्तिम रूप देने के मामले में क्या अग्रेतर प्रगति हुई है ; और

(ख) कब तक इसके द्वारा कार्य आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) और (ख). ५ अगस्त, १९६१ से गुलबर्ग में कालेज ने काम करना आरम्भ कर दिया है ।

भारत तथा संयुक्त राज्य अमरीका के बीच सांस्कृतिक मेल जोल

†११९५. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वैज्ञानिक, अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक वर्ष में भारत तथा संयुक्त राज्य अमरीका के बीच कोई सांस्कृतिक मेलजोल हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैज्ञानिक, अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) जी हां ।

(ख) (१) कला वस्तुओं का विनिमय
(२) प्रसारण सामग्री का विनिमय
(३) शिक्षा सम्बन्धी विनिमय
(४) पुस्तकों का विनिमय
(५) यात्रा सम्बन्धी अनुदान
(६) सांस्कृतिक शिष्टमंडल

†मूल अंग्रेजी में

बकलोह छावनी बोर्ड

†११९६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९–६० में बकलोह छावनी बोर्ड को विकास सम्बन्धी योजनाओं के लिये सहाय्य-अनुदानों के तौर पर कितनी राशि आवंटित की गई है ; और

(ख) जिन योजनाओं के लिये अनुदान मंजूर किये गये हैं उनके ब्यौरे क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) ३८,००० रुपये ।

(ख)

सड़कों पर रोशनी का प्रबन्ध	८,५०० रुपये
गलियों के चबूतरे और सड़कों की मरम्मत	६,१०० रुपये
हरिजन क्वार्टरों का निर्माण	२३,४०० रुपये
योग	३८,००० रुपये

कलकत्ता में विभिन्न करों की वसूली

†११९७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०–६१ में कलकत्ता में सम्पदा शुल्क, व्यय कर, उपहार कर और सम्पत्ति शुल्क की कितनी राशि आंकी गई थी और वसूल की गई थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** सूचना नीचे दी जाती है :—

	आंकी गई राशि हजार रुपये	वसूल की गई राशि हजार रुपये
सम्पदा शुल्क . . .	२६७३	१८८३
व्यय कर .	३८३	२६३
उपहार कर .	६३१	५१३
सम्पत्ति शुल्क .	१७६०८	१४४७५

महाराष्ट्र में शिक्षित बेरोजगारों को सहायता

†११९८. **श्री पांगरकर :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र राज्य में शिक्षित लोगों की बेकारी को दूर करने की योजना के आरम्भ किये जाने से लेकर इस के अन्तर्गत मंजूर किये गये अध्यापकों में से राज्य में अब तक कुल कितने नये प्राथमिक अध्यापक नियुक्त किये गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** ३३८२ अध्यापक ।

†मूल अंग्रेजी में

लाहौल और स्पिति क्षेत्र में सड़कें

†११९९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बत की सीमा पर लाहौल और स्पिति के हिमाच्छादित क्षेत्रों में अधिक सड़कें बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

काश्मीर राज्य में पेट्रोलियम निक्षेपों का सर्वेक्षण

†१२००. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काश्मीर राज्य में मुरादपुर के समीप पेट्रोलियम निक्षेपों के सर्वेक्षण की अद्यतन स्थिति क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मुरादपुर तेल के रिसने के बारे में विस्तृत अध्ययन का काम चालू क्षेत्रीय मौसम के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के भूतत्वीय निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यक्रम में शामिल किया गया है ।

पंजाब में नगरपालिका के भंगी

†१२०१. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में दूसरी पंचवर्षीय योजना में सफाई करने और मल उठाने का काम करने वाले अनुसूचित जातियों के परिवारों के लिये कितने मकान बनाये गये हैं ; और

(ख) पंजाब में किन स्थानों पर वे मकान बनाये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बातार)** : (क) २८१ मकान ।

(ख) सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बाल पुस्तक न्यास

†१२०२. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री ९ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बाल पुस्तक न्यास के द्वारा प्रेस लगाने तथा दफ्तर की इमारत बनवाने के बारे में आज तक कितनी प्रगति की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : बाल पुस्तक न्यास की इमारत के निर्माण का काम अनुसूची के अनुसार प्रगति पर है । पानी निकालने और नींव के पत्थर पर कंक्रीट करने का काम पूरा हो चुका है और पांच मंजिलों को सहारा देने के लिये इस्पात भरे स्तम्भों को बनाने का काम जारी है ।

छपाई का उपकरण लगाने के काम के बारे में, इमारत बन चुकने के पश्चात्, विचार किया जाएगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह

†१२०३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में निकोबार तथा अन्दमान द्वीप समूहों की समूची उन्नति करने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है ;

(ख) यह राशि पहली और दूसरी योजनाओं में मंजूर की गई राशि की तुलना में कितनी है; और

(ग) क्या मत्स्यपालन केन्द्रों के विकास तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये कोई विशेष राशि मंजूर की गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) छोटे पत्तनों के विकास के लिये परिवहन तथा संचार मंत्रालय ने ९७९.३२० लाख रुपये तथा ४२ लाख रुपये की व्यवस्था की है।

(ख) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लिये कोई पहली पंचवर्षीय योजना नहीं थी। दूसरी योजना में छोटे पत्तनों के विकास के लिये परिवहन तथा संचार मंत्रालय के द्वारा उपबन्धित ४२.४८ लाख रुपये की राशि के साथ ६०३.१३५ लाख रुपये का व्यय था।

(ग) तीसरी योजना में मत्स्यपालन विकास के हेतु १४.७७० लाख रुपये की राशि का उपबन्ध किया गया था।

सोना पकड़ा जाना

†१२०४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, १९६१ से नवम्बर, १९६१ के अन्त तक सीमा शुल्क पदाधिकारियों ने कितने मूल्य का सोना पकड़ा था ;

(ख) अब तक कितने तस्कर व्यापारियों को दंड दिया जा चुका है ; और

(ग) वे तस्कर व्यापारी किस किस राष्ट्रीयता के थे ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) १.०३ करोड़ रुपये की लागत का सोना १ जुलाई, १९६१ से ३० नवम्बर, १९६१ तक केन्द्रीय सीमा शुल्क पदाधिकारियों, सीमा शुल्क तथा भूमि सीमा शुल्क पदाधिकारियों द्वारा, चोरी से लाये जाते हुए पकड़ा गया था।

(ख) १८ (इसमें केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियन्त्रक, बम्बई के आंकड़े शामिल नहीं हैं)।

(ग) ७ भारतीय, १ चीनी, १ पाकिस्तानी शेष ९ तस्कर व्यापारियों की राष्ट्रीयता की सूचना उपलब्ध नहीं है।

पंजाब के प्राथमिक स्कूल अध्यापकों के वेतन-क्रम

†१२०५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के प्राथमिक स्कूल अध्यापकों के वेतन-क्रम १९६१ में बढ़ा दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने १९६१-६२ में इस काम के लिये पंजाब सरकार को कोई राशि दी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) वेतन-क्रम कब से बढ़ा दिये गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ग). अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है ।

(ख) जी, नहीं ।

कूंआं संख्या १ रुद्रसागर (आसाम) की मरम्मत

†१२०६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम के रुद्रसागर के कूआं संख्या १ में की जा रही मरम्मत की क्या प्रगति है ; और

(ख) उसका क्या ब्यौरा है तथा रुद्रसागर से कितना तेल मिलने का अनुमान है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) सीमेंट का पुराना डट्टा, जिसके द्वारा तेल निकलने का सन्देह था, बदल दिया गया था ।

(ख) अक्तूबर १९६१ में 'वर्क ओवर रिग' लगाया गया था और ३११२—३१४ मीटरों के बीच सीमेंट का डट्टा जिसके रिसने का सन्देह था, निकाल दिया गया था । सीमेंट का एक नया डट्टा लगा दिया गया है । ३०८५—३०८९ मीटरों के बीच के अन्तर में जो पहले जांचे गये ३०८६·५—३१०१ मीटरों की दूरी का ऊपर का भाग है, छेद किया जाएगा और शीघ्र ही उसकी जांच की जाएगी । रुद्रसागर कुएं में से कितना तेल निकल सकेगा, इसका अभी अनुमान लगाया जाएगा ।

गुरदासपुर में भूतपूर्व सैनिकों के लिये भूमि

†१२०७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में खेती के लिये कितने भूतपूर्व सैनिकों को पंजाब के गुरदासपुर जिले में भूमि आवंटित की गई है; और

(ख) उनको और क्या वित्तीय सहायता दी गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) अफजलगढ़ बस्ती में एक को ।

(ख) अफजलगढ़ बस्ती में बसने वाले लोगों को ट्रैक्टरों, बैलों, औजारों, कूओं/नलकूपों, मकानों और सांझी इमारतों अर्थात पंचायतघरों, बीज के स्टोरों, डिस्पैंसरियों और स्कूलों की व्यवस्था के तौर पर सहायता दी जाती है ।

उच्च न्यायालयों की शक्तियां

†१२०८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, केन्द्रीय सरकार को कोई निदेश, लेख या आदेश जारी करने के बारे में सभी उच्च न्यायालयों को शक्तियां देने से सम्बन्धित संविधान की धारा २२६ में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

---

†नूल अंग्रेजी में

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) सरकार इस मामले पर सक्रिय विचार कर रही है ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

दिल्ली म मद्य निशेध

†१२०९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **गृह-काय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में सम्पूर्ण मद्य निषेध के लिये एक क्रमित कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). इस मामले पर दिल्ली प्रशासन के परामर्श के साथ विचार किया जा रहा है ।

दिल्ली में चिट फंडों पर नियंत्रण

†१२१०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मन्त्री १४ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में चिट फण्डों के विनियमन तथा नियत्रण के बारे में अब कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). मद्रास चिट फण्ड अधिनियम १९६१ का, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उचित परिवर्तन के साथ, दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में विस्तार करने का विचार है । जिन परिवर्तनों की आवश्यकता है, उनका मसौदा हाल में ही दिल्ली प्रशासन से प्राप्त हुआ है और अब विचाराधीन है ।

भट्ठी के तेल का आयात

†१२११. **श्री राम कृष्णगुप्त** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मन्त्री १४ अगस्त १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भट्ठी के अधिक तेल का आयात करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० डे० मालवीय)** : (क) और (ख). जी हां । हाल ही में रुपया भुगतान साधनो से मट्ठी का अधिक तेल विदेश से मंगवाने के लिये हाल ही में प्रबन्ध पूरा हो चुका है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्कल विश्वविद्यालय के द्वारा पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई

†१२१२. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पुरातत्वीय खुदाई करने के लिये उत्कल विश्वविद्यालय को कोई अनुदान दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना; और

(ग) क्या दूसरी योजना अवधि में उत्कल विश्वविद्यालय ने इसके बारे में कोई प्रार्थना की थी ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

उत्कल विश्वविद्यालय को होस्टलों के लिये ऋण

†१२१३. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री ९ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा दिये गये ७५०,००० रुपये के ऋण के साथ उत्कल विश्वविद्यालय ने दूसरी योजना अवधि में कितने होस्टल बनवाये हैं ;

(ख) इन होस्टलों में कितने विद्यार्थियों के लिये व्यवस्था की गई है ; और

(ग) अधिक विद्यार्थियों के लिये होस्टल आवास की व्यवस्था करने के निमित्त १९६१–६२ में अब तक उत्कल विश्वविद्यालय को कितना ऋण दिया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). २५० विद्यार्थियों की क्षमता के साथ दो होस्टल पूरे होने वाले हैं ।

(ग) अतिरिक्त होस्टल सुविधा के लिये ३.७९ लाख रुपये के ऋण के अनुदान का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

मिदनापुर जिले में पाई गई 'मार्श गैस'[1]

†१२१४. **श्री डी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सच है कि हाल ही में मिदनापुर जिले के एक गांव में मार्श गैस पाई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Mash Gas.

(ख) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिला के तामलुक सबडिवीजन के गोपी मोहनपुर गांव में एक नलकूप २०-८-१९६१ को भूमितल से २०५ मीटर नीचे तक खोदा गया था। कूएं के निर्माण के दो घण्टे के बाद, कूएं सेयकायंक दलदल निकलने लगी जो लगभग पन्द्रह मिनट तक चलती रही। भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा लिये गये गैस के नमूनों से पता चला है कि गैस में अधिकतर मैथेन है, जिसे आम तौर पर 'मार्श गैस' कहा जाता है।

अफ्रीकी और अन्य विदेशी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

†१२१५. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में पढ़ने वाले अफ्रीकी तथा अन्य विदेशी विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की राशि में अन्तर है; और

(ख) यदि हां, तो कितना अन्तर है और इसके कारण क्या हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी नहीं। एक ही योजना के अन्दर दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की राशियों में कोई अन्तर नहीं होता।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार

†१२१६. श्री दी० चं० शर्मा : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी नौकरों में भ्रष्टाचार के मामलों को कठोरतापूर्वक हल करने में होने वाले विलम्ब और प्रक्रिया सम्बन्धी त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से संविधान में संशोधन करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). संविधान में संशोधन करने का एक प्रस्ताव कुछ समय से विचाराधीन है, परन्तु अभी कई निश्चित निर्णय इसके बारे में नहीं किया गया है।

दुर्गापुर इस्पात परियोजना

†१२१७. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस दुर्गापुर इस्पात परियोजना के कर्मचारियों और कर्मगारों के अभिलेखों की जांच कर रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि भर्ती होते समय, एक बार पुलिस की मारफत जांच करवाई जाती है; और

(ग) यदि हां, तो दूसरी बार इस पुलिस जांच के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) से (ग). दुर्गापुर इस्पात परियोजना, उन उपायों के द्वारा जो उनको प्राप्त होते हैं, परियोजना में भर्ती के समय अपने कर्मचारियों की उपयुक्तता के बारे में सामान्य तौर पर जांच करते हैं। यह सम्भव है जब उपयुक्तता की पूर्व जांच किये बिना आकस्मिक कारणों से कर्मचारी भर्ती करने होते हैं या जब कोई विशेष परिस्थिति सकी आवश्यकता उत्पन्न कर देती है, तब परियोजना के पदाधिकारी नियुक्त करने के पश्चात उपयुक्तता की जांच कर सकते हैं।

ए० ओ० सी०[1] में असैनिक कर्मचारियों का स्थायीकरण

†१२१८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ए० ओ० सी० में २०० से अधिक सिविलियन आर्डिनेंस अफसर ऐसे हैं जिन की १५ से १८ वर्ष की सेवा हो जाने पर भी उन्हें स्थायी नहीं बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, उन्हें स्थायी बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है क्योंकि उन में से कई सेवानिवृत्त हो चुके हैं और कई होने वाले हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी नहीं। ऐसे सिविलियन आर्डिनेंस अफसरों की संख्या १२४ है। इन में से ६२ निचले पदों पर स्थायी हैं।

(ख) स्थान खाली हों तो सरकार अधिक से अधिक अफसरों को स्थायी करना चाहती है।

१९६० की हड़ताल

†१२१९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० की हड़ताल में प्रतिरक्षा विभाग के कितने असैनिक कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था और न्यायालय द्वारा उन में से कितने दोषी ठहराये गये थे ; और

(ख) प्रत्येक स्थान और प्रत्येक संस्थान अनुसार उक्त जानकारी का ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४३]**

यूनियनों और फैडरेशनों को मान्यता देना

†१२२०. **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री शूलन सिंह :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्रीमती मैमूना सुलतान :
श्री तंगामणि :
श्री चुन्नी लाल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई १९६० की हड़ताल के बाद जिन यूनियनों और फैडरेशनों की मान्यता समाप्त हो गई थी क्या उन्हें पुनः मान्यता देने के सम्बन्ध में गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई हिदायतें सभी विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा चुकी हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उन्हें कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Army Ordnance Corps.

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). जी हां, उन मामलों को छोड़ कर जिन में केन्द्रीय असैनिक सेवा (सेवा संस्थाओं को मान्यता देना) नियम, १९५९ के उप-बन्धों को पूरा नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश के लिये कोयला

†१२२१. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २२ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कोयले और सोफ्ट कोक के संभरण की स्थिति में इस बीच कोई सुधार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो किस हद तक ; और

(ग) कितने वैगन बढ़ाये गये हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). जुलाई, १९६१ से सितम्बर, १९६१ तक उत्तर प्रदेश को कोयले और साफ्ट कोक के ३६,९६४ वैगन दिये गये जबकि अप्रैल, १९६१ से जून, १९६१ तक के तीन मास में २६,५९६ वैगन दिये गये थे ।

हार्नेस एण्ड सैडलरी फैक्टरी, कानपुर

†१२२२. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, १९६१ में कानपुर की सरकारी हार्नेस एण्ड सैडलरी फैक्टरी की वर्क्स कमेटी के निर्वाचन किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो हार्नेस एण्ड सैडलरी फैक्टरी कर्मचारी संघ के कितने उम्मीदवारों ने निर्वाचन में सफलता प्राप्त की ;

(ग) भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध किला मजदूर यूनियन ने कितनी सीटें प्राप्त कीं ; और

(घ) क्या किला मजदूर यूनियन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) दस में से सात सीटें हार्नेस एण्ड सैडलरी फैक्टरी कर्मचारी संघ ने प्राप्त की ।

(ग) किला मजदूर यूनियन ने अगस्त, १९६१ में हुए वर्क्स कमेटी के निर्वाचनों में चुनाव नहीं लड़े थे । अतः सीटें प्राप्त करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) जी हां ।

'शक्तिमान' और 'निशान' ट्रक[1]

†१२२३. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युद्ध सामग्री कारखाने में 'शक्तिमान' और 'निशान' ट्रकों के उत्पादन के सम्बन्ध में और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) १९६० की तुलना में यह उत्पादन कम है या अधिक ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]'Shaktiman' and 'Nissan Trucks'.

(ग) क्या उत्पादन बढ़ने से लागत कम हुई है या नहीं ;

(घ) यदि हां, तो कितनी ; और

(ङ) यह मूल्य उन ट्रकों के मूल्य से कम है या अधिक जो इन ट्रकों के युद्ध सामग्री कारखानों में उत्पादन से पूर्व गैर सरकारी क्षेत्र से खरीदे जाते थे ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) ३१-१०-६१ तक ३०७१ ट्रक तैयार किये गये थे ।

(ख) १९६० में ९३९ ट्रक बनाये गये थे और १९६१ में (जनवरी से अक्तूबर) १८१२ ।

(ग) और (घ). १९६१ की लागत मूल्य इस समय ज्ञात नहीं है । आशा है कि देशीयपुर्जों के बढ़ने से लागत कम होती जायेगी ।

(ङ) खरीदे गये ट्रकों की निस्बत 'शक्तिमान' और 'निशान' ट्रकों के मूल्य कम पड़ते हैं ।

सुपर सोनिक विमान

†**१२२४. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बंगलोर स्थित हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड में सुपर सोनिक विमानों के निर्माण के सम्बन्ध में और क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : एच एफ–२४ का प्रथम अनुरूप विमान की प्रयोगात्मक उड़ानें की जा रही हैं । दूसरा अनुरूप विमान तैयार होने वाला है ।

भारत में विदेशी पूंजी

†**१२२५. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में ब्रिटिश पूंजी का हिसाब लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो १ अक्तूबर, १९६१ को अनुमानित राशि क्या थी ; और

(ग) ब्रिटेन को प्रतिवर्ष औसतन कितनी राशि लाभ के रूप में प्राप्त होती है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां ।

(ख) ३१ दिसम्बर, १९५९ तक जानकारी एकत्र की गई है । उस तिथि तक भारत में ब्रिटेन की ४००.१ करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई थी ।

(ग) प्रतिवर्ष औसतन २२ करोड़ रुपया ब्रिटेन को भेजा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्यपालिका को न्यायापालिका से अलग करना

†१२२६. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के किन किन राज्यों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया है ;

(ख) उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का काम जारी है ;

(ग) किन किन राज्यों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने में कोई कार्यवाही नहीं की गई है ; और

(घ) राज्य सरकारों से भाग (क) में उल्लिखित विषयों को अलग करने के कार्य को पूरा करने का अनुरोध करने के लिये भारत सरकार क्या कार्यवाही कर रही है अथवा करने का विचार रखती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** :(क)

१. आंध्र प्रदेश
२. गुजरात
३. केरल
४. महाराष्ट्र
५. मद्रास
६. मैसूर
७. पश्चिम बंगाल ।

(ख) १. असम
२. बिहार
३. मध्य प्रदेश
४. उड़ीसा
५. पंजाब
६. राजस्थान
७. उत्तर प्रदेश ।

(ग) कोई नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दुर्गापुर इस्पात कारखाना

†१२२७. श्री बर्मन :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० चं० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात परियोजना का अनुमान उसकी अनुमानित लागत से कम रहा ;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सिविल इंजीनियरिंग की बढ़ी हुई लागत को ध्यान में रखते हुए कोई पुनरीक्षित अनुमान तैयार करने का मामला विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो पुनरीक्षित अनुमान क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) से (घ). जैसाकि मैंने १५ अप्रैल, १९६१ को अपने बजट संबंधी भाषण में बताया था दुर्गापुर इस्पात परियोजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन १८६ करोड़ रु० होगा। सिविल इंजीनियरिंग की बढ़ी हुई लागत को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षित प्राक्कलन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और उस पर हिन्दुस्तान स्टील छान-बीन कर रहा है ?

पथेरडीह कोल वाशरी

†१२२८. श्री बर्मन :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० चं० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पथेरडीह कोल वाशरी (कोयला धोने का कारखाना) के निर्माण संबंधी टेंडर को स्वीकार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ग) क्या भूमि अर्जन के लिये कोई राशि दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) पथेरडीह में कोल वाशरी के निर्माण के लिये एक अमरीकन फर्म के साथ ठेका किया गया है।

(ख) फर्म ने नक्शे आदि तैयार करना आरम्भ कर दिया है और निर्माण कार्य शीघ्र ही आरम्भ होने की आशा है टाउनशिप में मकानों का निर्माण भी शीघ्र ही आरम्भ हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ) रेलवे विभाग को १,८११,००० ० वाशरी के लिये भूमि अर्जन करने, रहने के क्वार्टर और आवश्यक रेलवे साईडिंग बनाने के लिये दे दिया गया है।

रद्दी लोहा[1]

†१२२९. श्री बर्मन :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० चं० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रद्दी लोहे (स्क्रैप) की उपलब्धता और उनके प्रयोगों की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उपपत्तियों का ब्यौरा क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली नगर निगम के लिये भवन का निर्माण

†१२३०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने अपने नये कार्यालय के लिये सर्कुलर रोड पर सात मंजिल की इमारत बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार से कोई आर्थिक सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

इंजीनियरिंग कालेज और पालिटैक्नीक

†१२३१. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ३० अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के दौरान १० इंजीनियरिंग कालेज और ६७ पौलिटैक्नीक खोलने के लिये स्थान चुन लिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम (राज्यवार) क्या हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) और (ख).

---

[1]Steel scraps

†मूल अंग्रेजी में

१. सात कालेजों के स्थान के बारे में किया गया अन्तिम निर्णय निम्नलिखित है :—

भागलपुर ; गोरखपुर ; कलकत्ता ; जलपायगुड़ी ; बम्बई; अमरावती; कोटामंगलम् (केरल)

२. पोलिटैक्नीकों के बारे में राज्यों की पुनरीक्षित योजनाओं में डिप्लोमा कोर्स के लिये ८१ संस्थाओं रखी गई हैं। ४९ संस्थायें निम्नलिखित स्थानों पर खोली जायेंगी :—

श्रीकाकुलम (आन्ध्र प्रदेश); नौगांग (असम); बोच ; आदिपुर (गुजरात); पेरिंथलभाना (केरल); दुर्ग ; इन्दौर (मध्य प्रदेश); कोयम्बटूर, करायकुडी (मद्रास); तुम्सुर, कोल्हापुर, रत्नगिरी, खानगांव, यवतमाल, नान्देड़, बम्बई (महाराष्ट्र); रायचुर, फरेज़रपट (मैसूर); बोलंगीर (उड़ीसा); झंजर, गुरु तेग बहादुर गढ़, बटाला, सिरसा, हमीरपुर, रोहतक, लुधियाना, रिवाड़ी, (पंजाब); बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, (राजस्थान); कानपुर, फ़ैजाबाद, मिर्ज़ापुर, बल्लिया, मेरठ, इलाहाबाद, मुज़फ्फरनगर, रुड़की, बरोल, गोरखपुर, आगरा (उत्तर प्रदेश), मालदा, उल्टाडंगा, बाराचम्पा, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल); ओखला, पूसा (दिल्ली) पंडिचरी ।

भाषाई अल्पसंख्यक

†१२३२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री ७ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल, असम, बिहार के मुख्य मंत्रियों और उड़ीसा के राज्यपाल की एक बैठक उक्त चार राज्यों के भाषाई अल्प संख्यकों के सम्बन्ध में कोई समझौता करने के लिये हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की बातचीत हुई ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

रूस जाने वाले भारतीय प्रतिनिधिमण्डल

†१२३३. **श्री साधन गुप्त :**
श्रीमती मैमूना सुलतान :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस में स्कूल सिस्टम का अध्ययन करने के लिये कोई प्रतिनिधिमण्डल सितम्बर और अक्तूबर, १९६१ में रूस गया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधिमण्डल में कौन-कौन से व्यक्ति थे ;

(ग) स प्रतिनिधि मण्डल का क्या उद्देश्य था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या प्रतिनिधि मण्डल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां।

(ख) १. श्री राजा राय सिंह

ज्वायंट एजुकेशनल एडवाइजर शिक्षा मंत्रालय नेता

२. श्री एन० डी० सुन्दरवेदिवेलु,

डायरेक्टर आफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, मद्रास . . सदस्य

३. कुमारी सरला खन्ना,

डायरेक्टर आफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन पंजाब . . सदस्य

(ग) रूसी स्कूल सिस्टम का अध्ययन;

(घ) अभी नहीं; प्रतिनिधिमण्डल इसे तैयार कर रहा है।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

टैक्निकल संस्थाओं में अध्यापकों की कमी

१२३४. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **वैज्ञानिक-अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खड़गपुर, रुड़की, पूना आदि स्थानों की टेक्निकल संस्थाओं में अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या सरकार ने विदेशों से भी अध्यापक बुलाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो कितने ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) वेतन क्रमों में सुधार और अध्यापक प्रशिक्षण के कार्यक्रम की शुरूआत।

(ख) जी, हां।

(ग) स समय ६१।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर

१२३५. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर को १९५९ से लेकर अब तक अमरीका से कितनी आर्थिक सहायता मिली है और वहां से कितने विशेषज्ञ इस संस्था के लिये भेज गये हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस वर्ष के बजट में इस संस्था के लिये कितने रुपये की व्यवस्था की गई थी और उसमें से अब तक कितना खर्च किया जा चुका है?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) १ अप्रैल, १९५९ से ३१ अक्टूबर, १९६१ तक अमेरिका की मदद इस तरह थी :—

औज़ार और किताबों के लिये	.	५२,०९६ डालर	(२,४७,९७८ रु०)
विशेषज्ञों की संख्या सात ।			

(ख) १९६१-६२ के बजट में इस संस्था के लिये कुल १,२६,१४,००० रुपयों की व्यवस्था की गई थी ।

३१-१०-६१ तक कुल ४५,६७,६१६ रुपये खर्च हुए ।

भारत में पाकिस्तानी

१२३६. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ में अब तक कितने पाकिस्तानी अवैध रूप से भारत में प्रविष्ट हुए हैं ;

(ख) इन में से कितनों को भारतीय न्यायालयों ने दण्ड दिया ; और

(ग) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में सब से अधिक पाकिस्तानी जासूस पकड़े गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग): सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अन्दमान और निकोबर द्वीपसमूह

१२३७. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-६० के वर्षों में सरकार को अन्दमान और निकोबर द्वीपसमूह के जंगलों से कितनी आय हुई ; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में इन द्वीपों के विकास के लिये कितनी राशि की व्यवस्था की गई है?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री मती आल्वा): (क) १९५६-६० के वर्षों में अंडेमान व निकोबर द्वीपसमूह के जंगलों से निम्नलिखित आय हुई :—

	रुपये
१९५६-५७ .	९०,३१,६०६
१९५७-५८	७६,४१,७९९
१९५८-५९ . . .	१,००,७३,६८३
१९५९-६०	१,०४,५०,८०३

(ख) ९७९ ३२० लाख रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वैज्ञानिक सम्पर्क कार्यालय, लन्दन

१२३८. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वैज्ञानिक, अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लन्दन में जो वैज्ञानिक सम्पर्क कार्यालय है उसने इस वर्ष अब तक ब्रिटेन और राष्ट्रमंडल के अन्य देशों के साथ किन-किन बातों पर सम्पर्क स्थापित किया ; और

(ख) जन सम्पर्क पदाधिकारी किन-किन समितियों के सदस्य हैं और उन समितियों की कितनी बैठकों में उन्होंने भाग लिया ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) साइंस से ताल्लुक रखने वाले कार्यकर्त्ता ; सूचना और सामग्री का विनिमय, और अनुसंधान कर्त्ताओं की नियुक्ति ;

(ख) (१) ब्रिटिश कामनवेल्थ साइंटिफिक औरगेनाइजेशन (लंदन कमेटी के अध्यक्ष)
(२) ब्रिटिश कामनवेल्थ साइंटिफिक कमेटी (वर्किंग पार्टी)
(३) ईंधन-अनुसंधान की कामनवेल्थ कमेटी),
(४) कामनवेल्थ वैमानिक अनुसंधान सलाहकार परिषद्,
(५) ब्रिटिश कामनवेल्थ वन विज्ञान की स्टैंडिंग कमेटी,
(६) कामनवेल्थ एग्रीकल्चरल ब्यूरो (अध्यक्ष-नियुक्ति कमेटी)
(७) ब्रिटिश कामनवेल्थ के विश्वविद्यालयों का संगठन ।

अक्टूबर १९६१ के अन्त तक भारतीय वैज्ञानिक सम्पर्क अफसर ने उपर्युक्त कमेटियों की कुल २३ मीटिंगों में हिस्सा लिया ।

सांस्कृतिक छात्रवृत्तियां

१२३९. **श्री म० ला० द्विवदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने वर्ष १९६१–६२ में अब तक भारत में तथा विदेशों में सांस्कृतिक अनुसंधान और टेक्निकल शिक्षा के लिये कितनी छात्रवृत्तियां दी हैं ; और

(ख) अन्य देशों ने वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक विषयों के लिये कितनी छात्रवृत्तियां दी हैं और उन में से कितनी छात्रवृत्तियों का प्रयोग किया गया है ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) भारत में नये दाखिलों के लिये ३२०० स्कालरशिप/स्टिपेंड की स्वीकृति दे दी गई है ।

विदेशों में ४

(ख) कुल २८५ छात्रवृत्तियां दी गईं ।

नवम्बर तक ११२ का उपयोग किया गया ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर

१२४०. { श्री म० ला० द्विवेदी :
　　　　{ श्री स० च० सामन्त :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर में इस समय कुल कितने छात्र हैं ; और

(ख) १९५९ में पुनरावलोकन समिति ने इस संस्था के बारे में जो रिपोर्ट पेश की थी उसकी कार्यान्विति में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य-मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) १७८० ।

(ख) कुछ खास खास सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं जैसे —

(एक) चार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस बंगलूर के कार्यों का समन्वय करने के लिये कमेटी की नियुक्ति,

(दो) पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स और अनुसंधान के विद्यार्थियों की प्रवेश संख्या बढ़ाना, और

(तीन) ट्यूटर प्रणाली की शुरूआत। रिव्यूइंग कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक जो विजिटर द्वारा मंजूर हो चुकी हैं ; संस्था ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में मिलने वाली आर्थिक मदद के अन्दर ही क्रमिक विकास की एक योजना बनाई है।

पंजाब मैट्रिक परीक्षा फार्म

†१२४१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब विश्वविद्यालय के मैट्रिक परीक्षा फार्म दिल्ली में और पंजाब के आस पास के ज़िलों में चोर बाजार में बेचे जाते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्राईवेट तौर पर परीक्षा में बैठने वालों को फार्मों का मूल्य १ से २ रुपये देना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) यह बात बिल्कुल सही नहीं है। केवल एक फर्म पर अधिक मूल्य वसूल करने का आरोप लगाया गया है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) विश्वविद्यालय में पंजीबद्ध ३५० पुस्तक विक्रेता मैट्रिक परीक्षा फार्म १५ नये पैसे में बेचते हैं। कुछ समय पूर्व पंजाब विश्वविद्यालय को यह रिपोर्ट मिली कि दिल्ली की एक रजिस्टर्ड फर्म अधिक मूल्य पर फार्म बेच रही है। फर्म को १६ जनवरी, १९६१ से दो वर्ष के लिये ब्लैक-लिस्ट में रख दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा विभाग के अफसरों के वेतन और भत्ते

†१२४२. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्मी, नौ सेना और वायु सेना के वरिष्ठ अफसरों के वेतन और भत्तों की दरें बढ़ाने की प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्थापना का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या उसे अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस के कब कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है; और

(ङ) इस पर कितना खर्च होगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (ङ). सरकार इस पर विचार कर रही है कि क्या ब्रिगेडियर के पद तक के अफसरों के वेतन बढ़ाने की आवश्यकता है या नहीं। अभी और जानकारी दे सकना सम्भव नहीं है।

कोयले का निर्यात

†१२४३. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८, १९५९ और १९६० में कितने धातुकर्मिक कोयले का भारत से निर्यात हुआ है; और

(ख) इस निर्यात की अनुमति के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) विगत तीन वर्षों में धातुकर्मिक कोयले का निर्यात निम्न प्रकार है :—

वर्ष	मात्रा
१९५८	५.२ लाख टन
१९५९	४.२ लाख टन
१९६०	१.२ लाख टन

(ख) धातुकर्मिक कोयले का निर्यात रोकने का निर्णय १९५९ के अन्त में किया गया था। १९६० में कुछ निर्यात की अनुमति इसलिये दी गई थी कि इसके लिये पहले ही निर्णय कर वचन दे दिया गया था। किन्तु देश में धातुकर्मिक कोयले के उपभोक्ताओं की आवश्यकता पूरी होने के बाद अतिरिक्त कोयले का ही निर्यात किया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

नूनमती तेलशोधक कारखाना

†१२४४. **श्री प्र० गं० देव :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नूनमती तेल शोधक कारखाने में ४ प्रतिशत भाग आसाम सरकार को देने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) आसाम सरकार को इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड की सम पूंजी में कम्पनी को स्थानान्तरित भूमि के मूल्य की सीमा तक भाग लेने की अनुमति दे दी गई है ।

(ख) यह इस लिये स्वीकार किया गया है कि राज्य एक प्रमुख संसाधन के विकास में सहयोग दे सके ।

सीमा पर सड़कें

१२४५. **श्री हेम राज :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर सीमा पर कितनी सड़कें कहां-कहां बनवाई जा रही हैं;

(ख) उन में से कौन सी राज्य सरकारों और कौन सी केन्द्रीय सरकार द्वारा बनवाई जा रही हैं;

(ग) जो सड़कें राज्य सरकारों द्वारा बनवाई जा रही हैं उन के खर्च में कितना केन्द्रीय सरकार और कितना राज्य सरकारें हिस्सा बटा रही हैं; और

(घ) केन्द्र द्वारा पंजाब सरकार को ऐसी सड़कें बनवाने के लिये अब तक कितनी रकम दी गई है और १९६१-६२ में कितनी दी जायेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) तथा (ख). तफ़सील प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा ।

(ग) बार्डर रोड्ज़ डिवेलपमेण्ट बोर्ड के कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कों पर, राज्य पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा किया गया सारा खर्च केन्द्रीय सरकार सहन करती है ।

(घ) १९६१-६२ में सीमा सड़कों के निर्माण के लिए, पंजाब सरकार को (वित्त मंत्रालय की १९६१-६२ की डिमांड्ज़ फार ग्रांट्स के पृष्ठ ४०१ के अनुसार) मेजर हेड ८८ ए ४ के अन्तर्गत २० लाख रुपये की एक राशि अनुदान के तौर पर दी गई है ।

कोरबा कोयला खानें

†१२४६. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम कोरबा में कोयला खानों से कब से कोयला निकाल रहा है; और

(ख) क्या कोरबा कोयला खानों के लाभ में मध्य प्रदेश सरकार को कुछ रुपये दिये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) अक्टूबर, १९५६ से ।

(ख) कोरबा कोयला खानों में मध्य प्रदेश सरकार की साझेदारी राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के साथ अभी १ अक्टूबर, १९६१ से ही प्रारम्भ हुई है । लाभ में अंश अभी मध्य प्रदेश सरकार को नहीं दिया गया है। १९६१–६२ पूरा होने पर इस भुगतान का प्रश्न उत्पन्न होगा जब कि इस वर्ष का लेखा पूरा हो जायेगा ।

औषध तथा दवाओं का आयात

†१२४७. श्री मूलन सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के ध्यान में कुछ विदेशी फर्मों द्वारा कच्चा सामान, मशीनें और पर्जे पुर्तथा विशेष रूप से औषध और दवाओं के आयात के अधिक रुपयों के बीजक बनाने की बात आई है और इस प्रकार अधिक दाम के बीजक बना कर लोग यथार्थ में विदेशी मुद्रा का संचय कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के मामलों के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) आयात के अधिक मूल्य के बीजकों के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आये हैं । किन्तु इस स्थिति में अभी यह नहीं बताया जा सकता कि अधिक बीजक का उद्देश्य विदेशी मुद्रा संचयन है अथवा इसका कुछ और उद्देश्य है ।

(ख) इन मामलों की पूरी जांच हुई है और जब भी अपराध सिद्ध होते हैं तो समुद्र सीमा शुल्क और अन्य सम्बद्ध नियमों के अधीन, जब कभी सम्भव है, अपराधियों और अन्तग्रस्त सामान के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है ।

अनिर्णीत चुनाव याचिकाएं

†१२४८. श्री सूपकार : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ में दायर की गई उन चुनाव याचिकाओं की कितनी संख्या है जो (१) न्यायाधिकरणों और (२) अपीलीय न्यायालयों के समक्ष अभी भी विचाराधीन है ?

†विधि उपमंत्री (श्री हजरतवीस) : १९५७ में दायर की गई चुनाव याचिकायें जो अभी अनिर्णीत हैं इस प्रकार हैं: —

(१) निर्वाचन न्यायाधिकरण	.	एक भी नहीं ।
(२) अपीलीय न्यायालय	.	४

दिल्ली में न्यायालयों के कर्मचारी

१२४९. श्री म० ला० द्विवदी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिये न्यायालयों को यह आदेश दिये हैं कि वहां के कर्मचारी प्रति दिन दफ्तर आते समय रजिस्टर में यह लिखें कि वे कितने पैसे ले कर आये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस आदेश का कहां तक पालन हुआ है; और

---

†चूंकि अंग्रेजी में

(ग) क्या यह देखने के लिये कि कर्मचारियों ने रिश्वत तो नहीं ली कभी-कभी उनकी तलाशी भी ली जाती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) दिल्ली प्रशासन ने ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किये हैं, परन्तु सन् १९५४ में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर ने दण्ड न्यायालयों के अधीक्षकों तथा सब रजिस्ट्रारों को यह आदेश दिया था, कि प्रत्येक दिन के शुरू में न्यायालय का स्टाफ अपने पास की रकम को एक रजिस्टर में नोट करे।

(ख) ६२ अधीक्षकों आदि में से ४६ इस समय ऐसे रजिस्टर रखते हैं ।

(ग) उपरोक्त आदेश इस दृष्टि से जारी किये गये थे कि काम के दौरान में स्टाफ द्वारा रिश्वत लेने को रोका जा सके। तलाशी से नैतिक कुप्रभाव के अतिरिक्त विशेष रूप से ईमानदार कर्मचारियों के स्वाभिमान को चोट पहुंचती है और इस लिये कर्मचारियों की वास्तविक तलाशी तभी ली जाती है, जब भ्रष्टाचार-निरोधक स्टाफ कोई पाश डाले।

हिन्दी अफसरों की भर्ती

१२५०. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न मन्त्रालयों में जो हिन्दी अफसर नियुक्त किये जा रहे हैं उनके लिये शिक्षा सम्बन्धी योग्यता कम से कम हिन्दी में एम० ए० रखी जा रही है और इस वजह से ऐसे अनुवादक जिनकी शिक्षा सम्बन्धी योग्यता केवल बी० ए० है लेकिन अनुवाद व भाषा विज्ञान सम्बन्धी अनुभव कई साल का है, इन पदों के लिये प्रार्थना-पत्र नहीं दे सकते ; और

(ख) क्या सरकार हिन्दी अफसर के पद के लिये शिक्षा सम्बन्धी योग्यता बी० ए० रखेगी और उसके साथ अनुवाद इत्यादि में चार-पांच साल का अनुभव शामिल किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय लोक-सभा के सभा पटल पर रख दी जायेगी।

धातुमिश्रित इस्पात का कारखाना

†१२५१. **श्री अजित सिंह सरहदी** :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर में ४० करोड़ रुपये की लागत का धातु मिश्रित इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिये एटलास स्टील आफ कनाडा से समझौता हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते का स्वरूप एवं ब्यौरा क्या है ?

†**इस्पात, खान और तथा ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने मैसर्स एटलस स्टील्स लिमिटेड, कनाडा के साथ दुर्गापुर में मिश्रित धातु एवं विशेष इस्पात कारखाना स्थापित एवं संचालन करने के लिये उत्पादन कार्य विधि और प्रशिक्षण सेवाओं के

---

†मूल अंग्रेजी में

उपबन्ध के लिये समझौता किया है। जिन सेवाओं के लिये उपबन्ध किया गया है उनमें एटलास निधि के समग्र आविष्कार, पेटेंट, गुप्त ज्ञान, कार्यविधि, प्रमाप और योजनाओं का परामर्श, उत्पादन एवं संचालन सम्बन्धी विषय, भारत तथा विदेशों में लोगों का प्रशिक्षण तथा अन्य अनेक विषय सम्मिलित हैं। इस कार्य के लिये उन्हें कनाडा डालर ५० लाख (२३७.५ लाख रुपये) किश्तों में दिये जायेंगे। यह समझौता दुर्गापुर कारखाने में वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख के छः वर्ष पश्चात् अथवा १२ वर्ष की अवधि बीतने पर, जो भी पहले हो, समाप्त होता है।

"कृषक कार"[1]

†१२५२. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री २५ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा प्रतिष्ठान द्वारा "कृषक कार' के निर्माण कार्य के प्रयत्न कहां तक सफल हुए हैं ; और

(ख) क्या इसका निर्माण प्रारम्भ होने की सम्भावना है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) प्रतिरक्षा मन्त्रालय के सुझाव पर जापान की मेसर्स कोमात्सु मैनुफैक्चरिंग कम्पनी ने छोटे ट्रैक्टर का डिजाइन पुनः तैयार किया है। वह पुनर्वर्द्धित डिजाइन शीघ्र ही बाहर आने वाला है। इस कार के पुनर्वर्द्धित डिजाइन का गहन परीक्षण किया जायेगा ताकि असैनिक और प्रतिरक्षा कार्यों के लिये उसकी उपयुक्तता मालूम हो सके।

(ख) नवीन मोडल का मूल्यांकन इस प्रश्न के उत्तर के पहले आवश्यक है।

प्लाटों का अर्जन

†१२५३. **श्री खोमजी : क्या गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मकान के मालिकों पर प्लाटों के अधिग्रहण के सिलसिले में प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रतिबन्ध गन्दी बस्ती क्षेत्र के मकान मालिकों पर भी लागू है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). दिल्ली में भूमि अधिग्रहन सम्बन्धी विवरण के निम्न पैराग्राफ की ओर ध्यान आमन्त्रित किया जाता है इसकी प्रति श्री प्र० गं०देव से प्राप्त नियम १९७ के अधीन सूचना के उत्तर में २३ मार्च, १९६१ को लोक-सभा के पटल पर रख दी गई है :—

> "जमीन का प्लाट किसी ऐसे व्यक्ति को आवंटित नहीं किया जायेगा जिसके पास पहले से ही दिल्ली, नई दिल्ली अथवा कैन्टोन्मेंट में स्वयं उसके नाम अथवा उसकी पत्नी/पति अथवा आश्रित सम्बन्धी जिनमें अविवाहित बच्चे भी शामिल हैं, के नाम हो। इस योजना के संचालन के पश्चात् अनुभव को देख कर अधिक भीड़ वाली बस्ती अथवा जिनका परिवार अधिक विस्तृत हो गया है, उनके बारे में अपवाद करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Farmer's Car.

'टिस्को' के कर्मचारी

†१२५४. **श्री महन्ती :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'टिस्को' ने अपने प्रोशिक्षित कर्मचारियों के कथित हटाये जाने के विरुद्ध हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी से विरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की ओर से सामान्य विरोध प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु अगस्त, १९६१ में एक शिकायत थी कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने ने 'टिस्को' के कुछ कर्मचारियों का बगैर उनकी अनुमति इन्टरव्यू लिया है। जांच करने पर मालम हुआ कि 'टिस्को' के कुछ कर्मचारी कारखाने के अधिकारियों के पास नियोजनार्थ पहुंचे थे किन्तु उन्हें बताया गया कि अपने नियोजकों से 'आपत्ति नहीं प्रमाणपत्र' के अभाव में उन्हें नियुक्त नहीं किया जायेगा। सामान्य नियम है कि गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र के किसी भी कारखाने में काम कर रहे उम्मीदवार को हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में पूर्व नियोजकों की अनुमति बिना नियुक्ति के लिये विचार नहीं किया जायेगा। इस को दृष्टिगत करते हुए आगे और कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

दिल्ली में क्रीड़ा ग्राम'

†१२५५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में क्रीड़ा ग्राम की योजना के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इसे कब तक अन्तिम रूप देकर और क्रियान्वित किया जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) और (ख). इस परियोजना के लिये भूमि प्राप्त करना अभी सम्भव नहीं हो पाया है। भूमि उपलब्ध होन पर ब्यौरा तय किया जायेगा।

भारत पेंशनर समाज की मांगे

†१२५६. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत पेंशनर समाज की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है और उस पर विचार किया गया है ;

(ख) उनकी मुख्य मांगें क्या हैं, क्या वित्तीय अन्तर्ग्रस्तताएं हैं और इसके प्रति सरका क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के पेंशनरों की प्रत्येक श्रेणी का वेतन बिल कितना है अ की क्या संख्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** (क) जी हां।

(ख) भारत पेंशनर समाज द्वारा प्रस्तुत मुख्य मांगें निम्न प्रकार हैं :—

(१) प्रचलित कीमतों के देशनांक पर आधारित न्यनतम पेंशन तय की जाकर सब वर्तमान पेंशनरों के लिये स्वीकृत होना चाहिये।

(२) कम पेंशन वालों व्यक्तियों के बच्चों को वही शैक्षणिक सुविधायें मिलती रहनी चाहिये जो उन्हें उनके माता-पिता के नियोजनकाल में उपलब्ध थीं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

'Sports Village.

(३) पेंशनरों को वही चिकित्सा सुविधाएं मिलती रहनी चाहियें जो उन्हें सेवा काल में उपलब्ध थीं ।

(४) पेंशन की मंजूरी में देर न होने देने और पेंशनरों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिये तथा उनके अनुभवों को प्रयुक्त करने की विधियां और उपाय ढूंढने के लिये एक पृथक् पेंशन मन्त्रालय स्थापित किया जाये ।

(५) राष्ट्रपति राज्य-सभा में और गवर्नर अपनी अपनी विधान परिषदों में पेंशनरों के प्रतिनिधियों की नामजदगी करें ।

(६) महंगाई भत्ता पेंशनरों को उसी आधार पर दिया जाये जिस आधार पर यह यथार्थ नौकरी वालों को दिया जाता है । कुछ मामलों में सरकार ने महंगाई भत्ता थोड़ी पेंशन वालों को दिया है जो १५ जुलाई, १९५२ के पश्चात् सेवा निवृत्त हुए थे । उसमें पुराने पेंशनरों के दावों की उपेक्षा की गई है । यह मदें पूर्ण हैं तथा इसे सही किया जाना चाहिये ।

(७) कमी की अवधि के बाद वाले पेंशनरों के सम्बन्ध में पेंशन के कटौती वाले भाग का पुनः दिया जाना ।

(८) जब भी आवश्यक प्रतिभा सम्पन्न युवा व्यक्ति उपलब्ध न हों तो सेवा निवृत्त कर्मचारियों की प्रतिभा और अनुभव का उपयोग ।

इन मांगों की वित्तीय अन्तग्रस्ताओं का हिसाब सम्भव नहीं है। भारत सरकार ने सब मांगों पर विचार किया है और उनमें से किसी को भी स्वीकार करना सम्भव नहीं है ।

(ग) "प्रत्येक विभिन्न श्रेणी" से माननीय सदस्य का अभिप्राय स्पष्ट नहीं है अतः उनके द्वारा मांगी गई जानकारी के सम्बन्ध में अनुमान लगान में मैं असमर्थ हूं ।

नालंदा में ह्वेनसांग का स्मारक

†१२५७. **श्री कोडियान:**
श्री वारियर :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं शताब्दी में इस देश का व्यापक भ्रमण करने वाले महान् यात्री ह्वेनसांग का नालन्दा में स्मारक स्थापित करन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का क्या ब्यौरा है ;

(ग) इसकी अनुमानित लागत कितनी है ; और

(घ) इस स्मारक का निर्माण कब प्रारम्भ होने की आशा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)**: (क) जी हां ।

(ख) स्मारक भवन के निर्माण के लिये नालन्दा में ४८.०८ एकड़ भमि अधिग्रहण की गई है। इसका भारत-चीन अध्ययन केन्द्र के रूप में भी उपयोग किया जायेगा । चीन सरकार से १९५७ में प्राप्त ह्वेनसांग अवशिष्ट भी इस हाल में अवस्थित किये जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) स्मारक भवन की अनुमानित लागत ११,२७,१०० रुपये है ।

(घ) निर्माण प्रारम्भ हो चुका है ।

केरल में फसल की हानि

†१२५८. { श्री कोडियान:
श्री वारियर:
श्री प्र० गं० देव:
श्री तंगामणि :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में हाल की बाढ़ से खाद्यान्न तथा अन्य फसलों की क्षति के फलस्वरूप बिहार, केरल, मद्रास और मैसूर सरकारों की ओर से वित्तीय सहायता के लिये की गई प्रार्थना पर सरकार ने विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). हाल की बाढ़ों के सम्बन्ध में वित्तीय सहायता की प्रार्थना अभी तक केरल और मैसूर सरकारों से ही प्राप्त हुई है। मैसूर सरकार को उपाय एवं विधि अग्रिम के रूप में लगभग १ करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है जो बाद में यथार्थ व्यय के आधार पर राज्य सरकार को देय अनुदानों और ऋण में मुजरे कर दी जायेगी ।

ब्रिटिश बैंक दर

†१२५९. { श्री प्र० चं० बरुआ:
श्री विभूति मिश्र:
श्री दी० चं० शर्मा:
श्री प्र० गं० देव:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने हाल ही में बैंक दर में कमी की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी सीमा तक ; और

(ग) इसका भारत की अर्थ व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने का अनुमान है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). २ नवम्बर, १९६१ को ब्रिटिश बैंक दर ६ $^1/_2$ प्रतिशत से घटा कर ६ प्रतिशत कर दी गई थी ।

(ग) ब्रिटिश बैंक दर में परिवर्तन का प्रभाव भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर मूलतः इस प्रकार पड़ेगा कि उस देश से हमारे ऋण और भारत एवं ब्रिटेन में बैंकिंग राशि के आवागमन पर उसका असर होगा । बैंक दर की हाल की कमी का प्रभाव भारतीय अर्थ व्यवस्था पर सामान्य रूप में ही रहेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अशोधित तेल पर रायल्टी

†१२६०. **श्री प्र० चं० बरुआ:**
श्री प्र० गं० देव:

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात राज्य में मिलने वाले क्रूड तेल पर उक्त राज्य को रायल्टी देन का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या निर्णय है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) और (ख). पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम १९५९, के नियम १४ के अनुसार गुजरात सरकार को पट्टाधारी से रायल्टी प्राप्त करने का अधिकार है ।

गुप्त वंश के सिक्के

†१२६१. **श्री वै० च० मलिक :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के पुरातत्व निदेशालय द्वारा हाल ही में गुप्तवंश की एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त की गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह कहां प्राप्त हुई थी ;

(ग) इस मुद्रा पर क्या संकेत किया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) भारत सरकार को जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

दिल्ली की कुतुब मीनार और लाल किला और आगरे का किला

†१२६२. **श्री सुबिमन घोष:** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की कुतुबमीनार और लाल किला और आगरा के किले में दर्शकों से कोई शुल्क लिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक द्वार पर १९५९-६० और १९६०-६१ में अलग-अलग कितनी राशि वसूल की गई ; और

(ग) १९५९-६० और १९६० ६१ के दौरान दिल्ली की कुतुब मीनार और लाल किला और आगरा के किले की देखभाल पर कितनी राशि व्यय हुई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास):** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख)	१९५९-६०	१९६०-६१
लाल किला . .	१,१२,७७८	१,२८,४६१
कुतुब मीनार .	४४,७००	७१,७१३
आगरे का किला . .	७८,०२६	८४,४२२

(ग)	१९५९-६०	१९६०-६१
लाल किला . . .	४३,०३६	१४,८०३
कुतुब मीनार . . .	६,३८८	११,८८९
आगरे का किला . . .	३२,५३३	३२,९८६

मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन

†१२६३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री कालिका सिंह:

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २२ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य–मंत्री (श्री दातार):** (क) और (ख). मामला विचाराधीन है ।

हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ते

†१२६४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री २२ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षत्रों में देय प्रतिकर भत्तों की दरों के वैज्ञानिकन का प्रश्न किस अवस्था में है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा):** हिमाचल प्रदेश प्रशासन के राज्य क्षेत्र के प्रतिकर भत्तों की विभिन्न दरों के वैज्ञानिकन सम्बन्धी प्रारम्भिक प्रस्तावों की जांच की गई थी एवं हिमाचल प्रदेश मंत्रणा समिति की गत अक्टूबर में हुई बैठक में चर्चा की गई थी । यह निश्चय किया गया कि प्रशासन को पुनरीक्षित प्रस्ताव भेजने चाहिए तथा उन के प्राप्त होने पर सरकार उनकी जांच करेगी ।

बरसुआ अभ्रक खान

†१२६५. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १७ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरसुआ खानों में 'ओर हैंडलिंग सिस्टम' के सम्बन्ध में संचालित परीक्षणों के परिणाम क्या हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उपरोक्त खानों के चालू होने में हुए ११ महीने के विलम्ब के दौरान रूरकेला इस्पात संयंत्र के लिए अन्य संसाधनों से कुल कितने लौह अयस्क की खरीद की गई ;

(ग) उपरोक्त संभरण किस मूल्य पर प्राप्त किया गया ; और

(घ) बरसुआ खानों में लौह अयस्क के उत्पादन की लागत क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) बरसुआ के 'ओर प्रोसेसिंग एण्ड हैंडलिंग प्लाण्ट' में प्रारम्भ में कुछ खराबियां रही थीं परन्तु अब वह ठीक तरह कार्य कर रहा है। संयंत्र में २ नवम्बर, १९६१ को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान प्रति घण्टे ७१३ टन उत्पादन हुआ जब कि सामान्य क्षमता ७०० टन प्रति घंटे है ।

(ख) दिसम्बर, १९५९ से अक्तूबर, १९६० की अवधि में रूरकेला इस्पात परियोजना द्वारा राज्य व्यापार निगम से ५,६५,२०० मीट्रिक टन लौह अयस्क की खरीद की गई ।

(ग) ११.५० रुपये प्रति टन ।

(घ) बरसुआ खानों में यांत्रिक एवं शारीरिक विधियों से निकाले गए लौह अयस्क के उत्पादन का वर्ष १९६०-६१ का औसत मूल्य १०.१९ रुपये प्रति मीट्रिक टन है ।

जाली पासपोर्ट

†१२६६. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी अधिनियम के अन्तर्गत व्यापार नियमों का उल्लंघन करने के कारण जाली पासपोर्टों का काम करने वाले एक अन्तर्राष्ट्रीय दल से सम्बन्धित कुछ पाकिस्तानी राष्ट्रजन गिरफ्तार किए गए हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि जांचों से कुछ भारतीय और विदेशी राष्ट्रजनों के इसमें अन्तर्ग्रस्त होने का पता चला है ; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

छोटे पैमाने के उद्योगों को इस्पात का आवण्टन

†१२६७. **श्री अगाड़ी**: क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर, आन्ध्र प्रदेश और मद्रास राज्यों में वर्ष १९५९-६०, १९६०-६१ और १९६१-६२ में आद्यतन छोटे पैमाने के उद्योगों को कितने लोहे और इस्पात का आवण्टन किया गया है ; और

(ख) उपरोक्त राज्यों में उपरोक्त अवधि में छोटे पैमाने के उद्योगों को वास्तव में कितनी मात्रा का संभरण किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क)

राज्य	१९५९-६० आवण्टन	१९६०-६१ आवण्टन	(मीट्रिकटनों में) १९६१-६२ का पूर्वार्द्ध (अप्रैल—सितम्बर, १९६१) प्रतिबन्धित श्रेणियों (चादरों और तार) का आवण्टन*
मद्रास	१५,५३९	१४,२९१	२,५८९
मैसूर	१२,३९५	१३,३८२	१,३४७
आन्ध्र	१७,४७५	३२,३०४	६,८७३

* १९६१-६२ के आवण्टन के आंकड़े इसलिए कम हैं:—

(१) कि वे केवल अर्द्ध-वार्षिक हैं, और

(२) इस्पात की अनेक श्रेणियां अप्रतिबन्धित हैं जिनके लिए किसी आवण्टनकी आवश्यकता नहीं है ।

(ख) प्रत्येक प्रेषणों के अतिरिक्त छोटे पैमाने के उद्योग अपने इस्पात का संभरण अनेक नियंत्रित स्टाकिस्टों से प्राप्त करते हैं । नियंत्रित स्टाकिस्टों से छोटे पैमान के उद्योगों को संभरण के आंकड़े उपलब्ध नही हैं ।

छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए कच्चे लोहे का कोई पृथक कोटा नहीं है । कच्चे लोहे के आवण्टन की कोटा प्रणाली १९५९ के उत्तरार्द्ध से खत्म कर दी गई थी । उपभोक्ता कच्चा लोहा स्टाकिस्टों अथवा बिना किसी प्राधिकरण के इन्डेन्ट पर उत्पादकों से प्राप्त कर सकते हैं । छोटे पैमाने के उद्योगों को कच्चे लोहे के आवण्टन और प्रेषणों (संभरणों) से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नही है ।

आस्वान बांध के निकट पुरातत्वीय खुदाइयां

†१२६८. **श्री अगाड़ी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २२ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०४५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिस्र के आस्वान बांध के स्थान पर भारतीय पुरातत्ववेत्ता पहुंच गये हैं और उन्होंने खुदाई कार्य प्रारम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन के कार्य के सम्बन्ध में अभी तक प्राप्त प्रतिवेदनों का ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) अभी तक नहीं, श्रीमान् ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कर्मचारी

†१२६९. **श्री अगाड़ी:** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश सरकारों के पास सरकारी कर्मचारियों के मैसूर राज्य को ट्रान्सफर के आशय के अनेक प्रार्थनापत्र और अपीलें पड़ी हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त राज्यों में से प्रत्येक में ऐसे प्रार्थनापत्रों और अपीलों की संख्या कितनी है और उपरोक्त महाराष्ट्र, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश राज्यों में १९५८-५९ से आद्यतन कितने प्रार्थनापत्र अस्वीकार किये गये हैं ;

(ग) इन प्रार्थनापत्रों का निपटारा कब तक हो जाने की आशा है ;

(घ) क्या मैसूर राज्य को ट्रान्सफर के आशय के समस्त प्रार्थनापत्र विचार हेतु मैसूर सरकार को निर्दिष्ट किये जाते हैं ;

(ङ) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा कुछ प्रार्थनापत्र मैसूर राज्य के विचार जाने बिना ही अस्वीकार कर दिये गये थे ; और

(च) यदि हां, तो कितने प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये गये थे और उनके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). महाराष्ट्र सरकार के पास २९० । आन्ध्र प्रदेश अथवा गुजरात सरकारों के पास कोई नहीं । आन्ध्र प्रदेश को आवंटित व्यक्तियों से प्राप्त मैसूर को ट्रान्सफर के आशय का कोई भी अभ्यावेदन अस्वीकार नहीं किया गया है । महाराष्ट्र को आवंटित व्यक्तियों से प्राप्त २६ प्रार्थनापत्र अस्वीकार किये गये हैं ।

(ग) महाराष्ट्र सरकार के विचाराधीन अभ्यावेदनों पर एक बार राज्य मंत्रणा समिति द्वारा विचार किया गया था और उस की सलाह पर राज्य सरकार द्वारा एक-एक प्रार्थनापत्र की अलग-अलग जांच की जा रही है । ऐसी जांच पूरी हो जाने पर वे राज्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखे जायेंगे और उसकी सिफारिश प्राप्त हो जाने पर उन का निपटारा किया जायगा ।

(घ) सामान्यता: हां । परन्तु चूंकि मैसूर सरकार ने महाराष्ट्र को आवंटित व्यक्तियों के पुनर्आविष्टन का विचार करने में असमर्थता प्रकट की है, इसलिये महाराष्ट्र सरकार ने उन से सलाह लेना बन्द कर दिया है ।

(ङ) और (च). जी हां, ११ । अन्त:कालीन और अन्तिम आवंटन भारत सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के बीच पारस्परिक करार के आधार पर किये गये थे । महाराष्ट्र और मैसूर के बीच आवंटनों के सम्बन्ध में अन्तिम आवंटन आदेश १७ मार्च, १९६० को प्रकाशित किये गये थे । तत्पश्चात्, मैसूर सरकार पुनर्आविष्टन की प्रार्थनाओं पर पुनर्विचार करने को तैयार नहीं थी । इसलिए भारत सरकार ने उचित मंत्रणा समिति की सलाह प्राप्त कर के कथित ११ अभ्यावेदनों को अस्वीकृत कर दिया ।

रत्नागिरी जिले में चोरी छिपे लाई गई लौंगों का पकड़ा जाना

†१२७०. **श्री अगाड़ी :** क्या **वित्त** मंत्री २२ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रत्नगिरी जिले में चोरी छिपे लाई गई लौंगों के पकड़े जाने के सम्बन्ध में जांच पूरी हो गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो उस में इस असाधारण विलम्ब का क्या कारण है ;

(ग) यह जांच किस तारीख को प्रारम्भ हुई थी ;

(घ) क्या २७ अप्रैल, १९६० के बाद इस प्रकार की तस्करी के और कोई मामले सरकार की जानकारी में आये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जांच चोरी पकड़े जाने के तुरन्त पश्चात् अर्थात् २७ अप्रैल, १९६० को प्रारम्भ हुई थी । बाद में यह मालूम हुआ कि जिस अधिकारी ने यह जांच की थी वह स्वयं भी इस मामले में अन्तर्ग्रस्त था । परिणामस्वरूप उसे मुअत्तल कर दिया गया और नये सिरे से जांच शुरू करनी पड़ी ।

(घ) नहीं, श्रीमान् ।

(ङ) उत्पन्न नहीं होता ।

भारत प्रशासन सेवा आदि की परीक्षायें

†१२७१. **श्री माने:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग भारत प्रशासन सेवा, भारत पुलिस सेवा और अन्य प्रथम श्रेणी के पदों के लिये आयोजित परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों की योग्यता निश्चित करने के लिये कुल औसत अंकों का विचार करता है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे पदों में अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के अभ्यर्थियों के प्रवरण के लिये न्यूनतम औसत प्रतिशत क्या निर्धारित किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) किसी भी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये कोई न्यूनतम औसत निर्धारित नहीं किया गया है । प्रतियोगी परीक्षा के नियमों के अन्तर्गत आयोग को परीक्षा के किसी भी अथवा समस्त विषयों में अर्हता प्राप्त अंक निश्चित करने की विवेक शक्ति प्राप्त है। परन्तु आयोग को अनुसूचित जातियों/आदिमजातियों के ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति की सिफारिश करने का अधिकार है यद्यपि आयोग द्वारा विनिहित प्रतिमान से तो अर्हता नहीं प्राप्त करते हैं परन्तु आयोग द्वारा कार्यक्षमता कायम रखने का ध्यान रखते हुए नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किये जाते हैं ।

पत्र व्यवहार पाठ्यक्रम

†१२७२. { **श्रीमती मैमूना सुल्तान:**
श्री चुनीलाल:

क्या **शिक्षा** मंत्री २५ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्रव्यवहार पाठ्यक्रम योजना का ब्यौरा तैयार करने के लिये नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार के निर्णय क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) अभी तक नहीं ।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

दिल्ली में मकानों की कमी का सर्वेक्षण

१२७३. श्री बलराज मधोक : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में मकानों की कमी का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का निकट भविष्य में इस प्रकार का सर्वेक्षण करवाने का विचार है जिस से आवास समस्या को सुलझाने में सहायता मिल सके ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) मास्टर प्लान के प्रारूप में दिल्ली की मकानों की कमी का सामान्य अनुमान दे दिया गया है ।

(ख) अस्थायी अनुमान के आधार पर दिल्ली में इस समय लगभग १,४०,००० मकानों की कमी है ।

(ग) प्रश्न हीं नहीं उठता ।

केरल विश्वविद्यालय को अनुदान

†**१२६४. श्री कोडियान** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र से केरल विश्वविद्यालय को अभी दिये जाने वाले वित्तीय अनुदान को बढ़ाने की प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) केरल विश्वविद्यालय को दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुदान के रूप में कुल कितनी राशि दी गई थी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) ५९,२८,५०९ पये ७३ नये पैसे ।

एक मालवाहक विमान द्वारा भारतीय आकाश सीमा का उल्लंघन

†**१२७५. श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १६ और १७ अक्तूबर, १९६१ को ८.४५ बजे प्रातःकाल और ९ बजे प्रातःकाल के बीच पाकिस्तान सीमान्त पर गुजरात राज्य के उत्तर में मेहसाना जिले में एक

†मूल अंग्रेजी में

मालवाहक विमान की आवाज सुनी गई थी और वह विमान स्पष्ट आकाश में नंगी आंखों से नहीं दिखाई पड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस घटना के सम्बन्ध में जांच करायेगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** :(क) से (ग). सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है और किन्हीं आवाजों के सुने जाने की खबर नहीं मिली है। इसलिये सरकार इसके संबंध में जांच नहीं करा सकती है परन्तु इस कथित घटना का ध्यान रखते हुए भरसक छानबीन कराने का प्रयत्न करेगी।

भिलाई इस्पात संयंत्र

†१२७६. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई इस्पात कारखाने में पटरियों का बहुत स्टाक जमा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह** :) : (क) और (ख). कभी कभी मालडिब्बों के अनियमित संभरण के कारण स्टाक जमा हो जाता है। तदनुसार अक्तूबर में कुछ स्टाक जमा हो गया था जो नवम्बर के अन्त तक अधिकांश में उठाया जा चुका है।

प्राइमरी शिक्षा के लिए आवण्टन

†१२७७. { **श्री पहाड़िया :**
श्री न० म० देव :
श्री वारियर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् ने तीसरी योजना के लिये प्राइमरी शिक्षा के लिए आवण्टित राशि में वृद्धि की सिफारिश की है ;

(ख) क्या उस ने अध्यापकों की कमी के सम्बन्ध में भी गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो इन सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) हां, श्रीमान।

(ख) हां, श्रीमान।

(ग) मामला अभी विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

लान टेंनिस ऐंसोसिएसन

†१२७८. श्री तंगामणि : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लॉन निस एसोसिएशन को पिछले कुछ वर्षों से ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एण्ड क्रोक्वैट क्लब से नियमित रूप से स्टर्लिंग में कुछ धन खिलाड़ियों के व्यय के लिए अनुपाततः आधार पर मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को लॉन टेनिस एसोसिएशन द्वारा इस धन के उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में कोई जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और कालान्तर में सभा -पटल पर रख दी जायेगी ।

विम्बिलडन में भारतीय खिलाड़ी

†१२७९. **श्री तंगामणि** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिम्बिलडन में लॉन टेनिस खेलने के लिए भेजे गये भारतीय खिलाड़ियों को विदेशी मुद्रा खेल प्रारम्भ होने के दो दिन बाद दी गई थी;

(ख) क्या यह सच है कि लॉन टेनिस एसोसिएशन को विदेशी मुद्रा की मंजूरी दल के रवाना होने के बहुत पहले ही दे दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि मंजूर की गई थी; और

(घ) दल के प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि दी गई ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) हां, श्रीमान ।

(ख) हां, श्रीमान । एसोसिएशन को विदेशी मुद्रा दिये जाने का आदेश १७ मई, १९६१ को भेजा गया था ।

(ग) ३४५ पौंड । इस के अतिरिक्त एसोसिएशन को ३५० पौंड विम्बिलडन के अधिकारियों से मिले थे ।

(घ) (१) कृष्णन . . . . १०० पौंड
(२) मुकर्जी . . . . . ६० पौंड
(३) अख्तर अली ६० पौंड
(४) प्रेमजीत लाल . . ६० पौंड
(५) नरेश कुमार . . . ५० पौंड
(६) नरेन्द्र नाथ . . . . ५० पौंड

†मूल अंग्रेज़ी में

केरल में कर्बसाइड पम्प[1]

†१२८०. **श्री प्र० गं० देव :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कम्पनी द्वारा केरल में कर्बसाइड पम्प स्थापित किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कितनी राशि व्यय की गई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) और (ख). ३०-११-६१ तक इंडियन आयल कम्पनी लिमिटेड द्वारा कोचीन में एक डीलर-शिप पम्प और विभिन्न स्थानों में १७ उपभोक्ता पम्पों की स्थापना की गई है। उन पर हुआ व्यय लगभग १,५०,००० (एक लाख पचास हजार) रुपये है ।

नागा विद्रोही

†१२८१. **श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३० अक्टूबर, १९६१ को मनीपुर के सब-डिवीजन तामेंगलांग में थांगल गांव के नागा विद्रोहियों ने तीन नागाओं को मार दिया और पांच का अपहरण कर के ले गये; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार):** (क) तथा (ख). ३१ अक्टूबर, १९६१ को तामेंगलांग के सब-डिवीजन में थांगल गांव के चार नागाओं का रात के १ बजे अपहरण किया गया। उसी दिन ९ बजे प्रातः तीन अपहृत व्यक्तियों के मृत शरीर पाये गये । उन के शरीर में गोलियों के घाव थे और गांव से लगभग एक मील दूर सड़क पर पड़े थे । इन शरीरों को गांव की एक तलाश करने वाली पार्टी ने खोजा । अपहृत व्यक्तियों में से एक का अभी तक पता नहीं लगा है । पुलिस ने मुकद्दमा दर्ज कर लिया है और उसकी जांच पड़ताल कर रही है ।

अवाड़ी में पोशाक तैयार करने का कारखाना[2]

†१२८२. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवाड़ी में पोशाक तैयार करने का कारखाना, जो युद्ध के बाद बन्द हो गया था, फिर चालू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) क्या उत्पादन आरम्भ हो गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उत्पादन कब आरम्भ होगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन):** (क) अवाड़ी में कपड़े बनाने का एक नया कारखाना खोला गया है ।

(ख) १ नवम्बर, १९६१ से ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Kerbside Pumps.

[2]Clothing Factory.

(ग) हां, श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पश्चिमी बंगाल में उच्च माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों की हड़ताल

†१२८३. **श्री बलराज मधोक :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में गैर-सरकारी माध्यमिक स्कूलों के हजारों अध्यापकों ने हड़ताल की है जिसके कारण सैकड़ों स्कूल बन्द हो गये हैं;

(ख) उनकी विशिष्ट मांगें क्या हैं;

(ग) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने हड़ताली अध्यापकों की मांग पूरी करने के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) पश्चिमी बंगाल में ३३,००० से अधिक अध्यापकों में से लगभग ८००० अध्यापकों ने काम रोको कार्यक्रम में भाग लिया जिसका आयोजन अखिल बंगाल अध्यापक संस्था ने १८ और १९ सितम्बर, १९६१ को किया था । संस्था ने २० सितम्बर, १९६१ से अपना आन्दोलन वापस ले लिया ।

(ख) विशिष्ट मांगें निम्न हैं :—

(१) प्रारम्भिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं का समन्वय करने के लिए डे आयोग की सिफारिश के अनुसार एक पारस्परिक सम्बन्ध समिति नियुक्त करना;

(२) एक मजूरी बोर्ड बनाना और सारे अध्यापकों, क्लर्कों और लाइब्रेरियनों को बिना किसी शर्त के ३५ रु० का सरकारी महंगाई भत्ता और १० रु० का महंगाई भत्ता अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए;

(३) अध्यापकों को आवश्यक संरक्षण देने के लिए एक सेवा समिति की स्थापना; और

(४) माध्यमिक शिक्षा का एक स्वायत्त तथा लोकतंत्रात्मक बोर्ड बनाना जिस में एक तिहाई सदस्य माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के निर्वाचित प्रतिनिधि हों ।]

(ग) नहीं, श्रीमान् । परन्तु राज्य सरकार ने भारत सरकार को लिखा है और राज्य की तीसरी योजना में शिक्षा के लिए की गई व्यवस्था को बढ़ाने की प्रार्थना की है ।

(घ) राज्य सरकार ने प्रार्थना की है कि प्रारम्भिक (बेसिकि सहित) और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों की सेवा की शर्तों में सुधार करने के लिए योजना में की गई व्यवस्था ३·६५ करोड़ रु० से बढ़ा कर १०.८१ करोड़ रु० कर दी जाये । राज्य सरकार की प्रार्थना विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारी

†१२८४. **श्री बलराज मधोक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजनीतिक पीड़ितों को क्या क्या रियायतें दी गई हैं;

(ख) आजाद हिन्द फौज के कितने कर्मचारियों ने रियायतें प्राप्त की हैं; और

(ग) क्या आजाद हिन्द फौज के उन कर्मचारियों के खाते, जिन के खाते अंग्रेजों द्वारा उन्हें सरकारी सेवा से अलग करते समय पूरे नहीं किये गये थे, अब पूरे किये जायेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) भूतपूर्व केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामले में पुनः सरकारी नौकरी मिलने पर वेतन, वरिष्ठता, स्थायीकरण और पदोन्नति के लिए पिछली तथा सेवान्तरावधि की गणना करना; राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्र-वृत्तियों के रूप में शिक्षा रियायतें; पुस्तकें देना, होस्टलों में निश्शुल्क स्थान देना; कठिन परिस्थितियों में राजनीतिक पीड़ितों तथा उनके आश्रितों को अनावर्तक इकट्ठा वित्तीय अनुदान; उद्योग तथा व्यापार आरम्भ करने के लिए छोटे ऋण देना; विस्थापित राजनीतिक पीड़ितों को रियायती दर पर मकान की जमीन देना।

सरकारी सेवा में प्रवेश करने के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेना एक अतिरिक्त हर्ता समझी जाती है।

(ख) राजनीतिक पीड़ितों के लिए दिये जाने वाली रियायतों के दिये जाने के लिए प्रार्थना पर निश्चय प्रशासन की दृष्टि से सम्बन्धित मंत्रालय और राज्य सरकारें करती हैं। आजाद हिन्द फौज के कितने कर्मचारियों ने ये रियायतें प्राप्त की हैं, इस के बारे में तत्काल जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) जहां तक सरकार को पता है, भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों के सारे दावे अन्तिम रूप से निपटा दिये गये हैं।

मकान का किराया काटना

१२८५. **श्री बलराज मधोक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कि १५० रुपये से कम बेसिक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों से नियमानुसार ७½ प्रतिशत मकान किराया काटने की बजाय वेतन में कंपन्सेटरी एलाउन्स जोड़ कर १० प्रतिशत किराया काटने के क्या कारण हैं; और

(ख) महंगाई भत्ता देने के समय कंपन्सेटरी एलाउन्स बेसिक वेतन में न जोड़ने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) सरकार ने दूसरे वेतन-आयोग (पे कमीशन) की यह सिफारिश मान ली है कि "सरकारी मकान का किराया पूरक भत्ते (कम्पेंसेटरी एलाउंस) सहित वेतन के आधार पर काटने की मौजूदा प्रणाली जारी रखी जाये। इसलिए सभी से पूरक नगर भत्ते सहित उपलब्धियों (इमोल्यूमेण्ट्स) के आधार पर किराया लिया जाता है। जब उपलब्धियां (इमोल्यूमेण्ट्स) १५० रुपये मासिक या इस से ज्यादा होती हैं तब केवल वेतन १५० रुपये मासिक से कम होने पर भी किराया १० प्रतिशत के हिसाब से लिया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

७ ½ प्रतिशत मकान किराया उन्हीं सरकारी कर्मचारियों से लिया जाता है जिनकी उपलब्धियां १५० रुपये मासिक से कम हैं ।

(ख) पूरक भत्ते केवल वेतन के आधार पर दिये जाते हैं । महंगाई भत्ता भी केवल वेतन के आधार पर दिया जाता है । एक पूरक भत्ता दूसरे पूरक भत्ते सहित वेतन के आधार पर देना अनियमित होगा, क्योंकि इस का अर्थ यह होगा कि महंगाई भत्ता पूरक (नगर) भत्ते और मकान किराया भत्ते पर दिया जाय और तब ये दोनों भत्ते भी एक दूसरे पर और महंगाई भत्ते पर भी देने पड़ेंगे ।

तिब्बती विद्यार्थियों के लिए स्कूल

†१२८६. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तिब्बती विद्यार्थियों की शिक्षा के लिये कितने स्कूल खोले और/या चलाये जा रहे हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** इक्कीस ।

ऋण

†१२८७. **श्री रघुनाथ सिंह:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन मास में देश और विदेश में कितना ऋण लिया गया है तथा कितना पिछले ऋणों का भुगतान किया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** सितम्बर से नवम्बर, १९६१ तक के महीनों में भारत तथा विदेशों में लिये गये ऋण और किये गये पुनः भुगतान के आंकड़े निम्न हैं :—

	ऋण	पुनः भुगतान
बाजार ऋण	शून्य	४१·३५ करोड़
खजाने के बिल . .	१०१२·८४ करोड़	१०६६·५५ करोड़

भारत से बाहर लिये गये ऋण और किये गये पुनः भुगतान के नवम्बर, १९६१ तक के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, अक्टूबर, १९६१ में समाप्त होने वाली तिमही के आंकड़े क्रमानुसार ८४·६७ करोड़ रु० और ९·३२ करोड़ रु० हैं ।

अंकलेश्वर का टेल

†१२८८. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **इस्पात, और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पुनः परीक्षण के बाद अब यह निश्चय हो गया है कि अंकलेश्वर में आशा से कम तेल मिलने की संभावना है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** हां, श्रीमान् । और छिद्रण के आधार पर यह समझा जाता है कि अनुकूलतम वार्षिक उत्पादन संभवतः अनुमानित मात्रा से कुछ कम हो सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

द्विभाषी प्रारम्भिक पुस्तकें

†१२८९. **श्री कालिका सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री द्विभाषी प्रारम्भिक पुस्तकों संबंधी १९ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक विभिन्न राज्यों या संस्थाओं में हिन्दी की कितनी मूल पुस्तिकायें प्रकाशित व विक्रय कर के या अन्यथा बांटी गई हैं ;

(ख) क्या उत्तर की मद (२) के अनुसार प्रारम्भिक पुस्तकें मुद्रित और वितरित की गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो कितनी और किस किस राज्य में बांटी गई हैं ;

(घ) क्या लेखकों की तालिका बना ली गई है ;

(ङ) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों की तालिकाओं में कितने कर्मचारी हैं और उन्हों ने अब तक क्या कार्य किया है ; और

(च) द्विभाषी प्रारम्भिक पुस्तकें प्रकाशित करने के प्रस्ताव में कितनी प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) ५०० तथा २००० हिन्दी के आरम्भिक शब्दों वाली दो पुस्तिकाओं में से प्रत्येक की ५००० प्रतियां प्रकाशित की गईं। क्रमानुसार पुस्तिकाओं की ४,०७० और ४,३६० प्रतियां राज्यों तथा संस्थाओं और व्यक्तियों में मांग करने पर वितरित की गई हैं। ये पुस्तिकायें निश्शुल्क बांटी जाती हैं।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) और (ङ). प्रारम्भिक पुस्तकें लिखने का कार्य केन्द्रीय शिक्षक महाविद्यालय, आगरा को सौंपा गया है ।

(च) द्विभाषी प्रारम्भिक पुस्तकें तैयार करने का कार्य दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास को सौंपा गया था । सभा ने सूचना दी है कि उन्होंने हिन्दी-तामिल और हिन्दी-मलयालम की प्रारम्भिक पुस्तकें तैयार कर ली हैं और अन्य प्रारम्भिक पुस्तकें तैयार करने का कार्य आरम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है । सभा इन प्रारम्भिक पुस्तकों के प्रकाशन की भी व्यवस्था कर रही है और इस पर होने वाला व्यय भारत सरकार उठायेगी ।

क्वात में भारतीय चलार्थ के स्थान पर अन्य चलार्थ चलाना

†१२९०. **श्री कालिका सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्वात ने १ अप्रैल, १९६१ से भारतीय चलार्थ के स्थान पर दीनार चलाने का निश्चय किन कारणों से किया ;

(ख) क्या दीनार 'बैंक आफ इंगलैण्ड' के स्टर्लिंग संरक्षण पर आश्रित या उस से संबंधित है या स्वतंत्र चलार्थ है ; और

(ग) क्या क्वात में भारतीय चलार्थ बन्द करने की पहल ब्रिटेन ने की थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) क्वात एक स्वतंत्र प्रभुता सम्पन्न देश है और उसे अपना चलार्थ चलाने का अधिकार था। भारत सरकार इस का ठीक कारण बताने में असमर्थ है कि १ अप्रैल, १९६१ से क्वात-दीनार चलाने का निश्चय क्यों किया गया।

(ख) क्वाती दीनार स्वतंत्र चलार्थ है। फिर भी, यह समझा जाता है कि क्वात चलार्थ बोर्ड की पर्याप्त आस्तियों को स्टर्लिंग प्रतिभूतियों के रूप में रखने का उपबन्ध किया गया है।

(ग) इस बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

संभल का किला

†**१२९१. श्री बलराज मधोक** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संभल (उत्तर प्रदेश) में पृथ्वीराज का किला संरक्षित स्मारक है ; और

(ख) यदि हां, तो पुराने छिपे खजानों की खोज करने वाले व्यक्तियों द्वारा इस का गिराया जाना व नष्ट करना रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली में पुलिस कर्मचारियों के लिए वर्दी का कोटा

†**१२९२. श्री बलराज मधोक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में पुलिस के सिपाहियों को एक वर्ष में केवल एक कमीज और एक नेकर दिया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्दी का यह कोटा सर्वथा अपर्याप्त है और पुलिस के कर्मचारियों को इस की पूर्ति करने के लिये अपने पास से व्यय करना पड़ता है ; और

(ग) क्या सरकार पुलिस कर्मचारियों के लिये कपड़ों के वार्षिक राशन में वृद्धि करने के लिए कार्यवाही करेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) दिल्ली पुलिस में दाखिल होने पर सिपाहियों को वर्दी की विभिन्न वस्तुयें दी जाती हैं जिन में दो कमीजें और दो नेकर भी हैं। इनमें से एक कमीज और एक नेकर प्रति वर्ष बदल दिया जाता है।

(ख) सरकार सिपाहियों की वर्दी के कोटे को पर्याप्त समझती है। किसी भी पुलिस-कर्मचारी का अपनी जेब से व्यय करने की बात सरकार को मालूम नहीं हुई है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में प्लाट

१२९३. **श्री बलराज मधोक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन द्वारा कम आय के लोगों के लिये बनाये गये प्लाटों का मूल्य २५ रुपये प्रतिवर्ग गज निश्चित किया गया है ;

(ख) इन प्लाटों की भूमि को लेने के लिये सरकार को प्रति वर्ग गज कितना दाम देना पड़ा है और प्रति वर्ग गज विकास पर कितना खर्च आया है ;

(ग) क्या यह सच है कि यह कीमत प्राइवेट कालोनाइज़रों द्वारा डेवेलप की गई भूमि में बनाये गये प्लाटों की अपेक्षा कहीं अधिक है ; और

(घ) इस कीमत को कम करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) और (ख). इस सम्बन्ध में तारांकित प्रश्न संख्या ३३८ दिनांक २७ नवम्बर, १९६१ के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अपर डिवीजन क्लर्क

१२९४. **श्री बलराज मधोक**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय में असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क को एक जैसा काम करना पड़ता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अपर डिवीजन क्लर्क के अलग ग्रेड को १५ वर्षों के बाद १९५४ में चालू किया गया था ;

(ग) क्या यह सच है कि इस के कारण अपर डिवीजन क्लर्कों की पदोन्नति बहुत हद तक रुक गई है ; और

(घ) क्या सरकार अपर डिवीजन और असिस्टेंट ग्रेड को मिला कर एक कर देने पर फिर विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) जी नहीं। असिस्टेंटों से कठिन व क्लिष्ट मामलों का टिप्पण व मसौदा बनवाया जाता है। इस के विपरीत अपर डिवीजन क्लर्कों को वह कार्य दिया जाता है, जो न तो इतना महत्वपूर्ण हो, कि असिस्टेंटों से कराया जाय, और न ही इतना साधारण प्रकार का हो, कि उसे लोअर डिवीजन क्लर्क करें।

(ख) सचिवालय में अपर डिवीजन क्लर्कों का ग्रेड १९३९ में समाप्त किया गया था और प्रथम मई, १९५४ से केन्द्रीय सचिवालय क्लैरिकल सेवा के प्रारम्भिक संघटन के समय पुनः लागू किया गया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) पिछले वर्ष अपर डिवीजन क्लर्क के ग्रेड को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार किया गया था, और यह निश्चय किया गया था कि इस ग्रेड को जारी रखा जाये। तत्पश्चात् कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, तथा उन पर विचार किया जा रहा है।

पेंशनरों का महंगाई भत्ता

†१२९५. { श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री अनिरुद्ध सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी पेंशनरों की मासिक पेंशन १०० रु० से कम या अधिक होने और १५ जुलाई, १९५२ से पहिले या बाद में रिटायर होने के आधार पर एक ही वर्ग के पेंशनरों के लिये महंगाई भत्ते के विभिन्न क्रम प्रचलित हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 'विद्यमान पेंशनरों' का मामला १९५२ की गाडगिल समिति और १९५७ के केन्द्रीय वेतन आयोग के निर्देश पदों से पृथक रखा गया था जिस के परिणामस्वरूप इन दोनों निकायों की सिफारिशें उस की नियुक्ति से पहिले रिटायर होने वाले पेंशनरों पर लागू नहीं हुईं ;

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण है ; और

(ङ) एक ही वर्ग के पेंशनरों की महंगाई भत्ते की दर एकसी बनाने और बढ़त हुए जीवन व्यय की दृष्टि से उन की स्थिति में सुधार करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). जो लोग १५ जुलाई, १९५२ से पहिले रिटायर हुए थे और जिन की पेंशन १०० रु० मासिक से अधिक न थी, उन की पेंशन में अस्थायी रूप से १२·५० रु० की वृद्धि की गई थी जिस में ११२·५० रु० तक सीमांकन समायोजन हो सकता था। यह वृद्धि उन लोगों को नहीं दी गई जो उस तारीख के बाद रिटायर हुए हैं क्योंकि गाडगिल समिति की सिफारिशों के स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप उन की उपलब्धियों में महंगाई भत्ता मिला देने से उन की सामान्य पेंशन पहिले ही बढ़ गई थी।

(ग) १५ जुलाई, १९५२ से पहिले रिटायर हुए पेंशनरों का मामला गाडगिल समिति को नहीं भेजा गया था। परन्तु समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पेंशनरों की कुछ संस्थाओं ने थोड़ी पेंशन पाने वालों को कुछ सहायता देने के लिए उससे अभ्यावेदन किया था। फिर भी समिति ने बताया था कि यह बात उनके निर्देश पदों से बाहर थी।

पेंशनरों को सहायता देने के प्रश्न पर द्वितीय वेतन आयोग ने विचार किया था। उसकी राय थी कि यद्यपि सहायता देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता परन्तु मानवता को ध्यान में रखकर कुछ सहायता २०० रु० तक मासिक पेंशन पाने वालों को दी जा सकती है। सरकार ने निश्चय किया कि वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर पेंशनरों को निर्वाह-व्यय के आधार पर कोई सहायता देना असंभव है।

(घ) गाडगिल समिति उन सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में मंहगाई भत्ता मिलाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई थी जो समिति की नियुक्ति की तारीख को सेवा में थे।

(ङ) पेंशनरों को मंहगाई भत्ता देने का कोई प्रस्ताव आजकल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में कोयला निक्षेप

†१२९६. श्रीमती रेणुका राय: क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में तलचेर के कोयला क्षेत्रों में कोयले के भारी निक्षेप पाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कोयला किस किस्म का है और शोषण कार्य कब आरम्भ होगा ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) हां। पिछले सालों में पर्याप्त मात्रा में कोयले के अतिरिक्त निक्षेपों का पता लगा है ।

(ख) निम्नतम पट्टियों में विशेष श्रेणी से लेकर श्रेणी २ तक की किस्म का कोयला मिलता है। ऊपर की पट्टियों में निम्न श्रेणी का कोयला होने की संभावना है। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने यहां एक नई 'ओपिन-कास्ट' खान खोली है और इसमें दिसम्बर, १९६० में उदपादन आरम्भ हुआ था ।

लद्दाख में तांबा अयस्क

†१२९७. श्री प्र० गं० देब: क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख में तांबा अयस्क का शोषण करने की कोई योजना है; और

(ख) लद्दाख में कुल कितना तांबा अयस्क होने की संभावना ह ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है। क्योंकि अभी कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग के संचालन संबंधी रिपोर्ट

†१२९८. श्री राम कृष्ण गुप्त: क्या **वित्त** मंत्री २५ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९७४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग के संचालन की गूढ़ जांच करने और उसके पुनर्गठन के लिए सिफारिश करने के लिए जो सात सदस्यों की समिति नियुक्त की गई थी उसने अब तक कोई रिपोर्ट दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) नहीं, श्रीमान्। समिति को अपनी रिपोर्ट देने के लिए अब ३१ जुलाई, १९६२ तक का समय दिया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अदालती प्रक्रिया को सरल बनाना

†१२९९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या गृह-कार्य मंत्री २५ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९७५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्गठित विधि आयोग ने अदालती प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** (क) प्रश्न अभी पुनर्गठित विधि आयोग के विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में शुद्ध आयुर्वेदिक पाठ्यक्रम

†१३००. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या शिक्षा मंत्री १४ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९०६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में शुद्ध आयुर्वेदिक पाठ्यक्रम आरम्भ करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है ।

कैलासहर, त्रिपुरा में भूमि सर्वेक्षण कार्य

†१३०१. **श्री दशरथ देव :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि कैलासहर, त्रिपुरा में अग्रहायण और पौष में भूमि सर्वेक्षण कार्य स्थगित कर दिया जाये क्योंकि इसके दौरान भारी परिमाण में फसल नष्ट हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) इस प्रार्थना को लेकर दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे कि खड़ी फसल के कटने तक कैलासहर सब डिवीज़न में सर्वेक्षण कार्य स्थगित कर दिया जाये ।

(ख) फसल की क्षति न होने देने के लिये फील्ड कर्मचारियों को आदेश जारी कर दिये गये हैं । उन्हें इस आशय के अनुदेश भेजे गये हैं कि वे खड़ी फसल वाले खेतों का सर्वेक्षण छोड़ दें अथवा अत्यंत आवश्यक होने पर फसल के ऊपर जंजीरों के माध्यम से यह काम करें ताकि खड़ी फसल को नुक्सान न होने पाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा की स्वस्ती समिति

†१३०२ **श्री दशरथ देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में स्वस्ती समिति को आवंटित भूमि क्षेत्र का अन्तिम सीमा निर्धारण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कंचनपुर की स्वस्ती समिति द्वारा अधिकृत अतिरिक्त भूमि कितने एकड़ है ; और

(ग) क्या इस भूमि को वहां के निर्धन और भूमिहीन व्यक्तियों को वितरण करने के प्रयोजन से इसे सरकारी नियंत्रण में लेने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

कंचनपुर में आदिमजातियों के अधिकार में भूमि

†१३०३. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वस्ती समिति को बसाने के कार्य के लिये कंचनपुर क्षेत्र (त्रिपुरा) में जो वृहद् भूभाग दिया गया है वह स्वस्ती समिति के प्रादुर्भाव के बहुत पहले से ही आदिमजाति कृषकों के अधिकार में है ।

(ख) क्या यह सच है कि स्वस्ती समिति उन आदिम जाति भूमिधारियों को उस अधिकृत भूमि से निष्क्रांत कर रही है जो स्वयं उन्होंने खेती के योग्य बनाई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस भूमि के संरक्षण के लिये सरकार आदिम जातियों को क्या निदान प्रस्तुत कर रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

त्रिपुरा में शरणार्थियों को कृषि ऋण

†१३०४. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के समक्ष यह अभ्यावेदन किया गया है कि त्रिपुरा में शरणार्थियों को दिया गया कृषि ऋण छोड़ दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकर ने इस विषय में कोई निर्णय किया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) यह विषय विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक रुपये के नोट के लिये मुद्रणालय

†१३०५. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नासिक में एक रुपये के नोट के लिये मुद्रणालय के निर्माण की क्या प्रगति है ;

(ख) एक रुपये के नोट के यथार्थ मुद्रण का कार्य कब प्रारम्भ होगा ;

(ग) इस मुद्रणालय की उत्पादन क्षमता कितनी होगी ; और

(घ) कर्मचारियों और अन्य प्रतिष्ठान की आवश्यकता का क्या परिणाम है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). अधिकांश मशीनें लग चुकी हैं और काम कर रही हैं ।

(ग) पूर्णरूपेण काम करना प्रारम्भ करने पर मुद्रणालय की प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता ५०४ लाख नोट प्रतिदिन आठ घंटे काम करने पर है ।

(घ) अनुमान है कि औद्योगिक श्रम तथा अन्य कर्मचारियों को मिलाकर १४०० व्यक्तियों की आवश्यकता होगी ।

महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण

†१३०६. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २१ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में सैनिक कार्यों के लिये अधिगृहीत कर किराये पर ली गई जमीन के अधिग्रहण भुगतान और बकाया किराया देने की क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या १९६१-६२ में और भूमि प्राप्त करने का निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण रेनन)** : (क) लगभग २७,७३८ एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिये अनुमानित १.४६ करोड़ रुपये में से १.४१ करोड़ रुपये दे दिये गये हैं । शेष रकम नहीं दी गई है क्योंकि यह मामले पंचाट हेतु निर्देशन किये गये हैं ।

इसके अतिरिक्त लगभग ३७३ एकड़ भूमि के सम्बन्ध में अभी अधिग्रहण कार्यवाही चल रही है अतः अभी उसका प्रतिकर निर्धारित नहीं किया गया है ।

किराये से ली गई जमीन का किराया १२-११-१९६० तक, दो मामलों में १३-५-१९६० तक और शेष सब मामलों में ३१-३-१९६० तक दे दिया है। इसमें दो मामले सम्मिलित नहीं है क्योंकि जमीन के मालिक मर चुके हैं और कलेक्टर ने अभी उनके वैधिक उत्तराधिकारियों का निर्णय नहीं किया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जोरहट (आसाम) में एम० ई० एस० कर्मचारी

†१३०७. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जोरहाट (आसाम) में नियोजित एम० ई० एस० असैनिक कर्मचारियों को परियोजना भत्ता नहीं मिलता है जब कि उसी परियोजना में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित सहयोगी कर्मचारियों को यह मिल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस विषय में विषमता दूर करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और एम० ई० एस० कर्मचारियों में किसी को भी जोरहाट में नियोजन के लिये परियोजना भत्ता नहीं मिलता है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

जोरहट (आसाम) में एम० ई० एस० कर्मचारी

†१३०८. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एम० ई० एस० के असैनिक कर्मचारियों को जोरहाट, आसाम में निर्धारित अवधि के लिये नियुक्त किया जाता था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने हाल ही में यह निर्णय किया है कि इस विशिष्ट श्रेणी के कर्मचारियों के लिये निर्धारित अवधि की पद्धति समाप्त कर दी जाये ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार की ध्यान में यह बात आई है कि उपरोक्त निर्धारित अवधि पूरी कर लेने वाले वृहद् संख्या कर्मचारियों पर उक्त निर्णय से विपरीत प्रभाव हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस विषय में क्या निदानात्मक कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) एम० ई० एस० अधिकारियों ने अभी हाल ही में जोरहाट में अवधि निर्धारण प्रणाली समाप्त करने का निर्णय कर लिया है ।

(ग) अवधि निर्धारण किसी केन्द्र पर निश्चित करने के लिये कुछ तथ्यों पर विचार किया जाता है जसे शिक्षा, चिकित्सा, बाजार और मनोरंजन सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव अब जोरहाट में नहीं है । प्रशासन के हित में अवधि निर्धारण केन्द्रों की संख्या में कमी करना भी आवश्यक है ।

(घ) और (ङ). इस निर्णय के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । उन पर सरकार विचार कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नई कचार सड़क

†१३०९. **श्री ले० अची सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर प्रशासन के सतर्कता विभाग ने नई कचार सड़क के निर्माण के लिये स्वीकृत राशि से अधिक खर्च सम्बन्धी अनियमितताएं मालूम की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई थी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

प्राकृतिक गैस तथा तेल आयोग में स्टोरकीपरों के पद

†१३१०. **श्री बहादुर सिंह** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक गैस तथा तेल आयोग ने देहरादून में स्टोरकीपरों के कुछ पद घोषित किये थे ;

(ख) कितने पद घोषित किये गये थे ;

(ग) जून और जुलाई, १९६१ में इन्टरव्यू के लिये कितने उम्मीदवार बुलाये गये थे ;

(घ) अनुसूचित जातियों के लिये कितने स्थान रक्षित किये गये ;

(ङ) उम्मीदवारों के लिये निर्धारित अर्हताएं क्या थीं ;

(च) १९६१ में अक्टूबर के अन्त तक कितने पदों की पूर्ति हो चुकी है ;

(छ) रक्षित स्थानों में से कितने स्थानों की पूर्ति हो चुकी है ;

(ज) रक्षित पदों के लिये उपस्थित उम्मीदवारों की क्या अर्हताएं हैं ; और

(झ) जो अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार इन पदों के लिय चुन लिये गये हैं और उनकी नियुक्ति हो चुकी है उनकी अर्हताएं क्या हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). मार्च १९६१ में बीस पदों के लिये विज्ञापन दिया गया था ।

(ग) बावन ।

(घ) तीन ।

(ङ) (१) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का ग्रेजूएट ।

(२) स्टोर के काम का न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव उम्मीदवारों के अन्यथा उपयुक्त होने पर कमीशन को अर्हताओं में ढिलाई करने का अधिकार है ।

(च) सात ।

(छ) एक ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ज) रक्षित स्थानों के लिये केवल दो उम्मीदवार आये थे । उनकी योग्यताएं इस प्रकार थीं :

(१) ग्रेजूएट--तीन साल का क्लर्क पद का अनुभव किन्तु स्टोर्स का अनुभव नहीं ।

(२) मैट्रिक पास और सात वर्ष का स्टोर्स का अनुभव

(झ) दो उम्मीदवारों में से एक का चुनाव कर लिया गया है और उनकी नियुक्ति कर दी गई है । वह मैट्रिक पास और सात वर्ष के स्टोर्स के अनुभव सहित है ।

कस्टम हाऊस मद्रास

†१३११. **श्री अ० कु० गोपालन** : क्या **वित्त** मंत्री १४ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में नये कस्टम हाऊस के निर्माण की क्या प्रगति है ;

(ख) यह काम किस तारीख तक पूरा हो जायेगा ;

(ग) कस्टम कार्यालयों के लिये किराये पर प्रति महीना कितना किराया दिया जाता है ;

(घ) क्या ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) भवन के बाहरी भाग का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है ।

(ख) १९६३ के अन्त तक ।

(ग) ८.४०५ रुपये प्रति माह ।

(घ) और (ङ). नीव की खुदाई का काम मूल ठेकेदार की मार्फत और उसी की कीमत एवं जोखिम पर दूसरी फर्म को दिया गया था । अतिरिक्त व्यय की राशि मूल ठेकेदार से वसूल करने का विचार है ।

चुनाव याचिका

१३१२. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **विधि** मंत्री चुनाव याचिकाओं के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या ३०१६ के १० अप्रैल, १९६१ को दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के ५ व्यक्तियों में से जिस एक सदस्य की चुनाव लड़ने के लिये दो वर्ष की अवधि में से २ माह की अवधि कम करने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया था, उसे पुनः स्वीकार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रार्थना को पहले अस्वीकार करने के क्या कारण थे और अब यह किस आधार पर यह स्वीकार कर ली गई है ?

विधि उपमंत्री (श्री हजरतवीस) : (क) जी हां ।

(ख) उच्च न्यायालय ने अपील में जो निर्णय इस आशय का दिया था कि उम्मीदवार ने पिछले साधारण निर्वाचन में यह भ्रष्टाचार किया था कि उसने निर्वाचकों को मतदान केन्द्र तक लाने और वहां से उन्हें ले जाने के लिये मोटरगाड़ी भाड़े पर ली थी उससे वह जिस अनर्हता के अधीन हो गया था उसके हटाये जाने के लिये उसने मूलतः आवेदन किया था । विधान सभा में स्थान खो

†मूल अंग्रेजी में

देने से और लगभग तीन वर्ष तक निर्वाचन याचिका का प्रतिविरोध करते रहने से उम्मीदवार को जो कष्ट भोगना पड़ा हैं उसे ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने अनर्हता की अवधि को छः वर्ष से घटा कर दो वर्ष कर दिया था। उम्मीदवार ने आयोग से पुनः यह आवेदन किया था कि अनर्हता की अवधि और कम कर दी जाये। आयोग का यह विचार था कि मतदान केन्द्र तक मतदाताओं के ले जाने के लिए ट्रैक्टर भाड़े पर लेना निर्वाचन विधि का इतना गम्भीर उल्लंघन नहीं समझा जा सकता है जिससे कि उम्मीदवार को आगामी साधारण निर्वाचन में चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाये और यह कि अपने भ्रष्ट आचरण के परिणाम वह सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए अप्रैल, १९५९ से भुगत चुका है। अतः आयोग ने अनर्हता की अवधि में दो मास की और कमी कर दी। उम्मीदवार की यह अनर्हता २३ दिसम्बर, १९६१ को समाप्त हो जायेगी।

नागरिकता अधिनियम

†१३१३. **श्री कुन्हन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में यह निर्णय दिया है कि नागरिकता अधिनियम की धारा ९(२) के आधार पर सामान्य न्यायालयों को यह निर्णय करने का अधिकार नहीं है कि भारत के किसी नागरिक की नागरिकता का हनन हुआ है अथवा नहीं और कार्यपालिका का निर्णय अन्तिम है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : १९५९ की दाण्डिक अपील संख्या १९२ में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया हैं कि नागरिकता अधिनियम, १९५५ की धारा ९(२) के अधीन न्यायालय यह निर्णय नहीं कर सकता कि किसी भारतीय नागरिक ने अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ली है।

नागरिकता नियम

†१३१४. **श्री कुन्हन** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागरिकता अधिनियम के अधीन बनाये गये नागरिकता नियमों के अन्तर्गत, यह प्रमाण करने का भार, कि भारत के किसी नागरिक ने अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ली है, सम्बन्धित नागरिक पर है ;

(ख) क्या यह सच है कि नागरिकता नियमों के अधीन यह तथ्य कि भारत के किसी नागरिक ने किसी तारीख को किसी अन्य देश के पासपोर्ट प्राप्त कर लिया है, इस बात का स्वयं सिद्ध प्रमाण माना जायेगा कि उसने उक्त तारीख के पूर्व उक्त देश की नागरिकता स्वैच्छापूर्वक स्वीकार कर ली है ; और

(ग) क्या यह सच है कि उपरोक्त नियमों के अधीन नागरिकता ले लेने के पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई देना आवश्यक नहीं है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). इनका उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ग) नियमों के अन्तर्गत व्यक्तिगत सुनवाई का उपबन्ध नहीं है। किन्तु जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जा रहा है उसके अनुसार संबंधित व्यक्ति को ऐसा साक्ष्य अथवा प्रमाण देने का अवसर दिया जाता है जिसके आधार पर नागरिकता के निर्धारण के लिये केन्द्रीय सरकार विचार कर सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्टानवाक लिमिटेड के साथ सरकार की साझेदारी

†१३१५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने स्टानवाक लिमिटेड से उनके बम्बई स्थित तेल शोधन कारखाने में प्रस्ताविता पथा क्रेकर परियोजना में सरकारी साझेदारी स्वीकार करने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के प्रति स्टानवाक कम्पनी का क्या प्रत्युत्तर है ?

†**खान तथा तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) प्रारम्भिक चर्चा के दौरान इस प्रकार का सुझाव दिया गया था ।

(ख) कम्पनी ने गैर सरकारी औद्योगिकों को समान अंशों में भाग लेने के लिये कहा है ?

आंध्र प्रदेश में मरकाला और ईराडी जातियां

†१३१६. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार तैलंगाना क्षेत्र की मरकाला और ईराडी जातियों को आंध्र प्रदेश की अन्य आदिम जातियों के समकक्ष मानने के लिये सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो इस प्रस्ताव को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों में परिवर्द्धन करने के लिये राज्य सरकारों के प्रस्तावों पर अभी विचार किया जा रहा है। इस बीच राज्य सरकारों के सुझाव प्रकट करना जन हित में नहीं होगा।

उड़ीसा ले कोयले की कमी

†१३१७. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कोयले की सप्लाई में कमी दूर करने के लिये इस राज्य में कोयले के संचयागार स्थापित किये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि सखीगोपाल और पुरी में कोयले की भारी कमी है; और

(ग) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) उड़ीसा सरकार ने प्रयोगात्मक रूप में कटक, झरसुगुड़ा, बरहामपुर और बालासोर में कोयले के संचयागार स्थापित करने का निर्णय किया है किन्तु अभी यह कार्य आरम्भ नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). सखीगोपाल और पुरी में कोयले की कमी के बारे में निर्दिष्ट कमी की रिपोर्ट सरकार को नहीं मिली है किन्तु कोयले की सप्लाई की स्थिति उड़ीसा राज्य में सुधर गई है। उड़ीसा

†मूल अंग्रेजी में

को रेल द्वारा अक्टूबर, १९६१ तक कुल ४६,३८० वैगन कोयला भेजा गया है, जबकि १९६० में इसी अवधि में ४६,३८० वैगन कोयला भेजा गया था। कोयले की विशिष्ट किस्मों की योजनाबद्ध सप्लाई की वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत, निर्दिष्ट स्थानों को कोयला भेजने का कार्यक्रम तैयार करना राज्य सरकार का काम है और उसमें कोई संदेह नहीं है कि वह कमी वाले क्षेत्रों की आवश्यकता का ध्यान रखेंगे।

दिल्ली के स्कूलों की पाठ्य पुस्तकें

†१३१९. **श्री बलराज मधोक** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में स्कूलों की पाठ्य पुस्तकें शीघ्र परिवर्तित होती रहती हैं जिसके फलस्वरूप विद्यार्थियों और उनके माता-पिताओं को हानि सहनी पड़ती है ;

(ख) क्या सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि ऐसा नियम तय कर दिया जाये कि पाठ्य पुस्तकों में पांच वर्षों तक कोई परिवर्तन न हो; और

(ग) यदि हाँ, तो उस सुझाव के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं।

(ख) ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

स्टेनोटाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर

†१३२१. **श्री बलराज मधोक** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेक्रेटरियेट और गैर सेक्रेटेरियेट कार्यालयों में स्टेनोटाइपिस्ट ११०—१८० रुपये के वेतनक्रम और २० रुपये विशेष वेतन में है तथा सम्बन्धित विभाग मन्त्रालय उनकी ८० शब्द प्रति मिनट न्यूनतम गति पर शार्टहैंड परीक्षा लेता है।

(ख) क्या यह भी सच है कि गैर सेक्रेटेरियट कार्यालयों में न्यूनतम वेतन वाले स्टेनोग्राफर १३०—३०० रुपये के वेतन क्रम में हैं तथा सम्बन्धित विभाग उनकी १०० शब्द प्रति मिनट गति पर शार्टहैण्ड परीक्षा लेता है ;

(ग) क्या यह यह सच है कि न्यूनतम वेतन स्टेनोग्राफर सेक्रेटेरियेट कार्यालयों में २१०—५३० रुपये के वेतन क्रम में हैं तथा संघ लोक सेवा आयोग उनकी १०० शब्द प्रति मिनट शार्टहैंड परीक्षा लेता है ;

(घ) क्या यह सच है कि सैक्रेटरियेट और गैर क्रेटरियेट कार्यालयों में न्यूनतम वेतन स्टेनोग्राफरों के कार्य का स्वरूप और कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व समान है ; और

(ङ) यदि हां, तो न्यूनतम वेतन स्टेनोग्राफरों के, जो सैक्रेटरियेट और गैर सैक्रेटरियेट कार्यालयों में काम करते हैं, वेतन क्रम में विषमता का क्या औचित्य है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बातार)** : (क) से (ग). जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

प्रगति विद्यालय, अगरतला

†१३२२. **श्री दशरथ देव** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्रगति विद्यालय, अगरतला की विधि की दुर्व्यवस्था की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो दोषी लोगों का पता लगा कर उनको दण्ड देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कर्मचारी

†१३२३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कितने अफसरों (१) राज्यों (२) केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों, (३) सरकारी क्षेत्र के संगठनों, और (४) विदेशों में विदेश पदों पर डेपूटेशन पर हैं;

(ख) क्या यह सच है कि वे अफसर अनिश्चित काल के लिये 'डेपूटेशन' पर रह सकते हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे 'डेपुटेशन' की और शर्तें क्या हैं, ताकि वे लोक सेवा प्राप्त करने वाले संगठन में, ५ वर्ष के डेपुटेशन के पश्चात स्थायी रूप से लगाये जा सकें ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) (१) ४५, (२) २३, (३) ५६ और (४) २६ ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

अस्थायी सहायक

†१३२४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय अस्थायी सहायकों की संख्या कितनी है ;

(ख) इनमें से कितने लोगों की सेवा सात वर्ष से अधिक हो चुकी है ।

(ग) १९५५ से १९६१ तक सहायकों के कितने पद सीधी भर्ती के द्वारा स्थायी तौर पर भरे गए हैं ;

(घ) ३१ मार्च, १९५४ से पहले के सहायकों को स्थायी बनने में कितना समय लगेगा ; और

(ङ) उन के शीघ्र स्थायीकरण के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है या करने का विचार किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) लगभग १८८० ।

(ख) लगभग ११५० । इन में से ४२५ व्यक्ति अभी किसी ग्रेड में स्थायी नहीं हुए ।

(ग) १३८५ ।

(घ) और (ङ). अस्थायी सहायकों का स्थायीकरण विभागीय अभ्यंश, अर्थात् ग्रेड के स्थायी पदों में से ५० प्रतिशत में से किया जाता है और उल्लिखित श्रेणी के सभी अस्थायी सहायकों के स्थायीकरण के लिये कोई निश्चित समय-सीमा नहीं है ।

सहायक

†१३२५. श्री दी० चं० शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से सहायकों को, जिन्हों ने उस ग्रेड में १५ वर्ष से अधिक सेवा कर ली है, उन्नति के अवसरों से वंचित रखा गया है, क्योंकि उस ग्रेड में वरिष्ठता निर्धारित करने के लिये सरकार ने भिन्न कसौटी अपना ली है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या है ;

(ग) विशिष्ट पद पर इतनी लंबी सेवा वाले व्यक्तियों के अवसर खराब न होने पायें, इसके लिये क्या कार्रवाई की जाने का विचार है ; और

(घ) १५ वर्ष से अधिक सेवा वाले सब लोगों को अगले ग्रेड में पदोन्नति मिलने में कितना समय लगेगा ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). लगभग ८०० स्थायी सहायक हैं जिन्हों ने सहायक के ग्रेड में १५ वर्ष से अधिक सेवा की है, जिन में से लगभग ३२० व्यक्ति सैक्शन अफसर के नाते काम कर रहे हैं । केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड ४ में वरिष्ठता से संबंधित कसौटी, जो समय समय पर अपनाई जाती है, सेवा की अवधि तथा अन्य तत्सम्बन्धी बातों पर आधारित दावों पर विचार करने के पश्चात् निर्धारित की गई थी ।

(ग) और (घ). केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना के अनुसार, सैक्शन अफसरों के स्थायी रिक्त स्थानों में से ५० प्रतिशत पद आई० ए० एस० आदि संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर सीधी भर्ती के द्वारा पूरे करने होते हैं और शेष रिक्त स्थान सहायकों के ग्रेड से निम्न तरीके से पदोन्नति के द्वारा भरे जाते हैं :—

(१) आधे रिक्त स्थान, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर, जिस में वे सब सहायक जो निम्नतम निर्धारित सेवा अवधि पूरी करते हों, बैठ सकते हैं ; और

(२) शेष आधे पद केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड ४ की वरिष्ठता के आधार पर सहायकों की पदोन्नति के द्वारा, यदि वे उपयुक्त हों ।

जिन सहायकों को अभी तक सैक्शन अफसर के ग्रेड में पदोन्नति नहीं मिली है, वे उपरोक्त उपबन्धों के अनुसार, अपनी बारी आने पर उस पदोन्नति के हकदार होंगे, जो पर्याप्त समझे जाते हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सचिवालय में सहायक

†१३२६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय योजना के अन्दर सहायकों की वरिष्ठता निर्धारित करने की क्या कसौटी है ;

(ख) क्या यह सच है कि १ जनवरी १९५८ को जो सहायक स्थायी थे, उनको उस तिथि के बाद भर्ती किये गये लोगों से कनिष्ठ रख दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सैक्शन अफसरों के ग्रेड में वरिष्ठता निर्धारित करने के लिये भी विभिन्न कसौटी अपनाई गई है और क्या अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के लोगों को भी जो रक्षित अभ्यंश में नियुक्ति के लिये चुने गये हैं, उन सैक्शन अफसर से वरिष्ठ घोषित करने का विचार है, जो अस्थायी/स्थायी पदों पर हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो मामले की स्थिति क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ङ). स्थिति दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के (असिस्टेंट ग्रेड) ग्रेड ४ में नियुक्त लोगों की वरिष्ठता का विनियमन करने वाले सिद्धान्तों का उल्लेख २० मार्च १९६१ को लोक-सभा में श्री दी० चं० शर्मा के अतारांकित प्रश्न संख्या १९६१ के उत्तर में सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं । जैसाकि उस में वर्णन है, यह फैसला किया गया है कि जुलाई १९५७ तथा उसके बाद की प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर, नियुक्त किये गये सीधे भर्ती वाले लोग तथा दूसरी ओर उस के बाद की गई नियमित अस्थायी कर्मचारी सूचियों के द्वारा ग्रेड में स्थायी तौर पर नियुक्त लोगों को ग्रेड की वरिष्ठता सूची में क्रमानुसार स्थान दिया जाना चाहिये । इसके परिणामस्वरूप, जुलाई, १९५७ तथा बाद की प्रतियोगी परीक्षाओं के कुछ सीधे भर्ती किये गये लोग यद्यपि १-१-१९५८ के पश्चात् नियुक्त हुए थे, कुछ उन लोगों से वरिष्ठ थे, जो १-१-१९५८ से सहायकों की दूसरी नियमित अस्थायी सूची के द्वारा ग्रेड में स्थायी तौर से नियुक्त थे ।

२. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सैक्शन अफसरों के ग्रेड में वरिष्ठता का विनियमन इस प्रकार किया जाता है :--

(१) **स्थायी अफसर**--सेवा के भूतपूर्व ग्रेड २ के सभी अफसर सेवा की भूतपूर्व सेवा ३ के सभी अफसरों से वरिष्ठ होते हैं । ग्रेड की नियमित अस्थायी कर्मचारीवृन्द के द्वारा ग्रेड में स्थायी तौर पर नियुक्त अफसरों की सीधे भर्ती के किये गये लोगों से तुलनात्मक वरिष्ठता, पहले लोगों के मामले में स्थायी नियुक्ति की तिथि और दूसरे लोगों के मामले में प्रोबेशन पर नियुक्ति की तिथि, इस काम के लिये उनके मामले पर "प्रोबेशन पर नियुक्ति की तिथि" प्रतियोगी परीक्षा के वर्ष के पश्चात् वर्ष का पहली नवंबर मानी जाती है, की दृष्टि से निर्धारित की जाती है । नियमित

†मूल अंग्रेजी में

अस्थायी कर्मचारियों में से सैक्शन अफसरों के ग्रेड में स्थायी तौर से नियुक्त लोगों की तुलना में वरिष्ठता का विनियमन उस क्रम से किया जाता है जिसमें वे उस रूप में नियुक्त किये गये हैं और सीधे भर्ती लोगों का क्रम प्रतियोगी परीक्षा में उनके स्थान के अनुसार होता है ।

(२) **अस्थायी अफसर**—ग्रेड की नियमित अस्थायी कर्मचारियों में शामिल अफसर ग्रेड के अन्य सभी अस्थायी अफसरों से वरिष्ठ होते हैं । विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के लिये रक्षित अभ्यंश में इन जातियों के लोगों समेत नियमित अस्थायी कर्मचारियों में शामिल अफसरों की परस्पर वरिष्ठता का विनियमन नियमित अस्थायी कर्मचारियों में उनके शामिल होने के क्रम के अनुसार किया जाता है । ग्रेड के अन्य अस्थायी अफसरों की परस्पर वरिष्ठता का विनियमन केन्द्रीय सचिवालय सेवा के (असिस्टेंट ग्रेड) ग्रेड ४ में उनकी वरिष्ठता से किया जाता है ।

शिक्षा विभाग, मनीपुर

†१३२७. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर प्रादेशिक परिषद् के शिक्षा विभाग में ४०,००० रुपये का गबन हो गया है और अक्तूबर में खजानची गिरफ्तार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो और धन के गबन को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां । २५,००० रुपये का गबन था और खजानची २७-९-१९६१ को गिरफ्तार किया गया था ।

(ख) (१) लोहे की सेफों में दोहरे नियंत्रण का प्रबंध किया गया है ।

(२) अतिरिक्त पर्यवेक्षी कर्मचारियों का प्रबंध किया जा रहा है ।

(३) वरिष्ठ क्लर्कों को ही खजानची नियुक्त किया जायगा और उन से ज़मानत ली जाया करेगी ।

(४) लेखा परीक्षकों से भी प्रार्थना की गई है कि उपचारी उपायों का सुझाव दें ।

एम० ई० एस० के कर्मचारी

†१३२८. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एम० ई० एस० के बिजली और मैकेनिकल विभागों में असैनिकों की भर्ती के लिये सिटी एंड गिल्ड्ज़ (लन्दन) की परीक्षाओं को मान्यता दी थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विभागीय कर्मचारियों को उन परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी गई थी, जिन के आधार पर उनको पदोन्नत किया जाता रहा ।

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने १९४९ से इन परीक्षाओं को मान्यता देना बन्द कर दिया है ;

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) क्या यह सच है कि इन परीक्षाओं के आधार पर १९४९ से पहले पदोन्नत किये गये कर्मचारियों को पदावनत कर दिया गया है ;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(छ) सरकार पदावनत किये गये लोगों की कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (छ). अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है, प्राप्त की जा रही है । प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी ।

एम० ई० एस० के अस्थायी कर्मचारी

†**१३२९. श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एम० ई० एस० के बहुतेरे असैनिक कर्मचारी अस्थायी हैं हालांकि उन्हों ने २० वर्ष या इस से अधिक सेवा की है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या (श्रेणीवार तथा कमांडवार) कितनी है ;

(ग) उन को स्थायी घोषित न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस मामले में सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है और प्राप्त की जा रही है । प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

राजहरा और नन्दिनी खानों के १०,००० मजदूरों की कथित छटनी

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं नियम १९७ के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर इस्पात, खान और ईंधन मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह इस के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"भिलाई इस्पात परियोजना के अधीन राजहरा और नन्दिनी खानों के दस हजार मजदूरों की छंटनी"

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : इस सम्बन्ध में मैं आप की अनुमति से एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४४]** ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पिछले महिने ३० तारीख, १०,००० मजदूरों को काम से हटा दिया गया । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इन मजदूरों में से अधिकांश ठेकेदारों के आदमी थे । केवल कुछ मजदूर परियोजना के अधीन थे । इन मजदूरों को खानों से हाथ से खनिज निकालने के काम में लगाया गया था अब चूंकि यंत्रीकरण हो रहा है अतः काम घटता जा रहा है । यह छंटनी अनपेक्षित तरीके से नहीं की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी लिमिटेड इत्यादि की सरकार द्वारा समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

†सरदार स्वर्ण सिंह : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

१. (क) कम्पनीज अधिनियम १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६० के लिए सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी लिमिटेड, हैदराबाद का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) सरकार द्वारा उपरोक्त कम्पनी के कार्य की समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० ३३९३/६१] ।

२. (क) कम्पनीज अधिनियम १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६०–६१ के लिए राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, लिमिटेड, रांची का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) सरकार द्वारा उपरोक्त निगम के कार्य की समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० ३३९४/६१] ।

३. (क) कम्पनीज अधिनियम १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६०–६१ के लिए निवेली लिगनाइट निगम लिमिटेड, निवेली (मद्रास) की वार्षिक रिपोर्ट लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) सरकार द्वारा उपरोक्त निगम के कार्य की समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० ३३९५/६१] ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : मैं यह जानना चाहता हूं कि निवेली लिगनाइट निगम का वार्षिक प्रतिवेदन इतने विलम्ब से सभा पटल पर क्यों रखा गया ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : निदेशक बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रतिवेदन को तीन महीने के अन्दर पटल पर रख देना होता है । तत्पश्चात् सरकार द्वारा इसकी समीक्षा तैयार की जाती है । इस में कुछ समय लग जाता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने एक माननीय मंत्री को यह अनुमति दे दी थी कि प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष उपस्थापित्पत्रों को वे प्रैस तथा जनता में परिचालित कर सकते हैं और उन्हें सदस्यों को भी परिचालित कर सकते हैं । इन प्रतिवेदनों को सभा रम्भ होने पर पहिले सप्ताह ही सदस्यों को परिचालित कर दिया जाये । माननीय सदस्यों का सुझाव है कि यदि उन्हें ये प्रतिवेदन पहिले प्राप्त हो जाते तो वे इस पर हिले ही चर्चा कर सकते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†सरदार स्वर्ण सिंह : निसंदेह यदि माननीय सदस्यों की यह इच्छा है तो निदेशक बार्ड द्वारा प्रतिवेदन मंजूर होते ही उसकी प्रतिलिपि सदस्यों को दी जा सकती है। यदि सदस्य चाहें तो ये प्रतिवेदन, सरकार द्वारा समीक्षा प्रस्तुत होने के पूर्व ही पटल पर रखे जा सकते हैं।

१९५९–६० के लिये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर के प्रमाणीकृत लेख तथा उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायन् कबिर): मैं सभा पटल पर निम्न पत्र रखता हूं :

(२) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था (खड़गपुर) अधिनियम, १९५६ की धारा २३ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत वर्ष १९५९–६० के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर के प्रमाणीकृत लेखे की एक प्रति उस पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिय संख्या एल० टी० ३३९६/६१]।

निर्वाचकों के पंजीयन नियम, १९६० में संशोधन

†विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० की धारा २८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निर्वाचकों का पंजीयन नियम १९६० में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २४ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २७९१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३३९७/६१]।

†श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : ये नियम सत्र की बिल्कुल समाप्ति पर सभा पटल पर रखे जा रहे हैं। यदि हम इन में संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो हमें उसका अवसर नहीं है।

†विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : ये नियम सभी पक्षों के परामर्श से बनाये गये हैं। यदि उस समय अन्य राजनैतिक दलों की ओर से चुनाव आयुक्त को कोई सुझाव दिया जाता तो वे अवश्य उस पर विचार करते।

†अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य उचित समझें तो वे इन नियमों पर अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं। हम उन पर चर्चा करेंगे।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : यह कहना सही नहीं है कि हम ने इसके संशोधन का सुझाव नहीं दिया था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा बुलाई गई बैठक में मैंने अपने दल की ओर से, ये सुझाव रखे थे पर मुख्य आयुक्त ने वे स्वीकार नहीं किये थे।

†श्री अ० कु० सेन : यही मैं कह रहा था। माननीय सदस्य अभी भी संशोधन रख सकते हैं। पर नियमों के अध्ययन के लिये चौदह दिन का समय रखना आवश्यक नहीं है।

†श्री ब्रजराज सिंह : इनको पहले सभा-पटल पर रखने में क्या कठिनाई थी ?

†अध्यक्ष महोदय : जो भी हो, अभी भी समय है। संशोधन दिये जा सकते हैं।

†श्री नौशेर भरूचा (पूर्व खानदेश) : इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : अब तो और कोई चारा ही नहीं । माननीय सदस्य या तो संशोधन रखें या फिर नियमों को प्रवर्तित होने दें ।

'फिल्म फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड' का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके काम की सरकार द्वारा समीक्षा

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत २५ मार्च, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ तक की अवधि के लिये फिल्म 'फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड', बम्बई का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) सरकार द्वारा उपरोक्त निगम के कार्य की समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० ३३९८/६१] ।

तारांकित प्रश्न संख्या १४७ के उत्तर में शुद्धि

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : मैं ने २३ नवम्बर, १९६१ को तारांकित प्रश्न संख्या १४७ के उत्तर में जो एक विवरण सभा-पटल पर रखा था, उसमें कहा गया था कि :—

> "उपलब्ध सूचना के अनुसार, उड़ीसा में बाढ़ के दौरान विमानों से गिराये गये खाद्य-पैकिटों की चोट से किसी भी व्यक्ति की मत्यु नहीं हुई है । इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और उनके उत्तर की राह देखी जा रही है ।"

उपरोक्त उत्तर प्रतिरक्षा मंत्रालय को उपलब्ध २३ नवम्बर, १९६१ तक की सूचना के आधार पर दिया गया था ।

अब उड़ीसा सरकार ने हमें २९-११-१९६१ को सूचित किया है कि विमानों से गिराये गये खाद्य-पैकिटों के गिरने से कटक जिले में आठ व्यक्तियों की मत्यु हुई ।

†**श्री चिंता मणि पाणिग्रही** (पुरी) :सरकार को सूचना प्राप्त करने के लिये पर्याप्त समय मिला था । वह प्रश्न १२ नवम्बर को दिया गया था । तब उत्तर दिया गया था कि एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई ।

†**सरदार मजीठिया** : उस समय तक हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी । उड़ीसा सरकार का उत्तर २९ नवम्बर, १९६१ को ही आया था । इसलिये मैं सभा को इससे पहले सूचना नहीं दे सका ।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : यह विवरण सभा-पटल पर रखे जाने के पांच दिन के बाद, सिंचाई और विद्युत् मंत्री ने एक विवरण में बताया था कि आठ व्यक्तियों की मत्यु हुई है । समझ में नहीं आता कि राज्य सरकार ऐसी परस्पर विरोधी सूचनायें क्यों भेजती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पारित

†**अध्यक्ष महोदय** : लेकिन इन मामलों में भारत सरकार राज्य सरकारों के जरिये ही काम कर सकती है ।

ऐसे मामलों में सरकार को प्रश्नों के उत्तरों में यही कहना चाहिये कि सूचना मांगी गई है पर राज्य सरकार का अभी तक उत्तर नहीं आया है । अब हम विधान कार्य हाथ में लेंगे ।

सरकारी उपक्रमों सम्बंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव के सम्बंध में

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : विधान-कार्य शुरू होने से पहले मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । सभा में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी संयुक्त समिति की स्थापना के बारे में एक प्रस्ताव किया गया था । पर इस सप्ताह की कार्यावलि में उसे सम्मिलित क्यों नहीं किया गया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उस पर चर्चा भी हुई थी और कुछ सुझाव भी दिये गये थे । विधि मंत्री इस बात पर सहमत हो गये थे कि उन सुझावों की रोशनी में एक ऐसा प्रारूप सभा के सामने रखा जाये, जिस पर सभी सदस्य सहमत हो सकें । चालू सत्र कुछ ही दिन और चलेगा, इसलिये संयुक्त समिति की नियुक्ति से कोई लाभ नहीं होगा । अब उसे नयी संसद् में ही पेश किया जायेगा ।

यदि तब तक वह व्यपगत हो जायेगा, तो उसे नयी संसद् में पुरःस्थापित कर दिया जायेगा ।

विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक १९६१

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में रेलवे सम्बन्धी व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में रेलवे सम्बन्धी व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

चीन द्वारा अतिक्रमण के बारे में चर्चा

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय प्रधान मंत्री अब हाल में चीन द्वारा किये गये अतिक्रमण संबंधी चर्चा का उत्तर देंगे ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : आपकी इच्छानुसार, हमने केन्द्रीय हॉल में इस क्षेत्र का एक मानचित्र रखवा दिया है । साथ में, हाल में चीन द्वारा भेजे गये पत्र की एक प्रति भी है । चीन सरकार ने हमारे ३१ अक्टूबर, १९६१ के विरोध-पत्र के उत्तर में वह पत्र भेजा है । उस पर पेकिंग की तिथि ३० नवम्बर पड़ी है, उसके दो-तीन दिन बाद वह हमें मिला । अभी तीन दिन पहले हमें मिला है ।

मैं उसे भी सभा-पटल पर रख रहा हूं । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४४-क]** ।

मैं आपको उस पत्र का सार बताता हूं । सार यह है कि उन्होंने हमेशा की तरह हमारे द्वारा लगाये गये विभिन्न आरोपों से इन्कार किया है, उन्होंने कहा है कि १९५६ के चीनी मानचित्र में जो रेखा थी, करीब-करीब वही १९६० के मानचित्र में थी, और दोनों में बहुत ही मामूली अन्तर था । बात बिल्कुल ग़लत है । आप खुद उस अन्तर को देख सकते हैं ।

चीन सरकार ने इस बात से इन्कार किया है कि डम्बूगुरू में उनकी एक चौकी थी । मुझे पक्का मालूम है कि वहां उनकी एक चौकी थी । लगता यह है कि उन्होंने डैमचोक की तरह, अब डम्बूगुरू चौकी से भी अपनी सेनायें लौटा ली हैं । शेष चौकियों के बारे में उन्होंने कहा है कि उन पर तो उनका अधिकार सदा से, या लम्बे अर्से से रहा है ।

फिर उन्होंने शिकायत की है कि भारत सरकार सीमा पर सैनिक कार्यवाही बढ़ा रही है और नई चौकियां बना रही है । बड़ाहोती में सैनिक कार्यवाही का विशेष उल्लेख किया गया है । विमानों द्वारा भारतीय सीमा के अतिक्रमण के आरोप के उत्तर में उन्होंने उल्टी शिकायत की है कि भारतीय विमानों ने चीन के तथाकथित वायुक्षेत्रों का अतिक्रमण किया है । चीन सरकार ने कहा है कि चीनी सेनाओं को सख़्त हिदायत दे दी गई है कि वह चीनी क्षेत्र के २० किलोमीटर अन्दर तक ही फौजी ग़श्त करे । फिर इशारा किया गया है कि यदि हमारी सैनिक कार्यवाहियां जारी रहीं, तो उनको मैकमोहन लाइन पर चीनी फौजें भेजनी पड़ेंगी ।

हमने उस क्षेत्र का जो मानचित्र रखा है उसमें दो-तीन रेखायें दिखाई गई हैं । अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है, १९५६ में चीन ने जहां तक दावा किया था वह रेखा है और वह भी जहां तक चीन ने १९६० में दावा किया है । उसमें तीन-चार स्थान दिखाये गये हैं । उसमें दौलतबेग चौकी भी दिखाई गई है । हमने सिर्फ यही चौकी दिखाई है । शेष भारतीय चौकियों को उसमें इसलिये नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में

दिखाया गया है कि वह वांछनीय नहीं था कि अपनी चौकियों की स्थिति दिखाई जाये। मानचित्र में तीन चीनी चौकियां दिखाई गई हैं एक चिप-चैप नदी पर और दो डम्ब्गुरु और न्यागू की चौकियां। चीन की कुछ चौकियां १९५६ की रेखा के उस तरफ भी हैं। दस्तावेजों में उनका उल्लेख है और उनकी स्थिति आसानी से निश्चित की जा सकती है।

मैंने इस चर्चा का स्वागत इसलिये किया है कि माननीय सदस्यों के दिमाग में पूरी तसवीर साफ-साफ बन जाये। चर्चा के दौरान मैंने देखा है कि स्पष्टीकरण की काफी गुंजाइश है। मुझ पर कई आरोप लगाये गये हैं, यह भी कि मैं ने चीजों को गड़बड़ा दिया है और मेरे दिमाग में कई चीजें स्पष्ट नहीं हैं। अपने बारे में कुछ भी कहना जरा मुश्किल मालूम पड़ता है, लेकिन इतना मैंने देखा है कि विरोधी दल के सदस्य अपने विचारों में काफी उलझे हुए हैं। उनके विचारों में कई मसलों पर स्पष्टता नहीं है।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मुझे इस पर आपत्ति है। हमने सरकार से कई बार कहा है कि हमें मानचित्र दिये जायें। पर सरकार ने उसे अनसुना कर दिया है। तब यदि हमारे विचारों में कुछ मसलों के बारे में स्पष्टता नहीं है, तो उसका दोष सरकार पर ही है। हमसे तथ्य छिपाये जाते हैं, और फिर हम पर आरोप लगाया जाता है अस्पष्टता का। यह कहां तक उचित है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह कथन खुद इसका सबूत है कि श्री नौशीर भरुचा जैसे माननीय सदस्य के विचार भी कितने अस्पष्ट और उलझे हुए हैं।

†**श्री नौशीर भरूचा** : सरकार ने हमें मानचित्र नहीं दिये, हमें अंधेरे में रखा और फिर हम पर ऐसा आरोप लगाती है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: मुझे अपनी बात तो पूरी करने दीजिये। उससे पहले ही विरोध करने खड़ा हो जाना, बतलाता है कि वह किसी भी समस्या के प्रति एक संगत दृष्टिकोण नहीं रखते।

मैं श्री नौशीर भरूचा के बारे में व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा था। यह तो खुद उन्होंने ही अपना उल्लेख किया है।

आचार्य कृपालानी सहित दो या तीन अन्य माननीय सदस्यों ने बार-बार कहा था कि मेरे विचारों में स्पष्टता नहीं है। मैं अपनी काबलियत के बारे में खुद क्या कह सकता हूं। उसका निर्णय तो सभा को ही करना चाहिये। पर श्री नौशीर भरूचा ने जो यह आरोप दोहराया है कि मैं तथ्यों को छिपा रहा हूं, वह इतना बेबुनियाद है कि मुझे ताज्जुब होगा यदि उस आरोप को लगाने वाले के विचार उलझे हुए न हों।

उस आरोप में केवल इतना सार है कि चीनियों ने अक्साई चिन सड़क का सब से पहले निर्माण शुरू किया था, जब हमने उसके बारे में पहले-पहल सुना था तब हमें बिल्कुल ठीक-ठीक सूचना नहीं थी। इसलिये हमने उसकी जांच कराई थी। जांच के लिये जो लोग भेजे गये थे उनमें से कुछ गिरफ्तार भी कर लिये गये थे और भी कई घटनायें हुई थीं। तब हमने उसके बारे में अपना विरोध-पत्र भेजा था। उस समय मैंने तुरंत ही सभा के सामने वे तथ्य नहीं रखे थे। हो सकता है कि वह मेरी ग़लती हो। परन्तु हुआ यही था कि हम मामले की जांच करा रहे थे और जानना चाहते थे कि चीन सरकार उसके बारे में क्या कहती है।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : यह तो बहाना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गोरे** (पूना) : कारण यह नहीं था । आपने अपने श्वेत पत्र में स्वयं कहा था कि आप उस समय नहीं चाहते थे कि उसको लेकर कुछ गरमागरमी हो ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ठीक है । हम पहले यह जान लेना चाहते थे कि चीन सरकार उसके बारे में क्या कहती है ।

उस एक घटना के अतिरिक्त, हम अन्य सभी के बारे में सभा को हर छोटी से छोटी बात तक उसी समय बता दी है । कल मैंने सभा-पटल पर श्वेत पत्र संख्या ५ रखा था, और अन्य चार श्वेतपत्र भी रखे जा चुके हैं, जिनमें हर दस्तावेज और सभी काग़जात मौजूद हैं । उसमें हर संगत पत्र और दस्तावेज मौजूद हैं ।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि मैं अभी भी २० नवम्बर को सभा से कुछ तथ्य छिपाये थे । मुझ में और कई कमियां तो हो सकती हैं, पर मैं इतना घोर मूर्ख तो नहीं हू कि २० को मैं कोई ऐसा तथ्य छिपाऊं जिसका २७ नवम्बर को ही भंडा फोड़ हो जाये । मैं जब सभा-पटल पर सारे पत्र रखने जा ही रहा था, तब मुझ पर किसी तथ्य पर पर्दा डालने का आरोप कैसे लगाया जा सकता है ? जब मैं पूरे तथ्य पटल पर रखने वाला था, तो मैं किसी तथ्य पर पर्दा क्यों डालूंगा ? सच तो यह है कि इन नये अतिक्रमणों के बारे में हमने जब ३१ अक्टूबर को विरोध-पत्र भेजा था, तो मैंने अमरीका जाने से पहले उनको सभा-पटल पर रखना जरूरी समझा । इसीलिये हमने यह श्वेतपत्र संख्या ५ तैयार कराने का निर्णय किया था । उसकी तैयारी में कुछ समय तो लगता ही है । मैं २० नवम्बर को दोपहर में अमरीकी से लौटा । उसके घंटे-डेढ़ घंटे बाद ही मुझे सभा में आना पड़ा । मैं उसी दिन श्वेत पत्र के साथ ही एक वक्तव्य देना चाहता था । परन्तु सभा में वह मामला एक स्थगन-प्रस्ताव के जरिये उठाया गया । इसलिये मैंने श्वेत पत्र रखना और अपना वक्तव्य देना चार-पांच दिन के लिये स्थगित कर दिया था । हम पूरी जानकारी इस छपी हुई पुस्तिका में जुटा ही रहे थे, इसलिये किसी तथ्य को छिपाने का आरोप बेबुनियाद सा लगता है ।

इस श्वेत पत्र में यह उल्लेख है कि हमने एक चीनी गश्ती टुकड़ी को कहां देखा था और मंत्रालय ने उसके बारे में चीन सरकार को लिखा है । अब सभा स्वयं अपना निर्णय कर सकती है । हम प्रत्येक छोटी-छोटी घटना को सभा के सामने कैसे ला सकते हैं । घटनायें होती हैं । हम उनके बारे में चीन सरकार को लिखते हैं । और श्वेत पत्र में सारी सामग्री को एक सिलसिले से पेश करते हैं । यदि हम चीन सरकार को भेजें जाने वाले प्रत्येक पत्र को सभा के सामने तुरंत रख दें, तो उससे गड़बड़ी ही ज्यादा होगी ।

इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि इस मामले के बारे में बड़ी ग़लतफहमीयां और आशंकायें फैली हुई हैं । हम सभा को हर घटना के बारे में बताते रहे हैं, और भविष्य में भी करते रहेंगे, क्योंकि जैसा श्री अशोक मेहता ने कहा है, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला है । इसे तो सभी महसूस करते हैं । सभा को याद होगा कि इस मसले पर बोलते समय मैंने स्वमं इस पर बड़ा जोर दिया था कि यह भारत के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण है । मैंने यह भी कहा था कि यह मामला काफी लम्बा खिंच सकता है, कई पीढ़ियो तक चल सकता है । हमारी सीमाओं पर जो होता है उसका एक ऐतिहासिक महत्व होता है । इसलिये कोई भी मुझ पर यह आरोप नहीं लगा सकता कि मैंने इसको उचित महत्व नहीं दिया है ।

†**श्री रंगा** : मुझे यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : आचार्य कृपालानी और स्वतंत्र पार्टी के लोग शायद मेरी पूरी बात सुनने पर उससे सहमत हों, लेकिन मुझे शक है ।

मुश्किल यह है कि यह मामला इतना महत्वपूर्ण होने पर भी आचार्य जी ने इसे ठीक से समझा नहीं है ।

इसलिये मेरा अनुरोध है कि सभा मेरा यह कथन स्वीकार करे कि हम इसे समुचित महत्व दे रहे हैं । इसे सर्वाधिक महत्व दे रहे हैं । स्पष्ट ही यह राष्ट्रीय महत्व का मामला है ।

विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने एक बड़ी विचित्र बात कही थी कि दिल्ली के एक दैनिक समाचारपत्र ने खबर छापी है कि हमने आगामी चुनावों के कारण वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक की बात को गुप्त रखने का निर्णय किया है । मैंने तो ऐसी कोई खबर नहीं देखी । और यदि किसी पत्र ने छापी भी हो, तो उस पत्र की तारीफ तो नहीं ही की जा सकती । इस से पता चलता है कि वह पत्र कैसा होगा । मैंने मंत्रालय से पूछ लिया है । ऐसी कोई बैठक नहीं हुई । जब सारी जानकारी सभा के सामने रखनी ही थी, तो किसी बात को छिपाकर रखने का मतलब क्या होता है ? पूरी खबर एक मखौल है । हम इतनी बड़ी मूर्खता क्यों करेंगे ? लेकिन यहां इस मामले में जो गरमा-गरमी दिखाई जा रही है उसका एक कारण,—मैं कुछ हिचक के साथ बिना किसी विशेष अर्थ के कहूं—शायद आगामी चुनाव ही है । शायद ही । हो सकता है कि न भी हो ।

श्री ब्रजराज सिंह ने कहा है कि इस मसले पर सरकार को त्याग-पत्र देकर मतदाताओं का निर्णय लेने जाना चाहिये । मुझे उनकी बात जंची नहीं, शायद ही कभी जंचती हो । वह जानते हैं कि यह सरकार कुछ ही महीनों और रहेगी । चुनाव होने जा रहे हैं और जनता अपने प्रतिनिधि चुनेगी । जनता अपना निर्णय स्वयं करेगी और हम पूरी ईमानदारी से उसका निर्णय शिरोधार्य करेंगे । एक तरह से हम सभी भारत की जनता का कम-ज्यादा प्रतिनिधित्व करते हैं । श्री ब्रजराज सिंह की बात सुन कर मुझे बचपन में सुनी एक कहानी याद आ गई । टूले स्ट्रीट के तीन दर्जियों ने एक घोषणापत्र जारी किया, जिसमें कहा गया था कि "हम इंगलैण्ड के अवाम—इंगलैण्ड की जनता ....." ! इसी तरह श्री ब्रजराज सिंह अपने आपको ही भारतीय जनता के प्रतिनिधि मानते हैं ।

यह बड़ा गम्भीर मामला है और हम पूरी संजीदगी से इसके बारे में कदम उठाना चाहते हैं । बुनियादी तौर पर मसला क्या है ? यही कि हमारे क्षेत्र पर आक्रमण हुआ है, और उसी के सिलसिले में और घटनाएं हो रही हैं । और हमारा उसके बारे में उद्देश्य क्या है ? हमारा उद्देश्य सिर्फ यही हो सकता है कि आक्रमणकारियों को पीछे ढकेल दिया जाये । कैसे ? कई साधनों से । यदि राजनयिक ढंग से नहीं हो पाता, तो अन्त में युद्ध के जरिये । हमारी यही नीति है कि आक्रमणकारियों को पीछे ढकेला जाये । हम उसके लिये हर तरीका इस्तेमाल करेंगे, शान्तिपूर्वक तरीके भी । हो सकता है कि शान्तिपूर्ण तरीके कामयाब न हों । फिर भी उनको इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि यह हमारी नीति है, घरेलू और वैदेशिक क्षेत्रों दोनों में, और दूसरे यह कि शान्तिपूर्ण साधनों के आधार पर ही वह भूमिका बनती है कि हम कोई दूसरा कदम उठायें ।

मुझे फिर श्री ब्रजराज सिंह का जिक्र करना पड़ रहा है । मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस मामले में हमारे विचार कतई नहीं मिलते । इसलिये कि वह चाहते हैं कि हम मैकमोहन लाइन के उस पार ७० मील तक कब्जा करके ब्रह्मपुत्र और मानसरोवर तक पहुंच जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : मैंने 'कब्जा' नहीं कहा। मैंने तो यह कहा था कि यदि हम तिब्बत को स्वतंत्रता नहीं दिला पाते, तो हमें घोषित कर देना चाहिये कि भारतीय सीमा ब्रह्मपुत्र के उद्गम से शुरू होती है।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : यदि मैंने उनकी बात ठीक से पेश नहीं की, तो मुझे खेद है। फिर भी हम ब्रह्मपुत्र को अपनी सीमा घोषित करने के लिये तैयार नहीं हैं। हम उसका दावा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से वह सही नहीं है। हम जो भी दावा करते हैं, वह अधिकारियों की पुस्तक में बताये गये कारणों से सर्वथा उचित ठहरती है।

एक और भी कारण है। यह कि हिमालय हमारे राज्य-क्षेत्र का एक भाग ही नहीं है, वह हमारे दिल और दिमाग का भाग है। उस पर कोई आंच आने का मतलब है हमारे दिल और दिमाग को गहरी चोट पहुंचना। हिमालय हजारों वर्ष से हमारे पूर्वजों की विचारधारा का अंग रहा है; वह हमारी सांस्कृतिक परम्पराओं के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। हमारा साहित्य, हमारी पौराणिक कथायें उससे गुंथी हुई हैं। इसलिये वह हमारे व्यक्तित्व का अभिन्न, अत्यावश्यक अंग है, जो एक राज्य क्षेत्र से कहीं अधिक गूढ़ और गहरा महत्व रखता है।

मैंने यही कहा था कि यह एक पहाड़ी वीरान क्षेत्र है और बहुत थोड़े से ही लोग वहां रहते हैं, वहां पेड़ पौधे भी नहीं हैं। शायद आचार्य कृपालानी ने मेरी इस बात का मतलब यह लगाया कि मैं इस क्षेत्र की कोई महत्व नहीं देना चाहता। अगर वह ऐसा सोचते हैं तो उनकी भूल है। इस क्षेत्र को बहुत बड़ा महत्व है और विशेष रूप से इसकी अहमियत उन वजूहात के कारण और भी बहुत अधिक है जिनका जिक्र मैं ऊपर कर चुका हूं। यह इलाका विश्व में बहुत ही अजीबोगरीब है। अब सवाल यह उठता है कि इस इलाके को किस प्रकार खाली कराया जाये। हमारा उसूल तो इसे शान्तिपूर्वक तरीकों से खाली कराने का है। अगर दबाव डाल कर खाली कराया गया तो इसका अभिप्राय युद्ध होगा। लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि कहीं भी लड़ाई छिड़े।

†आचार्य कृपालानी (सीतामढ़ी) : कांगो को छोड़ कर।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : कांगो का तो मामला ही दूसरा था। वहां तो हम संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ कर्तव्यबद्ध थे। वहां हमारे कुछ उत्तरदायित्व थे।

हमारा ध्येय यह है कि लड़ाई किसी तरह भी टल जाये लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम किसी बुराई के आगे झुकना चाहते हैं। हमने भी अपनी प्रतिरक्षा की तैयारी की हैं। प्रतिरक्षा के अन्तर्गत आक्रान्ता के विरुद्ध कार्यवाही भी करना है। हमारे आक्रान्ता बनने का अभिप्राय यह है कि हम अपनी अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर दूसरे देशों पर आक्रमण करें। अपनी सीमा के भीतर हम जो भी कार्यवाही करते हैं वह हम अपनी प्रतिरक्षा के लिए कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कोई यह नहीं कह सकता कि हम लड़ाई को रोक सकते हैं। जहां तक सैनिक बल के प्रयोग की बात है, कोई भी देश इसका प्रयोग तब तक नहीं कर सकता जब तक वह अपने आप को पूर्णतः शक्तिशाली नहीं समझता। जब तक कोई देश दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा तब तक वह यह नहीं समझता कि उसकी विजय होगी। ऐसी हालत में जब वह समझता है कि कहीं पर मेरा हमला मेरी मुसीबत का ही कारण न बन जाये तो वह हमला नहीं करता। लेकिन ऐसी हालत में मामला कुछ दूसरा ही होता है जब कि एक देश को तुरन्त ही कुछ न कुछ करना पड़ता है और सिवाय आक्रमण करने के उसके सामने कोई दूसरा चारा नहीं रहता। अतः हमने यही नीति अपनाई है। फिर भी हम यह चाहते हैं कि वे लोग शान्तिपूर्वक यहां से चले जायें। हम कह नहीं सकते कि हमें इस काम में

†मूल अंग्रेजी में

कितनी सफलता मिलेगी। हो सकता है कि वह खाली न भी करे। इसलिये हम दूसरे उपाय भी कर रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्य यह कहेंगे कि हम चीनियों को कुछ जानकारी दे रहे हैं जिससे उनकी शक्ति दृढ़ हो जायेगी। लेकिन असलियत तो यह है कि अब हम भौतिक स्थिति का अवलोकन कर रहे हैं जिसकी उपेक्षा इस पिछले १०० या अधिक वर्षों से कर रहे थे। प्रशासकीय, सैनिक दृष्टि से हम आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। हम आगे बढ़ भी रहे हैं। यह एक वीरान इलाका है और पिछले १०० वर्षों से उपेक्षित रहना भी इसकी यह स्थिति बनाने में सफल हुआ है। लेकिन गत दस वर्षों से हमने काफी प्रभावी काम किया है। और इसमें हमें सफलता भी मिली है। मैं यह मानता हूं कि कुछ भागों में आक्रान्ताओं को रोकने के लिये हमने बहुत कुछ अधिक नहीं किया। इसके पीछे एक सचाई भी है और वह सचाई यह है कि हम चीनियों से ऐसी आशा नहीं करते थे। हालांकि हम यह जानते थे कि हमारे सीमान्त क्षेत्रों की स्थिति में यह परिवर्तन हमारे लिये खतरनाक हो सकता है। इस बात को मद्दे नजर रखते हुए हमने कुछ कार्यवाही की। हमें यह उम्मीद नहीं थी कि लद्दाख में भी ऐसा हो सकता है। तिब्बत में कुछ परिवर्तन होने के कारण ही यह सब कुछ हुआ। फिर भी हम कुछ कार्यवाही कर रहे हैं कुछ माननीय सदस्यों का सुझाव है कि हम लड़ाई में कूद पड़ें। मैं तो कहूंगा कि यह सुझाव और कुछ नहीं कोरी उत्तेजना है। भला बिना तैयारी के हम किस प्रकार यह कदम उठा सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमें तिब्बत नहीं छोड़ना चाहिये था। उनका अभिप्राय तो ऐसा है मानो तिब्बत हमारी सम्पत्ति रही हो। इस समस्या के दो पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि जो हमने अपनाई है और दूसरा पहलू यह है कि हमने तिब्बत छोड़ा। मैं यह बता देना चाहता हूं कि तिब्बत में हमारी कोई बड़ी सेना थी कुछ सिपाही ही वहां थे जो सीमा लाइन की सुरक्षा कर रहे थे। वे वहां रुक नहीं सकते थे। उनके लिये वहां रुकना नामुमकिन था। कुछ ऐतिहासिक एवं राजनैतिक कारणों से हमें यह पग उठाना जरूरी था।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह आपत्ति प्रकट की है कि चीनियों के वहां आने में हमने कोई रुकावट नहीं डाली। लेकिन मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि हमने जो कुछ किया वही ठीक था। श्री अशोक मेहता ने कहा है कि रोकथाम करने वाली चौकियों को मैंने सैनिक चौकियां कहा है। वैसे तो इसमें कोई अन्तर नहीं है मेरे विचार से उन्हें सैनिक चौकियां कहना ही अधिक उपयुक्त है। इसलिये ही मैंने उन्हें सैनिक चौकियां कहा था। उन्होंने यह भी कहा है कि इन शब्दों का प्रयोग मैंने पहले क्यों नहीं किया सीधी सादी बात है आज यह विषय महत्व का बन गया है। अतः आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि वहां घटनाएं निरन्तर हो रही हैं और हम टालमटोल कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि हमें वहां कुछ न कुछ करना है। मेरा उनसे निवेदन है कि वह हमें बताएं कि हमें क्या करना है। मैं उनका आभारी हूंगा। और हम वही करेंगे।

हमने जो कुछ सम्भव है किया है परन्तु हमने शोर नहीं किया। सब को यह बात स्पष्ट तौर पर समझ लेनी चाहिए कि नम्रता कोई कमजोरी नहीं होती। हमने गत ४० और ५० वर्षों में गांधी जी से यही बात सीखी है कि अपनी बात पर डटे रहो और किसी का अमित्र बनने का प्रयत्न मत करो। चीन समेत सभी देश हमारे मित्र हैं परन्तु चीन ने कुछ गलत बात की तो निश्चय ही हम उससे लड़ेंगे। मेरी तो यह आदत है कि मैं अनावश्यक और भड़काने वाली बातें बहुत ही कम करता हूं। मेरा तो यह ढंग है कि दूसरे पक्ष को यह अनुभव कराया जाये कि उसकी बात गलत है। संसार की दृष्टि में भी उसे गलत सिद्ध किया जाये और इस प्रकार उस पर नैतिक विजय प्राप्त की जाय।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

श्री अशोक मेहता ने पंचशील की बात कही है। वह कहते हैं कि पंचशील का सिद्धान्त ठीक है परन्तु उसे चीन पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। मेरा विचार यह है कि पंचशील ही एक ऐसा सिद्धान्त है जिसके आधार पर किसी सभ्य समाज का निर्माण हो सकता है। यदि यह न हो तो दूसरा रास्ता तो युद्ध का रास्ता है। वह रास्ता तो श्री अशोक मेहता स्वयं भी अपनाना नहीं चाहते। वह यह भी नहीं चाहते कि चीन के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध तोड़े जायें। तो फिर क्या किया जाये। ठीक है चीन अपने वचन से फिर गया है। हमारे बीच इसी दिशा में कड़े नोटों का विनिमय भी किया है। अब प्रश्न है कि जब हम तैयारियां कर रहे हैं तो इस मामले में हमें सैनिक अधिकारियों और इस विषय के विशेषज्ञों से परामर्श करके काम करना होगा। विमान सेवा तथा प्रतिरक्षा सेवा के जो लोग हैं उनकी राय भी लेनी होगी। व्यापक नीति का निर्माण तो हमने करना है परन्तु आखिर कहा तो उनका ही माना जाना है। हम तैयारी कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में लगभग २००० मील की सड़कें तैयार हुई हैं। जरा सोचिये कितना बड़ा काम है जो कि हो गया है। और यह सब सैनिक विशेषज्ञों की सलाह से ही हुआ।

बिना सोचे समझे कोई कार्यवाही करना तो मूर्खता होगी अतः सैनिक परामर्श के बिना कोई कार्य करना देश और राष्ट्र के हितों के विरुद्ध होगा। अतः मेरा निवेदन यह है कि व्यापक दृष्टि से यह मामला सामरिक महत्व का हो जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि पंचवर्षीय योजना के सारे साधन इस ओर लगाये जाने चाहियें। यह भी बड़ी विचित्र बात है। यदि हम अपने सब इंजीनियर अथवा अन्य लोगों को लद्दाख वगैरा भेज दें तो क्या बनने वाला है। चीन का मामला बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और हमें यह समझ लेना चाहिये कि यदि विश्व में अगले कुछ वर्षों में कोई और घटनायें न घटीं तो यह विवादस्थल विश्व का प्रमुख विवाद स्थल बन जायेगा। मेरा कहना है कि हमें आज के लिये ही नहीं वरन् आने वाले वर्षों के लिये भी अपने आप तैयार करना है। बिना तैयारी के हम इस दिशा में कुछ भी नहीं कर सकेंगे।

मैं श्री कृपालानी की बात की ओर आता हूं। कहा गया है कि हम ने अपने आदमियों को आदेश दे रखा है कि जब तक उन की ओर गोली इत्यादि न चलाई जाय आप गोली न चलायें। मैं इस का प्रतिवाद करता हूं। ऐसा कहना गलत है। हम ने ऐसा कोई आदेश अपने सैनिकों को नहीं दिया है। खोज करने वालों अथवा सूचना लाने वालों के सम्बन्ध में मामला कुछ और है। वे तो छोटे छोटे दल हैं जिन्हें सूचना प्राप्त करने के लिये भेजा जाता है। अतः हमें इस बारे में बात करते हुए ये सब बातें भूल नहीं जानी चाहियें।

भारत के सम्बन्ध में अपने आस पास के पड़ौसी देशों से बहुत अच्छे हैं। बर्मा, नेपाल, मलाया, सभी हमारे मित्र हैं। नेपाल में बहुत कुछ हुआ। कई बातें हमें बिल्कुल पसन्द नहीं परन्तु हम ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। और अब भी हम बराबर उन की सहायता कर रहे हैं। कई लोगों ने आज के नेपाल की राज्य व्यवस्था पसन्द नहीं की, परन्तु हम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम इस स्थिति में नहीं हैं कि उन्हें कुछ आदेश दे सकें। मलाया के साथ भी हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं। मलाया नरेश और प्रधान मंत्री शीघ्र ही भारत आ रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ एक विद्यार्थियों ने सिंगापुर, मलाया अथवा रंगून में कहा, उसे श्री अशोक मेहता को अधिक महत्व नहीं देना चाहिये।

इस के पश्चात् प्रतिरक्षा मंत्री के वक्तव्यों की बात आती है। जब वह अमरीका से भारत आ रहे थे तो न्यूयार्क पत्तन पर कुछ पत्रकारों ने उन से कुछ बातें पूछ लीं। कुछ बातें अखबारों में छप गयीं। मैं ने भी इस बारे में २० नवम्बर को एक वक्तव्य दिया। वह भी बड़े बड़े शीर्षकों से अखबारों में प्रकाशित हुआ। उन्हों ने इतना ही कहा था कि उन्हें ताजा घटनाओं की अधिक जानकारी नहीं है। मेरा निवेदन है कि इसे बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिये। मैं यह बात भी

स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चीन के राष्ट्रसंघ में प्रविष्ट किये जाने के सवाल का इस देश से हमारे संघर्ष से कोई सम्बन्ध नहीं है। पिछले वर्ष हम ने स्वयं ही उस प्रश्न को वहां नहीं उठाया था, परन्तु हम ने इस का समर्थन अवश्य किया था इस बार भी हमारी इस दिशा में यही नीति रहेगी।

यह कहना भी गलत है कि चीन यह समझेगा कि हम उस से डर गये हैं। हमें संसार में उभर रहे हालात का ध्यान रखना होगा। सरकार को इस बात की पूरी आशा है कि वह समूचे विश्व की किसी बड़ी लड़ाई में ग्रस्त किये बिना ही दबाव इत्यादि के द्वारा अपने क्षेत्रों को वापिस लेने में सफल हो जायेगी। यद्यपि हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमें आशा नहीं थी कि चीन की सरकार इस प्रकार का व्यवहार करेगी। आप कह सकते हैं कि यह मेरी भूल थी। परन्तु अब मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि मैकमहोन रेखा का कोई उल्लंघन किया गया तो उस का प्रतिकार किया जायेगा और अवैध प्रवेश करने वालों को पूरी ताकत से पीछे हटा दिया जायेगा। मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि चीनियों ने सुझाव दिया है कि चूंकि उस के साथ की गयी वर्तमान संधि की अवधि जून के महीने में समाप्त होने जा रही है, इसलिये हम एक नई सन्धि की शर्तों पर चर्चा करें। इस बात पर बड़ी गम्भीरता से सविस्तार विचार किया जायेगा और चीन को उचित उत्तर भेज दिया जायेगा। हमारी विदेशी मामलों की उपसमिति इस पर विचार करेगी, परन्तु इस पर भी कुछ बातों का तो ध्यान रखा ही जायेगा।

संविधान (ग्यारहवा संशोधन विधेयक

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।

इस दिशा में मेरा निवेदन है कि संविधान के अनुच्छेद ६६ के खंड १ में कहा गया है कि उप-राष्ट्रपति के चुनाव के प्रयोजन के लिये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जायेगी। यदि यह चुनाव संयुक्त बैठक के द्वारा कराया जाय तो उस में कई कठिनाइयां सामने आती हैं। एक तो ऐसी कार्य-वाही का संचालन। दूसरी कठिनाई यह है कि चुनाव बहुत ही औपचारिक ढंग से करना होगा। संविधान का उद्देश्य दोनों सदनों का एक निर्वाचकगण बनाना प्रतीत होता है। हम इस बात को एक मौखिक संशोधन द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं।

दूसरा उपबन्ध राष्ट्रपति के चुनाव के सम्बन्ध में है। यह अच्छी तरह ज्ञात है कि कुछ क्षेत्रों में चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव के पहले नहीं हो सकते। चूंकि इन क्षेत्रों में, विशेषकर बर्फ़ से ढके हुए क्षेत्रों में, चुनाव मई से पहले नहीं हो सकते, इसलिये राष्ट्रपति का चुनाव इन क्षेत्रों में चुनाव से पहले हो जायेगा।

डा० खेर के मामले में यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या इस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव वैध होगा। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने इस पर कोई राय नहीं दी थी, तथापि यह बहुत महत्वपूर्ण है और राष्ट्रपति ने स्वयं यह सुझाव दिया था कि इसे संविधान के संशोधन द्वारा स्पष्ट कर देना चाहिये, ताकि सभी रिक्तियां न भरी जाने की अवस्था में भी राष्ट्रपति का चुनाव वैध माना जाये।

अब कुछ सदस्यों के मन में विशेषकर श्री नरसिंहन् के मन में शंका है कि राष्ट्रपति बहुत कम सदस्यो के चुनाव के बावजूद भी चुन लिया जायेगा। यह सिद्धान्त रूप से बिल्कुल संभव है। परन्तु वास्तव में मुख्य निर्वाचन आयुक्त अधिकतर रिक्तियों के भरे जाने के बिना राष्ट्रपति का

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

चुनाव नहीं करवायेगा। माननीय सदस्य ने एक संशोधन दिया है कि रिक्तियों की संख्या २ प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये जिन का अर्थ संसद् के १० स्थान होगा। सरकार इस पर विचार करने के लिये तयार है और यह व्यवस्था स्वीकार करने के लिये तैयार है कि रिक्तियों की संख्या ५ प्रतिशत से अधिक न हो। किन्तु यदि वि ोधी पक्ष को, ऐसी कोई शंका न हो, तो विधेयक पर आगे विचार किया जाये। जहां तक बहुमत का सम्बन्ध है, सदस्य वर्तमान व्यवस्था से सन्तुष्ट हैं।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : किसी प्रतिशतता को निर्धारित करने का प्रश्न नहीं है। शर्त केवल यह है कि सदन में पूर्ति संख्या रहे।

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं उस संशोधन को स्वीकार करने के लिये तैयार हूं जिस में रिक्तियों की संख्या ५ प्रतिशत रखी गई है।

यह कोई विवादास्पद विधेयक नहीं है और मैं सदन से निवेदन करूंगा कि वह इसे बिना आपत्ति उठाये पारित कर दे।

†**अध्यक्ष महोदय** : अध्यक्ष के चुनाव के सम्बन्ध में मुझे एक कठिनाई प्रतीत होती है, अध्यक्ष चुने जाने के लिये किसी व्यक्ति का लोक-सभा का सदस्य होना आवश्यक है। चूंकि हिमाचल प्रदेश में चुनाव नहीं हुए होंगे, इसलिये वहां के लोग अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति उन का कार्य करने के लिये कोई व्यक्ति नियुक्त कर सकता है, किन्तु कितने समय के लिये ?

†**श्री अ० कु० सेन** : अनुच्छेद ९३ और ९५ के अनुसार कोई कठिनाई नहीं है। यदि सदन की इच्छा यह हो कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव समाप्त हो जाने तक अध्यक्ष का चुनाव उठा रखा जाये, तो वह ऐसा कर सकता है। यदि नहीं तो वह चुनाव कर सकता है।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : औचित्य प्रश्न के हेतु। इस विधेयक में उच्चतम न्यायालय की शक्तियों को कम करने का प्रयत्न किया गया है, जोकि अनुच्छेद ७१(१) के प्रतिकूल है।

दूसरा प्रश्न उपराष्ट्रपात के चुनाव के सम्बन्ध में है। संयुक्त बैठक को एक निर्वाचक-गण समझ लिया जायेगा और अध्यक्ष का चुनाव किये बिना उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जायेगा, जोकि संविधान के उपबन्धों के प्रतिकूल है।

†**अध्यक्ष महोदय** : चूंकि हम स्वयं संविधान का संशोधन कर रहे हैं, इसलिये इस में औचित्य-प्रश्न नहीं उठता।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री बलराज मधोक** (नई दिल्ली) : यह विधेयक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के सम्बन्ध में है।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुये)]

संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस विधेयक के उद्देश्य को चुनावों की तिथि में इस प्रकार परिवर्तन कर के प्राप्त किया जा सकता है कि सारे देश में चुनाव एक तिथि वशेष तक समाप्त हो जायें। संविधान में बार बार संशोधन करने से इस की पवित्रता कम होती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड ३ में यह शब्द बिलकुल अस्पष्ट है कि रिक्तियां किसी भी कारण से रह गई हों। हो सकता है कि कुछ अन्य राज्यों में भी चुनाव न हुए हो। यदि संविधान को संशोधित किया जाना है, तो हमें इसे विशिष्ट रूप देना चाहिये। हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि यह केवल उन क्षेत्रों में होगा, जहां बर्फ़ आदि के कारण चुनाव समाप्त नहीं हो सकते।

संविधान के खंड ३७० में भी संशोधन की आवश्यकता है। विधेयक में जम्मू व काश्मीर राज्य के बारे में निश्चित प्रकार का निर्देश शामिल करना चाहिये। समय आ गया है कि उस राज्य से लोक सभा के लिये उसी प्रकार से प्रत्यक्षतः सदस्यों का चुनाव हो, जिस प्रकार से अन्य राज्यों में होता है।

मैं इस विधेयक के विरुद्ध हूं। हम चुनावों को कुछ महीनों के लिये स्थगित कर सकते हैं।

†**श्रीहेम राज** (कांगड़ा) : इस विधेयक के द्वारा हिमालय चुनाव क्षेत्रों के लोगों को, चाहे वे पंजाब के हों या हिमाचल प्रदेश के, उनके संवैधानिक, कानूनी और मूल अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। पिछले चुनावों में, मेरा चुनाव जून-जुलाई के महीने में हुआ था और मैं दिल्ली में २७ या २९ जुलाई को आया था जब कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव हो चुके थे। इस बार भी हम इन चुनावों में भाग नहीं ले सकेंगे।

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : जहां तक आगामी चुनावों का सम्बन्ध है, चुनाव आयोग को आशा है कि हिमाचल प्रदेश में ये राष्ट्रपति के चुनाव से पहले समाप्त हो जायेंगे।

†**श्रीहेम राज** : अब चूंकि जम्मू और काश्मीर भी चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार के अन्दर आ गया है, इसलिए लद्दाख के लोग भी इस अधिकार से वंचित हो जायेंगे।

यदि यह संशोधन कर दिया गया, तो हिमाचल प्रदेश पंजाब की पहाड़ियों या लद्दाख के लोगों में असंतोष और भी बढ़ जायेगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में साम्यवादी और चीनी अपना प्रचार और भी तेज़ कर देंगे।

वर्तमान विधेयक हिमालय क्षेत्र से आने वाले और अन्य क्षेत्रों से आने वाले सदस्यों के बीच स्पष्ट रूप से विभेदपूर्ण है और यह विभेद सदा के लिए जारी रहेगा।

†**श्री हजरनवीस** : यह विभेद प्रकृति की ओर से है, मनुष्य की ओर से नहीं।

†**श्रीहेम राज** : पहिले चुनावों में हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में सितम्बर में ही चुनाव हो गये थे किन्तु कुछ क्षेत्रों में फरवरी और मार्च में चुनाव हुए। फल यह हुआ कि वहां की जनता मतदान नहीं दे सकी। इसका परिणाम यह हुआ कि लाहौल सिपती की जनता ने यह आन्दोलन किया कि वे लोग तिब्बत और चीन के अंग हैं। अतः मेरा सुझाव है कि हमें सीमांत की जनता को असंतुष्ट नहीं करना चाहिये। हमें उन के लिये परिवहन तथा जीविका को अन्य साधन भी प्रस्तुत करने चाहिये।

प्रस्तावित परिवर्तन से हिमाचल क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गये सदस्यों को उन के कुछ विधिक, संवैधानिक तथा मूल अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उस क्षेत्र के लोगों का इस पर रुष्ट होना स्वाभाविक है।

यदि विधेयक पारित किया गया तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब के पर्वतीय क्षेत्रों तथा लद्दाख के लोगों, जो पहिले ही इतने संतुष्ट नहीं हैं और भी निराश हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त भारत के साम्यवादी तथा चीन के साम्यवादी इस का स्वयं सरकार के विरुद्ध अनुचित लाभ उठायेंगे।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री हेम राज]

वर्तमान विधेयक हिमाचल क्षेत्र से आने वाले तथा अन्य क्षेत्रों से आने वाले सदस्यों के बीच स्पष्ट रूप से विभेद पूर्ण है ।

उन क्षेत्रों में चुनाव सितम्बर या अक्टूबर में--अर्थात शेष के देशों में चुनावों से बहुत पहिले--किये जा सकते हैं । दूसरा सुझाव यह है कि उन निर्वाचन क्षेत्रों के बदले में सदस्यों का नामीकरण हो सकता है जैसा कि दादरा, नगर हवेली या उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण के बारे में किया जाता है । तीसरा सुझाव यह है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव की तिथि को आगे बढ़ाया जाय जब तक लोक सभा और राष्ट्रपति के चुनाव एक साथ होंगे तब तक इन निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों की नियोगिता स्थायी रहेगी ।

सरकार को कोई न कोई हल अवश्य ढूंढ निकालना होगा जिससे हमारे अधिकारों को कायम रखा जाये; तथा चुनाव भी उचित ढंग से हो सकें ।

†**श्री अमजद अली** (धुंवरी) : मैं अपने से पहिले भाषणकर्त्ता के इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि इस से संविधान के अनुच्छेद १४ पर आघात होता है तथापि यह सही है कि इससे हिमाचल प्रदेश के एक भाग की जनता के हितों पर स्थायी रूप से आघात हुआ है ।

दुख का विषय यह है कि संविधान में ग्यारहवीं बार परिवर्तन किया जा रहा है । संविधान में बार बार संशोधन करना उचित नहीं है इस से संविधान की गरिमा समाप्त हो जाती है ।

इस मामले पर उच्चतम न्यायालय की भी सलाह मांगी गई थी । तथापि उन्होंने कुछ कारणों से इस मामले में अपनी कोई सलाह नहीं दी ।

इस संशोधन से संविधान के अनुच्छेद ७१ में एक और खंड जोड़ा जा रहा है । इस का यह परिणाम होगा कि जिन लोगों को अन्यथा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार प्राप्त था, उन्हें इस विधेयक में प्रस्तावित प्रक्रिया के फलस्वरूप उस अधिकार से वंचित किया जायेगा ।

†**श्री हजरतबीस** : इस से किसी के हितों पर स्थायी रूप से आघात नहीं होता है । न यह केवल हिमाचल प्रदेश पर ही लागू होता है । विधेयक का उद्देश्य केवल मात्र इतना है कि निर्वाचक गणों में से किसी की अनुपस्थिति के कारण राष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती न दी जा सके ।

†**श्री सूपकार** (सम्भलपुर) : मैं बहुत कुछ अंशों में श्री बलराज मधोक और श्री हेमराज से सहमत हूं । मेरा सुझाव यह है कि हिमाचल प्रदेश या अन्य इलाकों में चुनाव इस प्रकार किये जांय कि वहां के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनावों में भाग ले सकें और उन्हें शिकायत करने का मौका न मिले ।

लोक सभा के विघटन से पहिले नामीकरण पत्रों के भरने में जो कठिनाइयां पेश आती हैं उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में समुचित संशोधन द्वारा दूर किया जा सकता है । हम ऐसा विशेष कारणों से कर सकते हैं । यदि ऐसा किया गया तो संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री शि० न० रामौल (महासू) : सभापति महोदय, यह कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो कि इस हाउस के सामने गौर करने के लिए उपस्थित है उस से गवर्नमेंट का मुद्दा यह मालूम होता है कि अगर कहीं १, २ कैजुएल वैकेंसीज हो जायें तो उन की वजह से प्रेसीडेंट या वाइस प्रेसीडेंट का एलेक्शन स्थगित न हो और गवर्नमेंट अपनी इस मंशा को पूरा करने के लिए इस अमेंडमेंट बिल को लायी है । यूं तो मैं भी सहमत हूं कि इस किस्म की कैजुएल वैकेंसीज होने की वजह से एलेक्शंस न रोके जांय और इस हद तक यह अमेंडमेंट कुछ रीजनेबुल मालूम हो सकता है । लेकिन जैसे कि इस बिल के क्लाज ३ की भाषा है कि राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति के चुनाव में इस कारण आपत्ति नहीं की जा सकती है कि निर्वाचक गणों में से कोई सदस्य अनुपस्थित हो, तो इस का तो मतलब यह हो सकता है कि स्नो बाउंड ऐरियाज की जो पार्लियामेंटरी कांस्टीटुएंसीज हैं, अगर इस का बिलकुल क्लैरीफिकेशन न हो जाय, तो वह हमेशा के लिए प्रेसीडेंट और वाइस प्रेसीडेंट के एलेक्शन के लिए डिबार हो जाती हैं । इसके अलावा चूंकि वे इलैक्शन न होने की वजह से हाउस में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, इसलिए वे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलैक्शन में हिस्सा लेने से भी वंचित हो जाते हैं । इस के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने तफ़सील के साथ बयान दिये हैं ।

डिप्टी ला मिनिस्टर साहब ने फ़रमाया कि एक दो मेम्बरों की ग़ैर-हाज़िरी की वजह से प्रेज़िडेंट और वाइस-प्रेज़िडेंट का इलैक्शन नहीं रुक सकता । यह तो मैं मानने के लिए तैयार हूं । लेकिन किसी एक यूनिट के, जो कि एक सैपरेट यूनिट है, तमाम के तमाम मेम्बरान डी-फ्रैंचाइज हों, अपने कांस्टीटयूशनल राइट्स से महरूम हों, यह मेरी समझ में नहीं आता है । उन के राइट्स को सुरक्षित रखा जाना चाहिए ।

इस वजह से ला मिनिस्टर साहब से मेरा निवेदन है कि अगर यह अमेंडमेंट लाना ज़रूरी हो, तो उस में यह प्राविज़न जरूर हो कि अगर किसी खास कुदरती रुकावट की वजह से किसी इलाके में इलैक्शन न हो सकते हों, तो वे इस तारीख में न आयें । उस इलाके के नुमायन्दों का शामिल होना ज़रूरी है ।

जैसाकि माननीय सदस्य, श्री हेमराज ने कहा है कि १९५१ में भारतवर्ष की दूसरी स्टेट्स में इलैक्शन होने से पहले ही हिमाचल प्रदेश में इलैक्शन हो चुके थे । इसलिये या तो तमाम भारतवर्ष के इलैक्शन्ज़ से पहले ही सितम्बर-अक्तूबर में स्नो बाउंड एरियाज़ में इलैक्शन हो जाय, ताकि वहां से चुने गये मेम्बर प्रेज़िडेंट वग़ैरह की इलैक्शन में सम्मिलित हो सकें और अगर किसी वजह से वहां पर इलैक्शन पहले न हो सकें और बाद में हों, तो जब तक वहां से पार्लिमेंट के मेम्बर इलैक्ट हो कर हाउस में शामिल न हो जायें, तब तक प्रैज़िडेंट वग़ैरह के इलैक्शन नहीं होने चाहियें ।

अगर उन इलाकों के लोगों का इस किस्म का राइट बरक़रार नहीं रखा जाता है, तो, मैं समझता हूं ,उन को जायज ग्रीवेंस हो सकती है और वहां पर इस वजह से जो रीपरकशन्ज़ होंगे, वे अच्छे साबित नहीं हो सकते ।

यही दो तीन पायंट हैं, जिन का तमाम मेम्बर साहबान ने ज़िक्र किया है । इसलिये मैं ज्यादा विस्तार में न जाते हुए ला मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि स्नो बाउंड एरियाज़ के, या उन एरियाज़ के, जहां किन्हीं कुदरती वजूहात से ठीक समय पर इलैक्शन न हो सकें लोगों के राइट्स को सुरक्षित रखा जाये । अगर किसी स्टेट में एक दो मेम्बरों की ग़ैर-हाज़िरी की वजह से यह तरमीम लाना ज़रूरी हो, तब तो उस में कोई एतराज़ नहीं हो सकता है, लेकिन एक पर्मानेंट तरीके से एक

[श्री शि० न० रामोब]

पूरे यूनिट को डीबार कर देना और उस के राइट्स से उस को वंचित कर देना उचित नहीं होगा। मैं गवर्नमेंट और ला मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि वे इस बात की तरफ़ ख़ास तौर से ध्यान दें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : जनाब चेयरमैन साहब, जो सवाल इस वक्त सदन के सामने है, वह निहायत ही ज़रूरी सवाल है और यह पहला मौका नहीं है कि जब यह सवाल यहां पर आया है। इस से पहले भी यह सवाल चन्द मर्तबा सदन के सामने आ चुका है।

मैं इस सिलसिले में लीगल क्विब्लज़ में नहीं जाना चाहता और न ही कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल ७१ पर तक़रीर करना चाहता हूं। मोटी बात यह है कि क्या यह जायज़ है कि सारे कंट्री के लिये एक कांस्टी ्शन बना कर हम ने सारे देश को जो राइट दिया है, जोकि मोस्ट इम्पार्टेन्ट है, किसी एक इलाके को उस राइट से महरूम कर दिया जाये। मेम्बर बनने का राइट बहुत अहम है, लेकिन स्पीकर या डिप्टी स्पीकर बनने का राइट भी किसी तरह से कम नहीं है और इसी तरह से स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के इलैक्शन में हिस्सा लेने का राइट भी किसी तरह से कम नहीं है। इस बिल को पास करने का मतलब यह होगा कि जिस इलाके के नुमायंदे चुनाव न होने की वजह से हाउस में शामिल नहीं हो सकेंगे, उन को कहा जायगा कि तुम ऐसे पिछड़े हुए इलाके हो कि तुम को इस इम्पार्टेन्ट राइट से महरूम कर दिया गया है और तुम्हारे सारे इलाके में से कोई भी कभी भी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर नहीं बन सकता। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस तरह कांस्टीट्यूशनल राइट्स के साथ, राइट आफ़ वोटिंग के साथ खेलना वाजिब नहीं है। सारे हाउस के लिये यह मुनासिब नहीं है कि एक इलाके को कहा जाये कि तुम्हारे यहां इलैक्शन ऐसे वक्त पर होगा--हालांकि वह किसी और मुनासिब वक्त पर भी हो सकता है--कि तुम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलैक्शन में हिस्सा लेने से वंचित रह जाओगे।

म भी पहले अर्ज़ कर चुका हूं और श्री हेमराज भी कह चुके हैं कि इस सिलसिले में कुछ तरकीबें हैं, जिन को अच्छी तरह से देखा जा सकता है। इलाज मौजूद है। अगर इस का कोई इलाज मौजूद न हो, तो यह सवाल पैदा हो सकता है। लेकिन उस तरफ कोई ध्यान हीं दिया गया है।

यह कहा गया है कि बहुत से कांस्टीट्यूशन्ज़ में यह प्राविज़न मौजूद है कि एक दो मेम्बरों की ग़ैर-हाज़ि ी की वजह से किसी हाउस का इलैक्शन बन्द नहीं किया जाता है, या वह हाउस इल्लीगल नहीं बन जाता है। लेकिन यहां पर एक दो वैकेन्सीज़ का सवाल नहीं है। यहां पर तो जान-बूझ कर एक सारे इलाके को उस के राइट आफ़ वोटिंग से महरूम किया जा रहा है। वैकेन्सी के मायने तो ये हैं कि अनफ़ार्टुनेट्ली किसी एक मैम्बर की डैथ हो जाय और वहां पर बाई-इलैक्शन न हो सके। वह तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन एक तमाम इलाके के लोगों के कांस्टीट्यशनल राइट्स को कांस्टीट्यूशन के ज़रिये छीनना उन के हक़ूक पर बड़ा भारी डाका है। मैं इस बारे में ज्यादा स्ट्रांग वर्ड्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इस बात को इक्वैनिमिटी से नहीं देख सकता कि किसी एक इलाके को उस के कांस्टीट्यूशनल राइट्स से वंचित कर दिया जाये।

इस सिलसिले में दो बड़े सीधे तरीके हैं। उन में से एक को क्यों नहीं माना जाता है ? एक तरीका तो यह है कि उन इलाकों में इलैक्शन ऐसे वक्त पर किये जायें कि वे मेम्बरान आ कर प्रैज़िडेंट और स्पीकर के इलैक्शन में शामिल हो सकें, यानी यह इलैक्शन तब किया जाये, जबकि उन इलाकों समेत सारे कंट्री का इलैक्शन हो चुके। दूसरा तरीका यह है कि उन इलाकों के इलैक्शन्ज़ को इस तरह

टाइम किया जाय कि वहां के इलैक्शन्ज़ कंट्री के दूसरे हिस्सों से पहले हो जायें और वहां के मेम्बर अपने हुकूक को इस्तेमाल कर सकें ।

जो भी तरीका अख्तियार किया जाये उन को उन के राइट्स से महरूम करना हरगिज़ जायज़ नहीं है और वह हमारे बेसिक उसूलों के बरखिलाफ़ है, जोकि हमारे कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल १४ में मौजूद हैं । यह कहा जा सकता है कि वोटिंग का राइट और इलैक्ट्रल राइट कांस्टीट्यूशन में दर्ज फ़ंडामेंटल राइट्स में शामिल नहीं किया गया है । कांस्टीट्युएन्ट असेम्बली में मैं ने इस बात की कोशिश की थी कि इन राइट्स को फ़ंडामेंटल राइट्स में शामिल कर लिया जाये, लेकिन ऐसा न करने का मतलब यह नहीं है कि ये राइट्स फ़ंडामेंटल राइट्स नहीं रहे । मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि वोटिंग के राइट और इलैक्शन में हिस्सा लेने के राइट से ज्यादा कोई फ़ंडामेंटल राइट नहीं है । यह एक बेसिक राइट है । इस राइट से किसी आदमी को डिप्राइव करना जायज़ नहीं है, कुजा सारे इलाके को महरूम करना उस के इस सेक्रिड राइट से । इसलिये मैं समझता हूं कि कांस्टीट्यूशन के इस अमेंडमेंट को मंजूर नहीं करना चाहिये । अगर हम ने इस उसूल को मान लिया, तो मालम नहीं आईन्दा हम कहां पहुंचेंगे । इसलिये मैं इस अमेंडमेंट के हक में नहीं हूं । मैं सारे कंट्री, ला मिनिस्टर साहब और गवर्नमेंट से यह अर्ज़ करूंगा कि इस मामले को लाइट्ली नहीं देखना चाहिये । यह उन इलाकों के लोगों के राइट्स के साथ खेलना है और उन को उन के हुकूक से महरूम करना है । जो दो तरकीबें मैं ने अभी अर्ज़ की हैं, उन में से एक को मान लेना चाहिये ।

पिछली दफ़ा जब यह सवाल उठा था, तो ला मिनिस्टर साहब ने फ़रमाया था कि हम देखेंगे कि इलैक्शन को इस तरह टाइम किया जाये कि वे लोग अपने हुकूक से महरूम न हों । यह ज़रूरी है कि ऐसा तरीक़ा अख्तियार किया जाये कि वे लोग अपने इस राइट से महरूम न हों । इस बिल को पास करना ईविल में ऐक्वेट करना है, उस को कनडोन करना है, उस पोज़ीशन को परपैटुएट करना है कि वे न प्रैज़िडेंट और न स्पीकर के इलैक्शन में हिस्सा ले सकें ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये] ।

यहां पर यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि किसी भी असेम्बली या पार्लिमेंट में स्पीकर या डिप्टी स्पीकर क्या हिस्सा अदा करता है । स्पीकर और डिप्टी स्पीकर किसी भी असेम्बली की जान होते हैं । वे चाहे जिस तरह किसी डिस्कशन को तोड़ मरोड़ सकते हैं, चाहे जिस तरह हमारे राइट्स को रेगुलेट कर सकते हैं । किसी भी इलाके को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को इलैक्ट करने और उस इलैक्शन में हिस्सा लेने के बेसिक राइट से महरूम करना जायज़ नहीं है । हम सारी दुनिया में लैक्चरों में यह कहते फिरते हैं कि देखो, हमारे यहां कोई भी इन्सान हिन्दुस्तान का प्रैज़िडेंट या स्पीकर बन सकता है । बातें तो हम ऐसी करते हैं, लेकिन जब उन बातों को प्रैक्टिस में लाने का मौका आता है, तो हम ऐसा कानून बनाते हैं, जिस के ज़रिये हम किसी इलाके को जान-बूझ कर हमेशा के लिये उस के फ़ंडामेंट्ल राइट्स से महरूम कर देते हैं । अगर कोई वैकेन्सी हो और उस को फ़िल न किया जा सके, तो वह मजबूरी है और उस मजबूरी को मैं समझ सकता हूं । लेकिन इस तरीके से एक इलाके के लोगों को हमेशा के लिये उन के फ़ंडामेंटल राइट्स से महरूम करना जायज़ और दुरुस्त नहीं है । इसलिये यह गारन्टी दी जाये कि हिमाचल प्रदेश व पंजाब के बर्फ़ानी इलाके में इलैक्शन ऐसे किया जायेगा कि वह इस हक से महरूम नहीं होंगे ।

†**श्री ईश्वर अय्यर** (त्रिवेन्द्रम) : इस में सन्देह नहीं कि व्यावहारिक कठिनाइयां उपस्थित होने पर संविधान में संशोधन किया जा सकता है तथापि हमें यह देखना है कि क्या वर्तमान समस्या इस प्रकार की है कि संविधान में संशोधन किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ईश्वर अय्यर]

प्रस्तुत विधेयक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से सम्बन्ध रखता है। संविधान द्वारा प्रदत्त यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद ३२६ के द्वारा हमें वयस्क मताधिकार के आधार पर अपने लोक सभा तथा राज्य सभा के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है ये प्रतिनिधि पुनः राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनते हैं। अर्थात् प्रत्येक प्रतिनिधि को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है। अर्थात् संविधान के अनुच्छेद ५४ और ६६ के अधीन जनता अपने प्रतिनिधियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है।

अतः इस सिद्धांत को स्वीकाप कर लेना कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव इस दशा में भी हो सकते हैं जब कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपने प्रतिनिधियों को नहीं चुन पाते, संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों के सर्वथा विपरीत है। विधेयक में लोगों के एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार को छीन लेने का प्रयास किया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक की आवाज को—जिस का चुना हुआ प्रतिनिधि—इस सभा में मौजूद हो—राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनावों में सुना जाना चाहिये।

वस्तुतः संविधान का वर्तमान उपबन्ध काफी सोच विचार के बाद रखा गया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव दोनों सदनों की संयुक्त बठकों में हो। हमें किसी ठोस कारण के बिना इस का विरोध नहीं करना चाहिये।

†**श्री नरसिंहन्** (कृष्णगिरि) : विधेयक की शब्दावलि उपयुक्त नहीं है क्योंकि इस के अधीन निर्वाचक गणों में से ५० प्रतिशत से अधिक सदस्यों के अनुपस्थित रहने पर भी राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति का चुनाव किया जा सकता है।

मैं ने सुझाव दिया था कि इस सम्बन्ध में एक परिमाण रखा जाना चाहिये। मैं ने इस आशय का संशोधन रखा था कि रिक्त स्थानों की सीमा २ प्रतिशत रखी जाये तथापि विधि मंत्री ने यह संकेत दिया था कि यह ५ प्रतिशत होनी चाहिये।

अतः मेरा सुझाव है कि सरकार इस विधेयक पर पुनः विचार करे और रिक्त स्थानों की सीमा २ प्रतिशत निश्चित करे।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के उद्देश्यों में, जैसा अभी कानून मंत्री महोदय ने बताया है, सिर्फ यह नहीं आता है कि कोई सदस्य महोदय अपने पद से इस्तैफा दे दें तो उन की जगह खाली होने की शक्ल में भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव हो सकते हैं वरन् इसमें जो शब्द लिखे गये हैं वे तो यहां तक जाते हैं कि यदि असेम्बली या लोक सभा के चुनाव न हो पायें, और यहां तक कि अगर बहुमत सदस्यों का ऐसा हो जो न चुन पाये, तो भी प्रेसीडेंट और वाइस प्रेसीडेंट के चुनाव हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि शायद कानून मंत्री महोदय का उद्देश्य ऐसा नहीं, और उद्देश्य ऐसा नहीं है और भाषा से यह प्रकट होता है तब तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि हमारे आज के मंत्री और उन के अधिकारी गण इतने लापरवाह हो गये हैं कि वे यह तक नहीं जानते कि जो शब्द वे लिख रहे हैं उन का क्या अर्थ होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

आखिर सदन के सामने जो बिल आता है उस का मसविदा बहुत होशियारी के साथ बनाना चाहिये। यह न हो कि उन का उद्देश्य तो कुछ है और शब्दों से अर्थ कुछ और निकलता है। और आज कानून मंत्री महोदय का यह कहना कि इस तरह का कोई संशोधन विरोधी दल के सदस्यों की ओर से आना चाहिये, मैं समझता हूं उचित नहीं है। सरकार को इसी उद्देश्य के लिये इन कुर्सियों पर बिठाया गया है, और जब वह दिन पर दिन ऐसी गलतियां करती है कि ऐसे मसविदे पेश किये जाते हैं जिन में उन का अपना अर्थ नहीं निकलता, तो मैं समझता हूं कि यह सरकार के लिये बहुत बुरी बात है और यह सरकार की ऐसी आलोचना है जो कोई करना नहीं चाहेगा, लेकिन दुर्भाग्यवश करनी पड़ती है।

इस सब से मैं एक ही नतीजे पर पहुंचा हूं कि सरकार के लोग अब अपने कार्य को कर्तव्य की शक्ल में नहीं ले रहे हैं, उस को बहुत ही ध्यानपूर्वक नहीं ले रहे हैं, और नतीजा यह होता है कि इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। अभी तो हिमाचल प्रदेश की तरफ ही ध्यान आकर्षित किया गया है कि हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां बर्फ पड़ी रहती है इसलिये चुनाव नहीं हो सकता जिस की वजह से हमें संविधान में ऐसी कानूनी व्यवस्था करनी चाहिये कि उन के बिना भी हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कर सकें। लेकिन मैं पूछता हूं कि आज नहीं तो कल जम्मू और काश्मीर की जनता भी लोक सभा के सदस्यों को चुनेगी और जो स्थिति हिमाचल प्रदेश के बारे में है वही कम से कम जम्मू और काश्मीर के कुछ हिस्सों के बारे में जरूर होगी। वहां पर भी कुछ सदस्य नहीं चुने जा सकेंगे। नतीजा यह होगा कि काफी सदस्य ऐसे हो सकते हैं जो इस अवधि के अन्दर न चुने जा सकें और उन के बिना चुने ही हम प्रेसीडेंट और वाइस प्रेसीडेंट का चुनाव कर लें। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यह संविधान के सम्पूर्ण सिद्धान्तों के खिलाफ है, जो हम ने पद्धति अपनाई है, जनतंत्र पद्धति, उस की व्यवस्थाओं के खिलाफ है। कोई व्यक्ति जिस को हम अधिकार देते हैं इस उच्च पद के लिये उस के न होने पर हम चुनाव कर लें यह उचित नहीं है। सरकार की तरफ से जो यह बिल लाया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होने के समय तक कुछ सदस्यों के चुनाव नहीं होने पायेंगे इसलिये हम संविधान में संशोधन कर लें, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। कोई न कोई ऐसा तरीका निकाला जाना चाहिये कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले सम्पूर्ण सदस्यों का चुनाव हो जाये।

कानून उपमंत्री कहते हैं कि कोई सदस्य इस्तैफा दे दे तब क्या होगा। ऐसे अपवाद हो सकते हैं, लेकिन कानून की भाषा इस तरह की नहीं होनी चाहिये। और मैं समझता हूं कि कानून उपमंत्री महोदय का मंशा यह नहीं है कि अगर कोई लोग इस्तैफा दे दें तो उस स्थिति में इन सिद्धान्तों को लागू किया जायगा। उन का साफ मंशा है कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश में चुनाव नहीं पूरे हो सकेंगे और देश के और भी कुछ हिस्से हो सकते हैं जिन में उस समय तक चुनाव न हो सकें, उस अवस्था में भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव किये जाने चाहियें। मैं समझता हूं कि संविधान को इतने हलके तौर से संशोधित नहीं किया जाना चाहिये। संविधान हमारे लिये एक पवित्र वस्तु है और उस का इन सब चीजों के लि संशोधन करना गलत है।

हमें इलैक्शन कमीशन को प्रभावित करना चाहिये कि जो अवधि निर्धारित की हुई है उस में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के पहले सम्पूर्ण देश में सदस्यों के चुनाव पूरे हो जाने चाहियें। मैं नहीं समझता कि न छोटी बातों के लिये संविधान में संशोधन करना आवश्यक है।

मैं अन्त में कानून मंत्री जी का ध्यान इस चीज की तरफ भी आकर्षित करूंगा कि जब वह फंस जाते हैं तो कुछ प्रस्तावों को वापस भी ले लेते हैं जैसेकि अभी कुछ दिन पूर्व वह पबलिक अंडर-टेकिंग का प्रस्ताव वापस ले चुके हैं। और उस पर बहस नहीं होने दी। मैं समझता हूं कि वह इस बिल को भी वापस ले लेंगे और संविधान में कोई संशोधन नहीं करेंगे। और जो अधिकार सरकार

[श्री ब्रजराज सिंह]

को इस समय प्राप्त हैं उन से ही वह चुनावों की व्यवस्था करेंगे । चूंकि देश के हर नागरिक को अपनी राय प्रकट करने का अधिकार है इसलिये हर एक नागरिक को जो चुना जा सकता है उसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार होना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री त्यागी ।

वही दलीलें बार बार दुहरायी जा रही हैं जोकि पहले दी जा चुकी हैं । इसलिये इस पर अब जो कुछ कहना हो वह मुख्तसिर में ही होना चाहिये ।

†**श्री त्यागी** : मेरे विचार से इस विधेयक के द्वारा केवल यही उपबन्ध किया गया है कि यदि किसी भी कारण से निर्वाचकगणों में कोई रिक्ति हो तो केवल इस कारण राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव पर आपत्ति नहीं की जा सकती है । यह केवल हिमाचल प्रदेश के लिये लागू नहीं है । न ही इस के द्वारा संविधान के किसी अधिकार का हनन किया गया है । इस का आशय केवल स्पष्टीकरण करने का है ।

'रिक्त स्थानों' शब्द के अर्थ के बारे में कुछ कठिनाई है । ऐसे स्थानों की संख्या उस सीमा तक हो सकती है कि गणपूर्ति भी न होने पावे । अतएव ५ प्रतिशत संख्या संबंधी संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये ताकि यह उपबन्ध पूर्णतः त्रुटिरहित हो जाये ।

†**श्री रंगा** (तनालि) : मैं विधि मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि वे श्री नरसिंहन् द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर विचार करें । यद्यपि उन्हों ने यह कहा है कि वे इस संशोधन पर तब विचार करेंगे यदि वह विरोधी सदस्यों की ओर से आया होता । मैं उन से यह अपील करूंगा कि वे उस पर ऐसे ही विचार करें जैसेकि वह विरोधी सदस्यों की ओर से आया हो ।

तथापि मैं यह बता देना चाहता हूं कि संविधान में संशोधन बिना गम्भीरता के न लाया जाना चाहिये । न ही ऐसा बार बार किया जाना चाहिये ऐसे मामलों में वकील पर्षदों (बार कौंसलों), उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय को भी अपने मत को व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिये ताकि आवश्यक होने पर विधि मंत्रालय अपने मत का पुनरावर्तन कर सके ।

वर्तमान मामले में यदि सरकार ने राजनैतिक दलों, संवैधानिक समस्याओं का अध्ययन करने वाली संस्थाओं से परामर्श किया होता तो वह अच्छा हल प्रस्तुत कर सकते थे ।

सरदार अ० सिं० सहगल (जंजगीर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस कांस्टीट्यूएन्ट अमेंडमेंट बिल के जरिये हम अपने संविधान के आर्टिकल (अनुच्छेद) ६६ और ७१ को तरमीम करने जा रहे हैं ।

जहां तक अपने भारतीय संविधान में तरमीम (संशोधन) करने का सवाल है आप देखेंगे कि जब से यह लागू हुआ है हम ने आवश्यकता पड़ने पर इस में कई दफे संशोधन किया है और इस को बदला है । अपने संविधान को इतनी जल्दी बदलना कहां तक वाजिब है या गैरवाजिब यह मैं ठीक तरीके से नहीं कह सकता लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि हर वक्त कानून को बदलते रहना कुछ ठीक नहीं लगता है ।

आर्टिकल ६६ जिस को कि हम बदल रहे हैं उस के अनुसार अभी तक पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज की ज्वाएंट सिटिंग में मेम्बर्स बाइस प्रेसीडेंट का चुनाव करते थे । अब उस के बजाय हम यह

†मूल अंग्रेजी में

कहने जा रहे हैं कि यह ज्वाएंट सिटिंग नहीं होनी चाहिये और वाइस प्रेसीडेंट के चुनाव के वास्ते पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज़ के मेम्बर्स को लेकर एक एलेक्टोरल कालिज (निर्वाचक मंडल) बनना चाहिये और वाइस प्रेसीडेंट का चुनाव वह एलेक्टोरल कालिज करे।

कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल ५४ के बमुजिब प्रेसीडेंट का चुनाव पार्लियामेंट के दोनो हाउसेज़ के एलेक्टेड मेम्बर्स और लेजिस्लेटिव असेम्बलीज़ के मेम्बर्स का एलेक्टोरल कालिज करता है। अब यह हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्से में और जम्मू तथा काश्मीर में अर्थात् स्नो बाउंड एरियाज़ में प्रेसीडेंट या वाइस प्रेसीडेंट के एलेक्शन से पहले पार्लियामेंटरी एलेक्शन समाप्त न हो पायें। यह दिक्कत पेश आ सकती है और आयेगी और इसी को मद्देनजर रखते हुए कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल ७१ को हम अमेंड कर रहे हैं।

डा० खरे का केस जोकि सुप्रीम कोर्ट (उच्चतम न्यायालय) में गया वह इसी आधार पर ले जाया गया था कि वैलिड प्रेसीडेंटल एलेक्शन के लिये यह जरूरी है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज़ के तमाम चुनाव प्रेसीडेंट का चुनाव होने से पहले खत्म हो जायें, नहीं तो कुछ सदस्य चुनाव में भाग लेने के अधिकार से वंचित हो जायेंगे। परन्तु उच्चतम न्यायालय ने इस पर अपनी राय प्रकट करना आवश्यक नहीं समझा।

इससे यह प्रकट है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पायंट पर अपनी राय देना जरूरी नहीं समझा और इस सदन पर छोड़ दिया कि वह इस बारे में फ़ैसला करे। मेरा ख्याल है कि उनके सामने शायद यह बात रही होगी कि प्रैजिडेंट और वाइस-प्रैजिडेन्ट का जो चुनाव होगा, उस को हम कहीं चैलेंज भी नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि हमारा जो इलैक्ट्रल कालेज बनेगा, उसमें इस बात का तसफ़िया कर लिया जायेगा कि प्रैजिडेन्ट और वाइस-प्रैजिडेन्ट का इलैक्शन कैसे किया जाये।

कांस्टीट्यूशन का आर्टिकल ७१(३) इस प्रकार का है कि इस सदन को इस बात का अधिकार है कि वह प्रैजिडेन्ट या वाइस-प्रैजिडेन्ट के इलैक्शन के बारे में किसी भी बात की व्याख्या कर सकता है और उसमें परिवर्तन कर सकता है। इस परिस्थिति में इस बिल के द्वारा जो तरमीम सामने लाई गई है, वह वक्त को देखते हुए ठीक है। लेकिन मैं ला मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि वह इस तरह से संविधान को जल्दी जल्दी बदलने के स्थान पर ठंडे दिमाग से यह सोचें कि हमने इसमें कौन कौन सी तरमीमें करनी हैं और उन सबको एक वक्त पर ही ले आयें, बनिस्बत इसके कि छोटी-छोटी तरमीमों को ला कर इस हाउस के सामने रखा जाये।

श्री ब्रजराज सिंह : इनका दिमाग जाड़ों में भी गर्म है।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी एक मिनट के लिये बोलना चाहता हूं।

†**श्री तंगामणि** : सरकार अब बात-बात पर संविधान में संशोधन करने के प्रस्ताव रखने लगी है। यह बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है।

यदि संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये संविधान का संशोधन करना पड़े, तो हम उस पर कभी आपत्ति नहीं करेंगे। और यदि उच्चतम न्यायालय के किसी निर्णय के अनुसार संविधान में कोई संशोधन करना पड़े, तो भी उसका औचित्य है। परन्तु छोटी-छोटी बातों के लिये तो संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत नहीं किये जाने चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तंगामणि]

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी स्थायी समिति के प्रश्न पर भी यही हुआ। यदि माननीय विधि मंत्री ने उस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया होता तो संयुक्त समिति की स्थापना के प्रस्ताव को इस प्रकार स्थगित करने की नौबत न आती। कम से कम संविधान के संशोधन के प्रश्न पर तो विधि मंत्रालय को अधिक सावधानी से विचार करना चाहिये। प्रथम वाचन के दौरान ही विधि मंत्री इस संशोधन विधेयक में कुछ संशोधन स्वीकार करने के लिये तैयार हो गये थे। इतने गम्भीर मसले पर तो ऐसे हल्के-फुल्के ढंग से काम नहीं करना चाहिये। ऐसे संशोधन विधेयक तो बहुत सोच-समझ कर रखे जाने चाहियें।

संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद ६६ और ७१ काफी सोच-समझ कर बनाये थे। अनुच्छेद ७१ में जान बूझकर उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से सम्बन्धित शंकाओं और विवादों की छानबीन करने की शक्ति दी गई है। अब उस शक्ति का इस प्रकार निराकरण किया जा राहा है।

उच्चतम न्यायालय को ऐसी अनन्य शक्ति रहनी चाहिये। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को रद्द कर सकती है। इसलिये उनके सम्बन्ध में उठने वाली शंकाओं और विवादों की जांच की शक्ति भी उसके पास रहनी ही चाहिये। यदि नहीं तो फिर अनुच्छेद ७१ को ही संविधान से निकाल देना चाहिये। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां सीमित करना संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य कभी नहीं था। मैं मानता हूं कि यह सभा सर्वोपरि है, पर सभा को ऐसे संशोधनों के मामले में सावधानी बरतनी चाहिये। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को न्यायपालिका की शक्ति से सर्वथा अलग रखना ग़लत होगा।

अब नयी व्यवस्था की जा रही है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक-मंडल करेगा। अभी तक राष्ट्रपति का चुनाव ही दोनों सभाओं और विधान सभाओं का निर्वाचक मंडल करता था। जब कि उपराष्ट्रपति का चुनाव दोनों सभाओं के सदस्य करते हैं।

उपराष्ट्रपति की शक्तियां बहुत थोड़ी ही होती हैं। उसका मुख्य कृत्य राज्य-सभा का सभापतित्व करना होता है। इसलिये समझ में नहीं आता कि उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक-मंडल द्वारा करन की व्यवस्था क्यों की जा रही है। मेरी समझ में तो यह नयी व्यवस्था अनावश्यक है।

अनुच्छेद ६६ के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक करती है। जिसका अर्थ है कि अध्यक्ष महोदय उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जिससे स्पष्ट है कि तब तक अध्यक्ष का चुनाव हो चुकेगा। और अध्यक्ष का चुनाव तभी होता है जब सभा की बैठक हो चुकती है। लेकिन एक ओर तो हम सभा को मार्च-अप्रैल से पहले भंग नहीं करना चाहते और दूसरी ओर उच्चतम न्यायालय की शक्तियों को सीमित भी करना चाहते हैं। यह तो कोई बड़ी अच्छी व्यवस्था नहीं। इसलिय मैं इस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किये जाने वाले दोनों संशोधनों को उचित नहीं समझता। मैं उनका विरोध करता हूं।

†**श्री अ० कु० सेन** : मैंने सभी भाषणों को बड़ी सावधानी के साथ सुना है। श्री ब्रजराज सिंह और श्री तंगामणि द्वारा कही गई बातों पर मुझे सचमुच आश्चर्य है। इतनी सीधी सी चीज की भी उन्होंने आलोचना की है। संविधान में ये संशोधन करने की आवश्यकता हमने काम करने के दौरान महसूस की है। हमें जो कठिनाइयां पड़ी हैं, हमने उनको दूर करने की कोशिश की है। परन्तु वे

†मूल अंग्रेजी में

कहते हैं कि हमने बड़ी गैर-संजीदगी से इस विधेयक को तैयार किया है ; हमने काफी गहराई से सोचा-समझा नहीं है। हमने इस पर काफी गहराई से विचार कर लिया है। पहली बार जब १९५७ में उच्चतम न्यायालय के सामने डा० खरे का मामला पेश हुआ था और अनुच्छेद ६६ की व्याख्या का प्रश्न उठा था, तभी हमने उस पर सोचा था। इस पर महान्यायवादी, प्रधान मंत्री और यहां तक कि स्वयं राष्ट्रपति ने व्यक्तिगत तौर पर विचर किया था। तभी इस कठिनाई को देखते हुए, सभी ने यही निष्कर्ष निकाला था कि इस प्रकार का संशोधन अत्यावश्यक है। इसलिये हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले यह संशोधन विधेयक रखा है। संशोधन में, आप देखिये, हमने यही व्यवस्था की है कि संविधान के अनुच्छेद ६६ के खण्ड (१) में "संयुक्त बैठक में समवेत संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों" के स्थान पर "संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों के निर्वाचक मंडल के सदस्यों" शब्द रख दिये जायें। यह इसलिये आवश्यक है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले सभी अन्य चुनाव पूरे नहीं हो सकते। दूसरे यह कि यदि एक सदस्य भी त्याग पत्र दे दे, तो फिर चुनाव असंभव हो जायेगा। इसीलिये हमें खंड ४ में एक पृथक खंड जोड़ना पड़ा है। मेरी समझ में नहीं आता कि खंड ४ उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को सीमित करता है। श्री तंगामणि कैसे कहत हैं ? व्यवस्था तो केवल इतनी की जा रही है कि उस चुनाव को कोई स्थान रिक्त होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त, अन्य आधारों पर तो चुनाव को चुनौती दी जा सकेगी। इससे उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार कहां सीमित होता है ?

क्षेत्राधिकार तो मौजूद रहता है। बस इतना अन्तर है कि यदि कोई स्थान रिक्त हो, तो चुनाव को अवैध करार नहीं दिया जा सकेगा। इसीलिये मैं कहता हूं कि इसकी आलोचना करने वाले माननीय सदस्य इसे स्पष्ट रूप में नहीं देख सके।

जहां तक संशोधन के लिये तैयार होने की बात है, मैंने यह कहा था कि यदि विरोधी दल के माननीय सदस्यों को जरा भी यह शंका हो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव आधा निर्वाचक मंडल बनने से भी पहले कर लिया जायेगा, तो मैं इसके बारे में संशोधन पर विचार करने के लिये तैयार हूं। सरकार तो अपने दृष्टिकोण में गुंजाइश रखने की दृष्टि से ही चाहती थी कि विरोधी दल के सदस्य संशोधन रखें। फिर श्री रंगा की यह बड़ी विचित्र दलील थी कि हम अपने दल का ही संशोधन स्वीकार करते हैं, इसलिये वह संशोधन ही नहीं पेश करेंगे। विरोधी दलों ने संशोधन पेश करने का दायित्व स्वीकार ही नहीं किया। फिर उसके लिये हमें दोष देने से कोई लाभ नहीं। हमने रिक्त स्थानों की संख्या इसलिये सीमित नहीं की कि कभी यह परिस्थिति भी तो खड़ी हो सकती है कि कुछ सदस्य दो प्रतिशत से अधिक सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव रोकने के लिये ही त्याग पत्र दे दें तब क्या होगा ? इस तरह तो समय समय पर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनावों को रोक या टाला जा सकता है। दो प्रतिशत का अर्थ होता है, ५०० सदस्यों में से १० सदस्य। यदि विरोधी दल के दस सदस्य इसी उद्देश्य से त्याग पत्र दे दें, तब ? देश में कोई राष्ट्रपति भी नहीं होगा। मैंने श्री नरसिंहन् को ऐसी संभावना बताई थी। इसीलिये हमारे ऊपर गैर संजदिगी का आरोप लगाने वाले यदि स्वयं अपने संशोधनों की गैर संजीदगी पर विचार कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

यह एक बड़ा सीधा सा, औपचारिक किस्म का संशोधन है। हमने इससे संबंधित सभी अधिकारियों से, महा न्यायवादी से भी परामर्श कर लिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी इसे अत्यावश्यक मानते हैं।

प्रारूप के बारे में भी कुछ आलोचना हुई है। अच्छा हो कि आलोचनागण इससे अच्छा प्रारूप तैयार कर दें। मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। मात्र आलोचना से कोई लाभ नहीं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले बिधेयक पर विचार किया जाये ।"

हमें सभा विभाजित करनी पड़ेगी, क्योंकि इसे पारित करने के लिये संविहित बहुमत चाहिये। माननीय सदस्यगण अपने दोनों हाथ दोनों बटनों पर रख लें

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये ।]

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : इसके लिये ४ बजे शाम का समय निर्धारित किया गया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा ४ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा ४ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

लोक-सभा ४ बजे पुनः समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन ।]

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :—

पक्ष में	२६६
विपक्ष में	३५

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम खंडवार विचार करेंगे ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : मैं अपना संशोधन संख्या ३ प्रस्तुत करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपने संशोधन के बारे में पहले ही बोल चुके हैं। इसलिये मैं इसे मतदान के लिये रखता हूं। संशोधनों के लिये विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं खंड २ और ३ को एक साथ रखता हूं ।

क्या किसी माननीय सदस्य को आपत्ति है ?

†**श्री तंगामणि** : खंड २ और खंड ३ पृथकरूप से मतदान के लिये रखे जायें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :—

पक्ष में	२६८
विपक्ष में	३५

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो–तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३ विधेयक का अंग बने ।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :—

पक्ष में	२६९
विपक्ष में	३७

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो–तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :—

पक्ष में	२६९
विपक्ष में	३६

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो–तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा का कार्य

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा अगला कार्य हाथ में लेगी।

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मेरा सुझाव है कि पहले अनुपूरक मांगों की अपूर्ण चर्चा को लिया जाये। उसके बाद ही कलिंग एयरलाइन्स पर चर्चा की जाये।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : जब एक विषय के लिये ४ बजे का समय विशेष रूप से निर्धारित किया गया है, तब उसी को लेना उचित है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अनुपूरक मांगों को राज्य-सभा में भी भेजना पड़ेगा, जबकि कलिंग एयरलाइन्स को नहीं भेजना है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : जब कलिंग एयरलाइन्स संबंधी चर्चा के लिये ४ बजे का समय विशेष रूप से निर्धारित किया गया है, तब हमें उसी के अनुसार चलना चाहिये। अनुपूरक मांगों के संबंध में बोलने के इच्छुक विरोधी दलों के कई सदस्य उपस्थित भी नहीं हैं। उनका ख्याल था कि अनुपूरक मांगें आज नहीं ली जायेंगी।

†**श्री नाथ पाई** : सरकार की सुविधा के अनुसार आदेश-पत्र में मनमाने परिवर्तन नहीं किये जाने चाहिये।

†**श्री] त्यागी** (देहरादून) : आदेश-पत्र में आज के लिये अनुपूरक मांगों की चर्चा भी रखी गई है। आप देखिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है। यदि कुछ सदस्यों को आपत्ति है तो हम अभी अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय लेते हैं। अनुपूरक मांगें कल सबसे पहले ली जायेंगी।

कलिंग एयरलाइनस के बारे में चर्चा

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : यह हम जो चर्चा कर रहे हैं मेरा मत है कि इस से कलिंग एयरलाइन्स के कार्य पर अच्छा खासा प्रकाश पड़ेगा। और इस के साथ ही सदन को यह भी मालूम पड़ जायेगा कि इस देश में गैर सरकारी क्षेत्र किस प्रकार प्रगति कर रहे हैं। इस सदन द्वारा जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव पारित किया था वह हम सब के लिए बड़ी पवित्र वस्तु है। उसके अन्तर्गत विमान परिवहन को अनुसूची (क) में रखा गया है। उस के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि इस परिवहन का केन्द्रीय सरकार के एकाधिकार के रूप में विकास किया जायेगा। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि सरकार इस नीति का पालन नहीं कर रही है। यह इस बात से स्पष्ट है कि गैर सरकारी एयर लाइनों को विभिन्न तर्कों का सहारा ले कर काम करने दिया जा रहा है। सरकार ने अपनी घोषित नीति के विरूद्ध कलिंग एयरलाइन्स को रियायतें दी हैं। जब अखबारों में यह छपा कि इस एयर लाइन को बम्बई और बड़ौदा के बीच एक सूचित विमान यात्रा सेवा चलाने की अनुमति दी गई है तो सरकार ने यह वक्तव्य किया था कि यह सेवा सूचित नहीं है। औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव के उपबन्धों की बाधा दूर करने के लिए यह बहाना खोज लिया गया है।

एक अन्य बात जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं वह यह है क 'अनुसूचित' की व्याख्या कहीं भी उपबन्ध नहीं है; कानून में इतना ही कहा गया है कि राज्य उपक्रम केवल सूचित विमान यात्राओं का संचालन करेगा। उस में अनुसूचित विमान

---

†मूल अंग्रेजी में

यात्राओं के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। सरकार अनुसूचित की व्याख्या प्रस्तुत करे ताकि इस दिशा में स्थिति स्पष्ट हो जाय। इस के साथ ही मैं सरकार से यह भी पूछना चाहता हूं कि वह बताये कि कलिंग एयर लाइन्स को बम्बई और बड़ौदा के बीच यात्रा सेवा चलाने की अनुमति क्यों दी गयी। क्या यह सच है कि श्रीनगर और लेह के बीच सामान गिराने के कार्य का भार भी उसे ही सौंपा जायेगा ? क्या यह सच है कि यह अनुमति पहले बम्बई बड़ौदा सूचित विमान यात्रा के लिए दी गई थी किन्तु इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा शिकायत किये जाने पर बाद में अनुसूचित यात्रा घोषित कर दी गयी है।

एक और भी बड़ी गंभीर बात है वह यह है कि यह एयर लाइन विमान यात्रा संबंधी नियमों का कई बार उल्लंघन कर चुकी है; उसके रिकार्ड भी ठीक नहीं हैं, उसने कई एक तथ्यों की जानकारी को जान बूझ कर गुप्त रखा है। यह समवाय और तथा अन्य इस से सम्बन्धित गैर-सरकारी चालक बहुत से गम्भीर दोषों के लिए जिम्मेदार है। सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारी प्रतिरक्षा सेनाओं को विमानों से गिरा कर रसद पहुंचाने का काम कलिंग एयर लाइन्स को दिया गया है। इस समय देश में पांच गैर सरकारी विमान परिवहन समवाय है। वह इतना मुनाफा कमा रही है कि हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता। उन्हें विशेष अनुमति दी जाती है। और यह विशेष अनुमति देने का कार्य प्रायः नियमित कार्य बन चुका है। गैर सरकारी चालक सुरक्षा नियमों का तथा अन्य विनियमों का खुले आम उल्लंघन करते हैं। सरकार ने इस दिशा में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सरकार गैर-सरकारी समवायों को काम करने की अनुमति देने के बजाय इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के लिए अधिक विमान खरीदे। और यदि सरकार अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहती है तो उसे संसद की सम्मति लेनी चाहिए। यह बहुत महत्व का और आधारभूत प्रश्न है। जो लोग हमारी नीति के विरुद्ध चलते हैं, उन्हें सजा के स्थान पर इनाम नहीं दिया जाना चाहिए।

†**श्री जगन्नाथ राव** (कोरापट) : मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि बम्बई और बड़ौदा के बीच विमान सेवा चलाना औद्योगिक नीति प्रस्ताव के विरुद्ध है। परन्तु मेरे मित्र यह क्यों भूल जाते हैं कि इस देश में गैर-सरकारी चालक भी काफी संख्या में हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कहना गलत है कि गैर-सरकारी चालकों को लाइसेंस का देना औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प के आशय का उल्लंघन है। गैर-सरकारी चालकों को किसी मार्ग पर सेवा की व्यवस्था नहीं कर सकता और इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं की जानी चाहिए। यह कोई शिकायत नहीं है। यह कहना भी गलत है कि कलिंग एयर लाइन्स में अब भी अनियमितायें हो रही हैं उसका काम चल रहा है और इसलिए ही उसे लाइसेन्स बराबर दिया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि बम्बई–बड़ौदा मार्ग के लिये दिया गया लाइसेंस एक अस्थायी व्यवस्था है और वह इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा अहमदाबाद–बम्बई सेवा प्रारम्भ कर देने पर जैसा कि सुनने में आया है, रद्द कर दी जायेगी। और इस प्रस्तावित सेवा के विमान बड़ौदा में रुकेंगे। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये कलिंग एयरलाइन्स १९५३ से काम कर रही है।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि यदि एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा गैर-सरकारी चालकों द्वारा चलाई जा रही हैं विमान सेवाओं को सम्भालने की व्यवस्था हो जाये तो अच्छी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगन्नाथ राव]

बात है । परन्तु यदि यह संभव नहीं तो इस दिशा में गैर-सरकारी समवायों के प्रयत्नों के मार्ग में रुकावटें नहीं डाली जानी चाहिएं जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री नाथ पाई ने सुझाव दिया है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) : इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन उस मार्ग को लेने में असमर्थ है यह बड़ी विचित्र युक्ति है जो कि मेरी समझ में नहीं आई। सरकार की सहायता करने की इच्छा हो तो कोरपोरेशन कुछ भी कर सकता है। मेरा मत यह है कि जब तक इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन गैर-सरकारी चालकों द्वारा संचालित सेवाओं को सम्हाल न ले तब तक उन्हें इन सेवाओं का संचालन करने दिया जाये। यह तर्क मुझे अपील नहीं करता । यह बात सभी जानते हैं कि गैर-सरकारी एयर लाइनें अवांछनीय तरीकों से काम कर रही हैं; उन्होंने कई नियमों तथा विनियमों का उल्लंघन किया है और हमें पता है कि एक समवाय के मामले में सरदार पटेल ने गृह-कार्य मंत्रालय के एक व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का आदेश दिया था।

* * * * * *

मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि वह बताये कि इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन सहायक लाइनों का संचालन स्वयं क्यों नहीं कर सकता और उसने गैर-सरकारी एयर लाइनों द्वारा संचालित सभी सेवाओं को क्यों नहीं सम्भाल लिया। मैं सरकार पर जोर डालना चाहता हूं कि इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को इस योग्य बनाने के लिए उसकी अपेक्षित और पर्याप्त सहायता की जानी चाहिए, ताकि अन्ततोगत्वा वह यह सारा काम अपने हाथ में ले सके। माननीय मंत्री ने हमें बताया था कि हमारे लगभग ५० विमान चालकों को अभी तक कोई काम नहीं मिला । हम ने प्रत्येक विमान चालक पर ३० हजार रुपया जर्च किया है ।

इन विमान चालकों को काम न दे कर हम उन्हें निराश कर रहेहैं। मेरे विचार से उनका जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें उन्हें उचित प्रोत्साहन देना चाहिये एवं उनकी सेवाओं की सराहना करनी चाहिये। अगर गैर-सरकारी मालिक लोग इन विमान चालकों को अच्छा वेतन नहीं दे सकते अथवा उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी एवं उनके बच्चों को उचित क्षतिपूर्ति नहीं दे सकते तो इस से तो यही अच्छा है कि सरकार इन वायुसेवाओं को अपने ही हाथ में ले ले। नागरिक उड्डयन विभाग के विमान चालक तथा सैनिक दोनों ही हमारे लिये समान महत्वपूर्ण है। हम दोनों में से किसी की उपेक्षा नहीं कर सकते। हमें आई० ए० सी० की शक्ति बढ़ाने का हर संभव प्रयत्न करना चाहिये। हमें यह प्रयत्न करना चाहिये कि यह सभी सेवा अपने हाथ में ले ले । सभा लदान का काम यह करने लगे। गैर-सरकारी वायुसेवाओं के पास लदान का काम बिल्कुल भी न जाने पाये। वायुसेवाओं का संचालन कुशलता, चातुर्य एवं प्रतिष्ठा के साथ होना चाहिये। यदि विमान चालकों की अच्छी देखभाल न की गई, और मंत्रालय ने वायुसेवा संचालकों पर उचित नियंत्रण न रखा तो पता नहीं देश की क्या दशा होगी। हवाई सेवाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक मानव एवं प्रत्येक विमान चालक का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वायुयान से यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री एवं हर एक सम्मान का दायित्व सरकार पर, इस संसद पर है। हम उसकी अवहेलना नहीं कर सकते ।

**अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : इस सम्बन्ध में मैं औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प का उल्लेख करना चाहती हूं जिस में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विमान परिवहन पर केन्द्रीय सरकार का एकाधिकार होगा और यह सोचना गलत है कि इस क्षेत्र में निजी चालकों के लिये कोई स्थान है। 'अनुसूचित चालन की' कहीं भी स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है। निजी चालक विशेष अनुमति ले कर ही काम करते हैं। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि 'अनुसूचित' परमिट निजी कम्पनियों द्वारा काम में लाये जा सकते हैं। मेरा निवेदन है कि आई० ए० सी० सभी 'अननुसूचित' कार्यों को अपने हाथ में ले ले। इसके अपने कुछ अनुसूचित रास्ते हैं और कुछ अननुसूचित रास्ते भी यह बना सकता है। ये गैर-सरकारी चालक 'विशेष अनुमति' लेकर अब तक काम करते चले आ रहे हैं और यह विशेष अनुमति वर्षों से जारी रखी जा रही है जब कि विधि के अनुसार यह स्थिति ठीक नहीं है। इस प्रकार 'अनुसूचित' और 'विशेष अनुमति' की आड़ में औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प का उल्लंघन किया जा रहा है। यह विशेष अनुमति उपनियम (३) के अधीन दी जाती है और वर्षों तक इसका पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जाता। मेरा निवेदन यही है कि यह विशेष अनुमति विशेष अवसरों के लिये ही दी जानी चाहिये और सरकार के पास यह अधिकार होना चाहिये कि जब चाहे वह इसे रद्द कर दे। लेकिन बात कुछ उल्टी ही हो रही है। यह 'विशेष अनुमति' लगातार कई वर्षों तक के लिये दे दी जाती है और इसका पुनर्नवीनीकरण भी अनुज्ञा की भान्ति किया जाता है। अतः मेरा निवेदन है कि यह स्थिति अवैध है। वायुनिगम अधिनियम की धारा १८ के अनुसार भी ऐसा करना अवैध है।

सरकार यह दलील देती है कि हमारे पास वायुयान अधिक संख्या में नहीं और न हमारे पास अधिक मात्रा में विदेशी विनिमय ही है। यदि ये होते तो हम सब कुछ कर सकते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि माननीय मंत्री महोदय ने एक बार कहा था कि सरकार औद्योगिक नीति संकल्प में कोई भी हेरफेर किसी भी हालत में नहीं करना चाहती। लेकिन हम यह देखते हैं कि सरकार एक ओर तो यह कहती है कि इंडियन एयरलाइन्स के पास पर्याप्त विमान नहीं हैं किन्तु सत्य तो यह है कि उसके विमान माल ढोने के लिये निजी समवायों द्वारा किराये पर ले लिये जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अधिकारियों ने निजी चालकों से सांठगांठ कर ली है। सरकार बताये कि क्या कलिंग एयरलाइन्स को विमान खरीदने के लिये विदेशी मुद्रा नहीं दी गई है।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने 'नेफा' क्षेत्र में विमान से माल गिराने में काम काफी समय तक और सफलतापूर्वक किया है। इस बात के बावजूद यह काम कलिंग एयरलाइन्स को सौंप दिया गया है। और उन्हें इस काम के लिये आई० ए० सी० से अधिक धन दिया जा रहा है। पचिश्मी बंगाल, तथा आसाम के बहुत से भाग ऐसे हैं जहां रेल द्वारा यात्रा करने के कोई साधन नहीं हैं। वहां वायुयान द्वारा जाना ही संभव है। वहां वायु सेवा गैर सरकारी अर्थात् निजी चालकों के हाथ में है। हमने उन्हें अपने वायुयान उधार दिये हैं। नेफा में काम करने के लिये यह काम कलिंग एयरलाइन्स को दिया गया है। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से परामर्श लिया गया था। सुना है कि आसाम सरकार ने ही अपने आप यह परिवर्तन किया था।

व्यापार और सुरक्षा की दृष्टि से मैं एक बात यह मालूम करना चाहती हूं कि निजी चालकों में प्रायः विदेशी होते हैं और कुछ निजी चालक भारतीय निजी चालकों को भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं और इन निजी चालकों को नेफा आदि क्षेत्र में जाने की अनुमति दी गई है

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रेण चक्रवर्ती]

जो ठीक नहीं है। यह भी पता चला है कि इस प्रकार का एक विदेशी निजी चालक फिजो को भारत से विमान द्वारा भगा ले गया है। उस क्षेत्र में विदेशी समवायों के कार्य से हमारी सुरक्षा को संकट उत्पन्न हुआ है। अतः इन सब बातों पर अच्छी तरह विचार करना होगा क्योंकि यह मामला देश की सुरक्षा का है। अतः मैं निवेदन करती हूं कि निजी चालकों को काम न दिया जाये और उन्हें तुरन्त ही बन्द कर दिया जाये।

वायु परिवहन जन-उपयोगिता-सेवा है अतः इसे कम से कम खर्चीला बनाया जाये। यह मानती हूं कि कुछ निजी चालकों के साथ जनता की सहानुभूति है क्योंकि उनके किराये एवं भाड़े की दर इंडियन एयरलाइन्स की अपेक्षा कम है।

अंत में मैं निवेदन करूंगी कि, सुरक्षा तथा भ्रष्टाचार रोकने की दृष्टि से यह अत्यन्त आवश्यक है सभी मार्गों को सरकार अपने हाथ में ले ले। वायु परिवहन का एक दम राष्ट्रीयकरण किया जाये। औद्योगिक नीति संकल्प में भी इसी बात की पुष्टि की गई है। मेरा निवेदन है कि राज्य सभा ने जो विधेयक पारित किया है वह एक अवैध चीज को और भी वैध बनाता है अतः यह सभा उस विधेयक को पारित न करें।

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : मैं इस प्रस्ताव से नितांत सहमत हूं कि भारत में विमान सेवाओं का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। हमने कई बार कहा है कि भविष्य में जब भी संभव हुआ, इनका राष्ट्रीयकरण किया जायेगा। इस बुनियादी नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन और १९६० का नीति वक्तव्य सदन को अच्छी तरह विदित है। १९५७ के बाद राष्ट्रीयकरण विधेयक पारित किया गया था। उस के बाद से हम सदन में वक्तव्य देते रहे हैं कि सरकार की बुनियादी नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और अब १९६१ दिसम्बर में हम पर यह अभियोग लगाया जा रहा है कि हम औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प का उल्लंघन कर रहे हैं।

इस समय यातायात इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि हम उसको पूरा करने के लिये सेवाओं की व्यवस्था नहीं कर सकते।

समस्या यह है कि यदि हम विमानों की संख्या न बढ़ायें और गैर-सरकारी कम्पनियों के लाइसेंस बन्द कर दें, तो यातायात में बहुत बाधा पड़ जायेगी। विरोधी सदस्य स्वयं आलोचना करने लगेंगे।

चार्टर के बारे में स्थिति यह है कि जब बुकिंग ऐजेंट विमान को चार्टर पर लेते हैं, तो वे उसको एक स्थान से दूसरे तक ले जाने के लिये सब खर्च देते हैं और दूसरे पक्षों से उस विमान के लिये कोई माल लादने के लिये नहीं लिया जाता। किन्तु विमान को चलाती इन्डियन एयरलाइन्स ही है, कलिंग या अन्य कोई कम्पनी नहीं।

यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स का खर्च बहुत अधिक है। एक समिति ने इस के लागत ढांचे को कुछ प्रतिशत तक घटाने की सिफ़ारिश की थी। किन्तु वह ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि अन्य व्यय बढ़ गये हैं। मजूरी भी बढ़ गई है और वह लगभग ८० लाख रुपया प्रति वर्ष दे रही है।

इण्डियन एयरलाइन्स के पास पांच नये फ़ोकर, दस वाइकाउन्ट और ५४ या ५७ डकोटा हैं। इन में से जो प्रविधिक कारणों के फलस्वरूप नहीं चलाये जा रहे हैं, उन्हें छोड़ कर

†मूल अंग्रेजी में

सब काम में लाये जा रहे हैं। जो नहीं चलाये जा रहे, उनकी संख्या एक सप्ताह के अन्दर सदन को बता दी जायेगी ।

गैर-सरकारी कम्पनियों के पास लगभग १७ विमान हैं। उन्हें कुछ विदेशी मुद्रा भी दी जाती है क्योंकि सरकार चाहती है कि वे अभी काम करती रहें ।

स्थिति यह है कि सरकार इस क्षेत्र की सभी सेवाओं को अपने हाथ में लेना चाहती है, किन्तु अभी तक वह ऐसा कर नहीं सकी है ।

जहां तक बड़ोदा लाइन का सम्बन्ध है, उन को परमिट दिया गया है किन्तु मुझे यह मालूम नहीं था कि वह बम्बई से बड़ोदा तक सेवा चलायेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : गैर-सरकारी विमान कम्पनियों की संख्या १७ है । क्या वे सभी सेवाएं चला सकती है। इस के लिये कोई विनियम होना चाहिये। इन्डियन एयरलाइन्स की जानकारी के बिना वे सेवायें कैसे चला सकती हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : जिन स्थानों के बीच अनुसूचित विमान सेवा हो, उन के बीच उस परमट द्वारा गैर-सरकारी कम्पनियों सेवा नहीं चला सकतीं, किन्तु यदि अनुसूचित सेवा पर्याप्त न हो, तब वे ऐसा कर सकती हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या कलिंग एयरलाइन्स ने इण्डियन एयरलाइन्स से अनुमति प्राप्त कर ली है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : यह तो मुझे ज्ञात नहीं है किन्तु असैनिक उड्डयन के महानिदेशक को इस बात की जानकारी है और उसे हवाई अड्डों के नियंत्रक को इस एयरलाइन्स के विमानों के आने और जाने की अनुमति देने के लिये निदेश दिया गया था ।

जहां तक पूजा की छुट्टियों का सम्बन्ध है, इण्डियन एयरलाइन्स पर्याप्त यातायात सेवाओं की व्यवस्था नहीं कर सकी, क्योंकि उस के पास विमान कम थे । वह अन्य स्थानों से विमान ले कर कलकत्ता नहीं भेज सकती थी ।

गत पांच वर्षों में इण्डियन एयरलाइन्स ने गैर-सरकारी कम्पनियों को एक भी विमान नहीं बेचा । हमने दो विमान सम्बन्धित मंत्रालयों की सहमति से एक अन्य देश को बेचे हैं, इस आशा से कि हमें कुछ वाइकाउन्ट मिल जायेंगे ।

मुझे इस समय याद नहीं है कि कलिंग एयरलाइन्स को कितनी विदेशी मुद्रा दी गई है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, ६ दिसम्बर, १९६१ / १५ अग्रहायण, १८८३ (शक) के ११ म० पू० तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंगेजी में

दैनिक संक्षेपिका

{मंगलवार, ५ दिसम्बर, १९६१ / १४ अग्रहायण, १८८३ (शक)}

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१४९७--१५२२
	तारांकित प्रश्न संख्या	
५६८	नागाओं की हिरासत में विमान-चालक . . .	१४९७--१५००
५६९	पाकिस्तानी राष्ट्रजनों द्वारा पश्चिम बंगाल में अवैध प्रवेश .	१५००--०१
५७०	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की काम की दशा .	१५०३--०५
५७२	लिग्नाइट . .	१५०५-०६
५८८	लिग्नाइट	१५०६-०८
५७४	धार्मिक स्थान	१५०८--१०
५७५	तेल की खोज	१५१०--१२
५७६	पश्चिम बंगाल में नये कोयला निक्षेप . .	१५१२
५७७	नए खनिजों की खोज	१५१३-१४
५७८	दिल्ली में भूमि का मुक्त किया जाना . . .	१५१४-१५
५९४	दिल्ली में भूमि का अर्जन	१५१५--१९
५७९	औद्योगिक वित्त निगम के लिये विकास ऋणनिधि से ऋण .	१५२०-२१
५८०	स्कूल तथा कालिज की किताबों का हिन्दी अनुवाद .	१५२१-२२
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	१५२३--९७
	तारांकित प्रश्न संख्या	
५७१	नई दिल्ली में पृथक विश्वविद्यालय .	१५२३
५७३	गुरुकुलों को सहायता	१५२३
५८१	केन्द्रीय सचिवालय सेवा	१५२४
५८२	बिहार में धातुकार्मिक कोयला निक्षेप . . .	१५२४
५८३	तेल उद्योग के लिये इटली का सहयोग .	१५२४-२५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

तारांकित प्रश्न संख्या		
५८४	राज्यों का उद्योगीकरण	१५२५
५८५	चिकनाई वाले तेल	१५२५
५८६	भारत के रक्षित बैंक की शाखायें	१५२५
५८७	पाकिस्तान में विस्थापित भारतीय बैंकों की परिसम्पत का प्रत्यावर्तन	१५२६
५८९	अध्यापकों के कल्याण अनुदानों के लिये राष्ट्रीय प्रतिष्ठान	१५२६-२७
५९०	उत्तर सिक्किम में तीस्ता नदी के पुल पर दुर्घटना	१५२७
५९१	अध्यापकों को वित्तीय सहायता	१५२७
५९२	राष्ट्रीय महत्व की संस्थायें	१५२७-२८
५९३	पश्चिमी बंगाल में तेल की पाइप लाइन	१५२८
५९४	दिल्ली में भूमि का अर्जन	१५२८-२९
५९५	कच्चा माल समिति	१५२९
५९६	गणराज्य दिवस समारोह	१५३०
५९७	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	१५३०
५९८	इस्पात के प्रतिधारण मूल्य	१५३१
५९९	सरकारी कर्मचारियों द्वारा मद्यपान	१५३१
६००	अफ़्रीकी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	१५३१-३२
६०१	असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना	१५३२
६०२	इंग्लैंड में भारत सम्बन्धी पुस्तकों की नीलामी	१५३२-३३
६०३	सम्पूर्णानंद समिति	१५३३
६०४	"डौक्यूमेंटस ऑन दि साइनो-इंडिया बाउंड्री क्वश्चन", नामक पुस्तिका	१५३३
६०५	इंजीनियरिंग और टेक्नोलाजी कालिज	१५३३-३४
६०६	करगली का कोयला धोने का कारखाना	१५३४
६०७	अरब तेल कांग्रेस के लिये भारतीय प्रेक्षक	१५३४-३५
६०८	वायु सेना प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर	१५३५
६०९	नाविक, सैनिक और वैमानिक बोर्ड	१५३६
६१०	विश्वविद्यालयों के लिये आदर्श विधान	१५३६
६११	रूरकेला इस्पात कारखाने में आत्महत्या	१५३६-३७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

६१२	इस्पात कारखाने	१५३७
६१३	कालिजों का विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध किया जाना .	१५३७
६१४	देहाती क्षेत्रों में चिकित्सा स्नातकों के लिये सेवा .	१५३८
६१५	पाकिस्तान को कोयले का संभरण . . .	१५३८
६१६	भारत में किराया-खरीद	१५३८

अतारांकित
प्रश्न संख्या

११९३	दिल्ली में नगरीय बुनियादी स्कूल . . .	१५३९
११९४	गुलबर्ग में गवर्नमेंट हिन्दी शिक्षा ट्रेनिंग कालिज . .	१५३९
११९५	भारत तथा संयुक्त राज्य अमरीका के बीच सांस्कृतिक मेल जोल	
११९६	बकलौह छावनी बोर्ड . . .	१५३९
११९७	कलकत्ता में विभिन्न करों की वसूली . . .	१५४०
११९८	महाराष्ट्र में शिक्षिक बेरोजगारों को सहायता .	१५४०
११९९	लाहौल और स्पिति क्षेत्र में सड़कें . . .	१५४०
१२००	काश्मीर राज्य में पेट्रोलियम निक्षेपों का सर्वेक्षण . .	१५४१
१२०१	पंजाब में नगरपालिका के भंगी . .	१५४१
१२०२	बाल पुस्तक न्यास	१५४१
१२०३	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह . .	१५४१
१२०४	सोना पकड़ा जाना	१५४२
१२०५	पंजाब के प्राथमिक स्कूल अध्यापकों के वेतनक्रम . .	१५४२
१२०६	कूंआ संख्या १, रुद्रसागर (आसाम) की मरम्मत . .	१५४२–४३
१२०७	गुरदासपुर में भूतपूर्व सैनिकों के लिये भूमि . .	१५४३
१२०८	उच्च न्यायालयों की शक्तियां . . .	१५४३
१२०९	दिल्ली में मद्य निषेध . .	१५४३–४४
१२१०	दिल्ली में चिट फंडों पर नियंत्रण .	१५४४
१२११	मिट्टी के तेल का आयात	१५४४
१२१२	उत्कल विश्वविद्यालय के द्वारा पुरातन्त्व सम्बन्धी खदाई .	१५४५
१२१३	उत्कल विश्वविद्यालय को होस्टलों के लिये ऋण .	१५४५
१२१४	मिदनापुर जिला में पाई गई "मार्श गैस"	१५४५–४६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या		
१२१५	अफ़्रीकी और अन्य विदेशी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	१५४६
१२१६	सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार . .	१५४६
१२१७	दुर्गापुर इस्पात परियोजना . . .	१५४६–४७
१२१८	ए० ओ० सी० में असैनिक कर्मचारियों का स्थायीकरण . .	१५४७
१२१९	१९६० की हड़ताल . .	१५४७
१२२०	यूनियनों और फैडरेशनों को मान्यता देना	१५४७–४८
१२२१	उत्तर प्रदेश के लिये कोयला . .	१५४८
१२२२	हार्नेस एण्ड सैडलरी फैक्टरी, कानपुर .	१५४८
१२२३	"शक्तिमान "और "निशान" ट्रक . .	१५४८–४९
१२२४	सुपरसोनिक विमान . .	१५४९
१२२५	भारत में विदेशी पूंजी	१५४९
१२२६	कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना .	१५५०
१२२७	दुर्गापुर इस्पात कारखाना . .	१५५१
१२२८	पथेरडीह कोल वाशरी . . .	१५५१–५२
१२२९	रद्दी लोहा	५५५२
१२३०	दिल्ली नगर निगम के लिये भवन का निर्माण .	१५५२
१२३१	इंजीनियरिंग कालेज और पालिटैक्नीज . . .	१५५२–५३
१२३२	भाषाई अल्पसंख्यक . . .	१५५३
१२३३	रूस जाने वाले भारतीय प्रतिनिधि मण्डल . .	१५५३–५४
१२३४	टैक्निकल संस्थाओं में अध्यापकों की कमी . .	१५५४
१२३५	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर . . .	१५५४–५५
१२३६	भारत में पाकिस्तानी . . .	१५५५
१२३७	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह . . .	१५५५
१२३८	वैज्ञानिक सम्पर्क कार्यालय, लन्दन . . .	१५५६
१२३९	सांस्कृतिक छात्रवृत्तियां	१५५६
१२४०	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर . . .	१५५७
१२४१	पंजाब ट्रिक परीक्षा फार्म	१५५७
१२४२	प्रतिरक्षा विभाग के अफसरों के वेतन और भत्ते .	१५५८
१२४३	कोयले का निर्यात .	१५५८
१२४४	नूनमती तेल शोधक कारखाना . .	१५५९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१२४५	सीमा पर सड़कें	१५५९
१२४६	कोरबा कोयला खानें	१५५९–६०
१२४७	औषध तथा दवाओं का आयात . . .	१५६०
१२४८	अनिर्णीत चनाव याचिकायें	१५६०
१२४९	दिल्ली में न्यायालयों के कर्मचारी . . .	१५६०–६१
१२५०	हिन्दी अफसरों की भर्ती	१५६१
१२५१	धातुमिश्रित इस्पात का कारखाना . . .	१५६१–६२
१२५२	"कृषक कार"	१५६२
१२५३	प्लाटों का अर्जन	१५६२
१२५४	"टिस्को" के कर्मचारी	१५६३
१२५५	दिल्ली में क्रीड़ा ग्राम	१५६३
१२५६	भारत पेंशनर समाज की मांगें . . .	१५६३–६४
१२५७	नालंदा में ह्वेनसांग का स्मारक . . .	१५६४–६५
१२५८	केरल में फसल की हानि	१५६५
१२५९	ब्रिटिश बैंक दर	१५६५
१२६०	अशोधित तेल पर रायल्टी . . .	१५६६
१२६१	गुप्त वंश के सिक्के	१५६६
१२६२	दिल्ली की कुतुब मीनार और लाल किला और आगरे का किला	१५६६–६७
१२६३	मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन . . .	१५६७
१२६४	हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ते . .	१५६७
१२६५	बरसुआ अयस्क खानें	१५६७–६८
१२६६	जाली पासपोर्ट	१५६८
१२६७	छोटे पैमाने के उद्योगों को इस्पात का आवण्टन . .	१५६८–६९
१२६८	आस्वान बांध के निकट पुरातत्वीय खुदाइयां . .	१५६९
१२६९	आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कर्मचारी .	१५७०
१२७०	रत्नागिरी जिले में चोरी छिपे लाई गई लौंगों का पकड़ा जाना	१५७०–७१
१२७१	भारतीय प्रशासन सेवा आदि की परीक्षायें . .	१५७१
१२७२	पत्र-व्यवहार पाठ्यक्रम	१५७१–७२
१२७३	दिल्ली में मकानों की कमी का सर्वेक्षण	१५७२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित प्रश्न संख्या		
१२७४	केरल विश्वविद्यालय को अनुदान . . .	१५७२
१२७५	एक मालवाहक विमान द्वारा भारतीय आकाश सीमा का उल्लंघन	१५७२–७३
१२७६	भिलाई इस्पात संयंत्र	१५७३
१२७७	प्राइमरी शिक्षा के लिये आवण्टन . . .	१५७३
१२७८	लॉन टेनिस एसोसिएशन	१५७४
१२७९	विम्बिलडन में भारतीय खिलाड़ी . . .	१५७४
१२८०	केरल में कर्बसाइड पम्प	१५७५
१२८१	नागा विद्रोही	१५७५
१२८२	आवाड़ी में पोशाक तैयार करने का कारखाना . .	१५७५–७६
१२८३	पश्चिमी बंगाल में उच्च माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों की हड़ताल	१५७६
१२८४	भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारी . .	१५७७
१२८५	मकान का किराया काटना . . .	१५७७–७८
१२८६	तिब्बती विद्यार्थियों के लिये स्कूल . .	१५७८
१२८७	ऋण	१५७८
१२८८	अंकलेश्वर का तेल	१५७८
१२८९	द्विभाषी प्रारम्भिक पुस्तकें	१५७९
१२९०	क्वात में भारतीय चलार्थ के स्थान पर अन्य चलार्थ चलाना	१५७९–८०
१२९१	सम्बल का किला	१५८०
२२९२	दिल्ली में पुलिस कर्मचारियों के लिये वर्दी का कोटा . .	१५८०
१२९३	दिल्ली में प्लाट	१५८१
१२९४	अपर डिवीजन क्लर्क	१५८१
१२९५	पेंशनरों का महंगाई भत्ता . . .	१५८२
१२९६	उड़ीसा में कोयला निक्षेप	१५८३
१२९७	लद्दाख में तांबा अयस्क	१५८३
१२९८	केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग के संचालन सम्बन्धी रिपोर्ट	१५८३
१२९९	अदालती प्रक्रिया को सरल बनाना . . .	१५८४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या		
१३००	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में शुद्ध आयुर्वेदिक पाठ्यक्रम .	१५८४
१३०१	कैलासहर, त्रिपुरा में भूमि सर्वेक्षण कार्य . .	१५८४
१३०२	त्रिपुरा की स्वस्ती समिति	१५८५
१३०३	कंचनपुर में आदिम जातियों के अधिकार में भूमि .	१५८५
१३०४	त्रिपुरा में शरणार्थियों को कृषि ऋण . . .	१५८५
१३०५	एक रुपये के नोट के लिये मुद्रणालय . . .	१५८६
१३०६	महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण	१५८६
१३०७	जोरहट (आसाम) में एम० ई० एस० कर्मचारी . .	१५८७
१३०८	जोरहाट (आसाम) में एम० ई० एस० कर्मचारी .	१५८७
१३०९	नई कचार सड़क	१५८८
१३१०	प्राकृतिक गैस तथा तेल आयोग में स्टोरकीपरों के पद .	१५८८–८९
१३११	कस्टम हाऊस, मद्रास	१५८९
१३१२	चुनाव याचिका	१५८९–९०
१३१३	नागरिकता अधिनियम	१५९०
१३१४	नागरिकता नियम	१५९०
१३१५	स्टानवाक लिमिटेड के साथ सरकार की साझेदारी .	१५९१
१३१६	आंध्र प्रदेश में मरकाला और ईराडी जातियां . .	१५९१
१३१७	उड़ीसा में कोयले की कमी . .	१५९१–९२
१३१९	दिल्ली के स्कूलों की पाठ्य पुस्तकें .	१५९२
१३२१	स्टेनोटाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर . .	१५९२–९३
१३२२	प्रगति विद्यालय, अगरतला	१५९३
१३२३	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कर्मचारी . . .	१५९३
१३२४	अस्थायी सहायक	१५९३–९४
१३२५	सहायक	१५९४
१३२६	केन्द्रीय सचिवालय में सहायक . .	१५९५–९६
३२७	शिक्षा विभाग, मनीपुर . . .	१५९६
१३२८	एम० ई० एस० के कर्मचारी . . .	१५९६–९७
१३२९	एम० ई० एस० के अस्थायी कर्मचारी . .	१५९७

विषय पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना १५९७

श्री एस० एम० बनर्जी ने भिलाई इस्पात परियोजना के अधीन रैघरा और नन्दीनी खानों के लगभग १०हजार मजदूरों की छंटनी की ओर इस्पात खान और ईंधन मंत्री का ध्यान दिलाया।

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य टेबल पर रखा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . १५९८—१६००

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) (क) कम्पनीज़ अधिनियम १९५६ की धारा ६१९—क की उपधारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६० के लिये सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी लिमिटेड, हैदराबाद का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेख और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) सरकार द्वारा उपरोक्त कम्पनी के कार्य की समीक्षा।

(दो) (क) कम्पनीज़ अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९—क की उपधारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६०-६१ के लिये राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, लिमिटेड, रांची का वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) सरकार द्वारा उपरोक्त निगम के कार्य की समीक्षा।

(तीन) (क) कम्पनीज़ अधिनियम, १९५६, की धारा ६१९—क की उपधारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६०-६१ के लिये निवेली लिगनाइट निगम लिमिटेड, निवेली (मद्रास) का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) सरकार द्वारा उपरोक्त निगम के कार्य की समीक्षा।

(२) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था (खड़गपुर) अधिनियम, १९५६ की धारा २३ की उपधारा (४) के अन्तर्गत वर्ष १९५९—६० के लिये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर के प्रमाणीकृत लेखे की एक प्रति उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित।

(३) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत निर्वाचकों का पंजीयन नियम, १९६०में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २४ नवम्बर, १९६१ की अधि-सूचना संख्या एस० ओ० २७९१ की एक प्रति।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—क्रमशः

(४) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) कम्पनीज़ अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९—क की उपधारा (१) के अन्तर्गत २५ मार्च, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ तक की अवधि के लिये चल-चित्र वित्त निगम लिमिटेड, बम्बई का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) सरकार द्वारा उपरोक्त निगम के कार्य की समीक्षा ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . . १६००—०१

प्रतिरक्षा उपमंत्री सरदार मजीठिया ने उड़ीसा में विमान से खाद्यान्न गिराने के बारे में एच० एच० महाराजा प्रताप केसरी देव, श्रीमती इला पालचौधरी और श्री वैष्णव चरण मल्लिक द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४७ के २३ नवम्बर, १९६१ को दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

विधेयक पारित . . . . १६०१—२३

(१) रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) ने प्रस्ताव किया कि विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया ।

(२) विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) ने प्रस्ताव किया कि संविधान (ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाये । विचार करने के प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ । पक्ष में २६६, विपक्ष में ३५ । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । इसी प्रकार खण्ड २ पर सभा में मत विभाजन हुआ, पक्ष में २६८; विपक्ष में ३५ । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्ड ३ पर मत विभाजन हुआ । पक्ष में २६९; विपक्ष में ३७ । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का काम सामान्य बहुमत से स्वीकृत हुए । विधेयक को पारित करने के प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ । पक्ष में २६९; विपक्ष में ३६ । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । उपरोक्त विचार करने का प्रस्ताव, खंड २, खण्ड ३ तथा विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के महुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुये और विधेयक पारित किया गया ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा . . . १६०२—२९

(१) **प्रधान मंत्री** तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने चीनियों द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र के अतिक्रमण करने के

विषय पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा—क्रमशः

बारे में चर्चा का उत्तर दिया तथा चीन गणराज्य के वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के दिनांक ३० नवम्बर, १९६१ के नोट की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

(२) श्री नाथ पाई ने बम्बई बड़ौदा के बीच एक नियमित विमान सेवा चालू करने के लिये कलिंग एयरलाइन्स को दिये गये लाइसेन्स पर जो कि औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प का उल्लंघन है, चर्चा उठाई। असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) ने चर्चा का उत्तर दिया।

बुधवार, ६ दिसम्बर, १९६१/१५ अग्रहायण, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि

विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६१; भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९६१; विश्व भारती (सशोधन) विधेयक, १९६१ तथा दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६१ पर विचार और पारित किया जाना। लाख और चपड़ा पर निर्यात शुल्क के बारे में संकल्प पर भी विचार किया जाना।

GIPND—LS III—1639 Ai LS—9-1-62—125